खण्ड-368, अंक-1
सोमवार, 19 भाद्रपद, शक संवत् 1906
(10 सितम्बर, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 368 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–86
विधान सभा सदस्य श्री रामजी राम एवं श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट के निधन पर शोकोद्गार	86–89
भूतपूर्व सदस्य श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री जटा शंकर शुक्ल, श्री जयपाल सिंह, श्री दीन दयाल करवरिया, सैयद मोहम्मद तकी हादी, श्री पन्ना लाल गुप्त तथा श्री विद्याधर बाजपेयी के निधन पर शोकोद्गार	89–98
भूतपूर्व राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास के निधन पर शोकोद्गार ..	98–101
नत्थियां	103–114

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9216

सोमवार, दिनांक 10 सितम्बर, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टेहरी गढ़वाल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झम्मन सिंह, श्री (मेरठ)
तेजबहादुर गंगवार, श्री (भीलीभीत)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भीम सिंह सोनी, श्री (मेरठ)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मसरूर जाफरी, श्री (गोंडा) (उर्फ शबरोज)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह राजा (आगरा)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमन, श्री (इलाहाबाद)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विलायती राम कत्याल, श्री, (कानपुर)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया श्री (नैनीताल)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलोत, श्री (गाजियाबाद)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)

नोट—वित्त एवं ऊर्जा राज्य मंत्री श्री राजपाल त्यागी भी सदन में अनुपस्थित थे।

सैम्पल कॉपी

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 10 सितम्बर, 1984

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

महालक्ष्मी शुगर फैक्ट्री, इकबालपुर, सहारनपुर पर बकाया गन्ना मूल्य

**1--श्री काजी मोहिउद्दीन--

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि महालक्ष्मी शुगर फैक्ट्री, इकबालपुर (सहारनपुर) पर गत सीजन का किसानों का दो करोड़ रुपया बकाया है ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया निश्चित रूप से कब तक अदा कर दिया जायगा ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)--

महालक्ष्मी शुगर फैक्ट्री, इकबालपुर (सहारनपुर) पर गत सीजन (1983-84) का दिनांक 15-8-84 की स्थिति के अनुसार किसानों का रु0 202.72 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है । इसका यथाशीघ्र भुगतान कराने हेतु प्रयास जारी है ।

श्री काजी मोहिउद्दीन--

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखें । यह तो मुझको भी मालूम है कि यह प्रचार किया गया कि प्रयास किया जा रहा है । मैंने पूछा था कि निश्चित रूप से यह किस तिथि तक दे देंगे । मैं तिथि जानना चाहता था कि किस तिथि तक यह दे देंगे, वह स्पष्ट करायें ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

इस फैक्ट्री ने बैंक से ऋण मांगने का प्रस्ताव दिया है, 28 अगस्त को दरखास्त दे दी गयी है, बैंक से बातें हो चुकी हैं । हमें आशा है कि जल्द से जल्द ऋण मिल जायगा और भुगतान कर दिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि श्रीपति मिश्र के जाने के बाद जब तिवारी जी मुख्य मंत्री हुए, तो सबसे पहले यह घोषणा की थी कि 10 तारीख तक प्रदेश के सभी गन्ना किसानों का एक-एक नया पैसा बकाया का भुगतान कर दिया जायगा । आज 10 तारीख तक पैसा बंट जाना था, आज तक क्यों नहीं बंटा ? मेरी जानकारी के अनुसार 90 करोड़ के बकाया में से अभी एक नया पैसा भी भुगतान नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, यह बात सही है कि मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि जहां तक हो सकेगा, 15 सितम्बर तक भुगतान कराने की कोशिश की जायगी । कोशिश जारी है और की जा रही है । मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि चाहे कोआपरेटिव सेक्टर की मिलें हों या प्राइवेट सेक्टर की हों या गवर्नमेन्ट की फैक्ट्रीज हों, उनका इंतजाम कर दिया गया है, लोन दे दिया गया है, हमें पूरी आशा है कि 15 सितम्बर तक हिसाब बेबाक हो जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे प्रदेश में तीन प्रकार की मिलें हैं--प्राइवेट सेक्टर, रिसीवर शिप और शुगर फेडरेशन की मिलें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो

रिसीवरशिप की मिलें हैं, उनको रिसीवरशिप में लेने से पहले जो मिल मालिकों पर गन्ना काश्तकारों का पैसा बकाया था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न सहारनपुर के बारे में है और आप दूसरी जगह के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री भीखा लाल—

मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मिल मालिकों पर जो किसानों के भुगतान का बकाया है, आप कटौती में क्रय कर में जो छूट देते हैं तो आपने इस मिल को क्रय कर में कितनी छूट दी है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

21 लाख रुपये की छूट दी गयी है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री पर 202.7 लाख रुपया का बकाया है और आपने जो घोषणा की है कि 15 सितम्बर तक गन्ना किसानों का सारा पैसा भुगतान कर दिया जायेगा, तो इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से जो 21 लाख रु0 की छूट परचज टैक्स की थी वह तो उनको मिल गयी, वह उनकी जेब में चला गया पैसा, इसके अलावा और जो सुविधायें मिलती हैं, तो सारी सुविधाओं के बावजूद आप 15 सितम्बर तक 202 लाख रु0 की अदायगी करा देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इतने महत्वपुर्ण प्रश्न पर सदन के पहले ही दिन यह प्रश्न उठाया और इसके समाधान करने का मुझे सुअवसर प्रदान किया। यह जो गन्ना बकाया के भुगतान करने का प्रश्न है, यह हमारे गन्ना किसानों के जीवन से सीधा सम्बधित है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिये हमने प्रयास किया है कि सब्सटेन्टिवली 15 सितम्बर तक इसका पेमेन्ट हो जाय। हमने स्वयं गन्ना मंत्री के सहयोग और सलाह से विभाग को पूरा इस सम्बन्ध में परिचालित किया, रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी बातचीत की है। जैसा कि अभी यहां पर कहा गया कि हमारे यहां चार-पांच प्रकार की फैक्ट्रीज हैं कोआपरेटिव की फैक्ट्री रिसीवरशिप की फैक्ट्री, शुगर कारपोरेशन की फैक्ट्री निजी फैक्ट्री भारत सरकार द्वारा लगायी गयी फैक्ट्री इस तरह 5 प्रकार की मिले हैं और इनका अलग-अलग ढंग से पेमेन्ट होता है।

जहां तक तीन प्रकार की शुगर कारपोरेशन, रिसीवरशिप तथा कोआपरेटिव की मिलों का प्रश्न है, मुझे पूर्ण आश्वस्त किया गया है कि जो निर्धारित तिथि है उसमें इन तीन प्रकार की फैक्ट्रियां भुगतान करा लेंगी। मैंने आदेश दिये हैं कि गन्ना विभाग का डेली मानिटियरिंग होना चाहिये। मैं सम्मानित सदस्यों का सहयोग चाहता हूं कि वे इसका भुगतान कराने में अपना सहयोग करें।

जहां तक भारत सरकार द्वारा सीधे लगायी गयी चार-पांच मिले हैं, उनके भुगतान के प्रश्न के सम्बन्ध में लगभग 4 करोड़ रु0 केन्द्र से मंजूर

हो चुका है और यह पेमेन्ट केन्द्रीय यूनियन के जरिये से हो रहा है ।

जहां तक निजी मिलों का सवाल है, इनमें पिछले वर्षों से भुगतान की समस्या चली आ रही है और इस सम्बन्ध में बैंकों से भी एडवांस ले लिया गया था मैंने बैंकों की मीटिंग बुलायी थी, अभी हाल ही में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक के चेयरमैनों से मेरी बातचीत हुई है । तत्वतः क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं अपने सम्मानित सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सबकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए तत्वतः मुझे पूरी आशा है कि यह भुगतान हो जायेगा । जो मिल मालिक जानबूझकर भुगतान न करने का प्रयास करेंगे, बाधा डालेंगे, उन्हें सदन की भावना को देखते हुए उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि माननीय नेता सदन ने, सदन में पहले दिन बहुत अच्छा भाषण दिया, चुनाव को ध्यान में रखते हुए । आपने सदन के बाहर घोषणा की थी कि 10 तारीख तक सभी मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान हो जायेगा । आज आपने पूरे भाषण में या उत्तर में यह कहा है कि हमने यह प्रगति की है, उस बैंक वाले को बुलाया है, दो आफिसर बम्बई भेजे हैं, यह प्रयास तो आप को पहले ही करना चाहिए था और घोषणा तब करते और प्रयास कन्टीन्यूड है और आज भी आप यह कहने में असमर्थ हैं कि जो तिथि है उस तिथि को भुगतान हो जायेगा । जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के बाहर कर दी है कि 10 तारीख तक भुगतान हो जायेगा, उस के न होने के क्या कारण हैं और उसको अमेन्ड करने का क्या कारण है ? हम अखबारों से जानते हैं, पहले 10 तारीख की बात कही फिर 15 सितम्बर की बात कही है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें, आप ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

जब उत्तर इतना बड़ा है तो प्रश्न भी बड़ा हो जायेगा । 15 सितम्बर को जो घोषणा की है, क्या उस तारीख तक सम्पूर्ण गन्ना-किसानों को सम्पूर्ण भुगतान हो जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं सम्मानित नेता विरोधी दल के प्रथम दर्शन आज इस तरह से कर रहा हूं, उन्हें पहले कोई तर्क-वितर्क इस तरह का नहीं करना चाहिए, जो शालीनता से परे हो, क्योंकि मैं उस पद की गरिमा को जानता हूं । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वह सरकार का कर्तव्य है, मैं कर्तव्य पालन मात्र कर रहा हूं, उस में चुनाव हो या न हो, उसका सम्बन्ध नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि उन्होंने शब्द "भाषण" का प्रयोग किया मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा था । कई प्रश्न पूछे गए, जब प्रश्न पूछा गया, तो उत्तर देने का प्रयास किया गया । मैं इतने संसदीय अनुभव के बाद इतना तो जानता ही हूं कि कब भाषण देना चाहिए और कब प्रश्न का उत्तर देना चाहिए । मैं आश्वासन देना चाहता हूं और मेरे कहने का इतना मतलब है कि दिन प्रति दिन यह प्रयास जारी है कि गन्ना किसानों को पेमेन्ट हो । मैंने तत्वतः कहा था कि 15 सितम्बर तक सब्सटेन्टिवली भुगतान हो जाना चाहिए और मेरे निर्देशों का पालन हो । है और पूरा प्रयास हो रहा है । मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल को आश्वस्त हो जाना चाहिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं नेता सदन के आश्वासन के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि 23 करोड़ रुपये का परचेज टैक्स माफ कर दिया है और आधा चुनाव फंड में ले लिया है। किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा जो उनको मिलना चाहिए, उसे मिल मालिकों को दे दिया है और उसके बावजूद वह पेमेन्ट नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में तो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि 15 तारीख तक भुगतान करने की घोषणा की है और आपने 4–5 मिलों को गिनाया। एक तो रिसीवरशिप की मिल, कोआपरेटिव की मिल सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की मिलों का भुगतान हो जायेगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की मिलें हैं, उनके बारे में भी प्रयास कर रहे हैं। यह उत्तर कोई अर्थ नहीं रखता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी घोषणा के तहत 15 तारीख तक भुगतान करा देंगे और अगर भुगतान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और क्या रिकवरी सर्टीफिकेट इशू का आश्वासन देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य गोरखपुर को बहुत दिनों से जानता हूं और वह भी मुझे जानते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि जब हमने प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि विरोध हो या न हो

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कुबेर भंडारी सदन त्याग कर चले गये।)।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं यह निवेदन कर रहा था और मैं तो यह आशा करता था कि कभी-कभी यदाकदा किसी क्षण माननीय सदस्य गोरखपुर कभी-कभी सरकार की पीठ भी थपथपा देंगे और खासतौर से जब सरकार कोई अच्छा काम कर रही हो। लेकिन आज बजाय इसके वे ऐसा कह रहे हैं। क्रय कर के बारे में वे जानते हैं कि जब हम किसानों के गन्ने का दाम ज्यादा रखते हैं, चीनी का दाम कम रखते हैं तो यह सब्सिडी किसानों को दी जाती है। क्रय कर सीधे केन यूनियन के एकाउन्ट में जा रहा है। यह पहले से परम्परा रही है। आप एक वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। आप जानते हैं कि क्रय कर के इस तरह से देने की पद्धत्ति आज की नहीं, यह दीर्घकालीन है, दशब्दियों से चली आ रही है। मैं इस नीति में उनका साथ चाहूंगा।]

श्री मोहन सिंह—

माननीय, मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि जो क्रय कर का पैसा है, वह सीधे यूनियन के फंड में जा रहा है। इस तरह से चीनी मिलों से जो आमदनी होती है, उससे गन्ना मूल्य में कुछ समय पहले से कटौती हो गई है। मेरी जानकारी है कि जिला मजिस्ट्रेटों ने कई जगहों पर गन्ना मूल्य स्वतः ही काट दिया, जिससे निजी क्षेत्र की मिलों में गन्ने के मूल्य भुगतान की जो रफ्तार होनी चाहिये थी, वह कम हो गई। माननीय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने को नो डिले तिवारी कहा है लेकिन मैं इन्हें नेवर डिनाइल तिवारी कहता हूं। इन्होंने 15 तारीख की एक लिमिट रखी है, उस लिमिट के भीतर ही जो आश्वासन पूरा करने की बात उन्होंने कही है, उस टैगिंग की पद्धति में जिन जिला मजिस्ट्रेटों ने कमी की है बहुत सारी यूनियन में अभी भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है, क्या उसको शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करने के बारे में आप आश्वासन देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिन मिलों के बारे में उन्हें व्यक्तिगत सूचना हो कि जिला मैजिस्ट्रेटों ने ऐसा किया है, उनके बारे में गन्ना मन्त्री को या मुझको सूचित कर दें, हम उन्हें लिखेंगे कि वे अपने स्वविवेक का इस्तेमाल न करें।

प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन आफ इन्डिया द्वारा डाक्टरों को दिया गया सर्टिफिकेट

**2—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिसनर एशोसिएशन आफ इंडिया द्वारा दिए गए सार्टीफिकेटों के आधार पर किसी व्यक्ति को डाक्टर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? यदि नहीं, तो प्रदेश में ऐसे सर्टीफिकेट होल्डरों, जो प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं, पर रोक लगाने की क्या सरकार कोई व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

जी नहीं।

ऐसे प्रेक्टिशनर इंडियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट, 1956 की धारा 15(2) का उल्लंघन करते हैं। इस सम्बन्ध में समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को 22 फरवरी, 1984 के शासनादेश संख्या 287/5-7-783/81 द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विपरीत कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी भेजे गये हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, सदन भी जानता है, सरकार भी जानती है, जनता भी जानती है और नये मुख्य मन्त्री जो बैठे हुये हैं, वे भी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में डाक्टरों की और अस्पतालों की क्या हालत है। शहरों में डाक्टर नहीं मिलते हैं, तो देहातों की क्या हालत होगी। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर हमारी सरकार जनता को अस्पताल मुहैय्या नहीं कर सकी। यदि अस्पताल है, तो डाक्टर नहीं, डाक्टर है तो अस्पताल नहीं, यदि डाक्टर भी है, अस्पताल भी है, तो वहां दवा नहीं और जहां सब कुछ है, वहां डाक्टर चोर हैं। लिहाजा जो इस तरह के एशोसिएशन बने हुये हैं, उनका काम यह है कि वह ढाई-ढाई सौ तीन-तीन सौ रुपये लेकर सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं....

उप-मन्त्री (श्री श्याम लाल बाजपेयी)—

काशीनाथ जी से दवा मिलेगी....

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, अब तो इनके भौंपू में टेप लग जाना चाहिये। यहां सांड का तेल नहीं बिक रहा है।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है केवल दवा की बात कही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन कृपा करके देखें, वे बिना आज्ञा के खड़े होकर बोलने लगते हैं, यह उनको शोभा नहीं देता है। आप क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इतने खूबसूरत मन्त्री को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मुझे मूल प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मैं जानना चाह रहा था कि इस तरह के एशोसिएशन्स हैं जो ढाई-ढाई

सौ और तीन-तीन सौ रुपये लेकर सर्टिफिकेट दे देते हैं और पिछले 34, 35 सालों से वे सक्रिय ह। इस सम्बध म दो बार शासनादेश निकल चुके ह जिनकी कापी मेरे पास हैं, जिनके द्वारा, इन पर पाबन्दी लगाई गई है और कहा गया है कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं दिये जायेंगे, उसके बावजूद कुछ ऐसे एशोसिएशन्स हैं जो सर्टिफिकेट देकर गरीब लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि फलां-फलां तारीख के बाद यह सर्टिफिकेट नहीं दिये जायेंगे और जिनके पास हैं, उनके लिये डी0 एम0 को आदेश दिये हैं कि जो आदमी इस तरह के सर्टिफिकेट्स से प्रेक्टिस कर रहे हैं, उनको पकड़ कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय····

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये····

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो शासनादेश निकाले गये हैं, जिनमें उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही गई है। वे किसी एक जिले का बता दें, जिसमें जिलाधिकारी ने ऐसे डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की हो, कितने इस प्रकार के सर्टिफिकेट उन्होंने पकड़े हैं।

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह नीम हकीम वाली जो बात है वह गैर जिम्मेदारी की बात है जिस पर माननीय सदस्य चिन्तित हैं और उन्होंने कहा कि कोई पकड़े नहीं गये हैं। तो कानून के मुताबिक कोई आदमी पुलिस को रिपोर्ट करे तब उसकी कागनीजेन्स हो सकती है। कानूनीतौर पर हमारे विभाग को किसी प्राइवेट डाक्टर से पूछताछ करने का हक हासिल नहीं है हमारा विभाग जिला मैजिस्ट्रेट्स को समय-समय पर आदेश भेजता रहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। लेकिन दुख यह है कि कोई नागरिक रिपोर्ट करने को तैयार नहीं होता है लिहाजा अब तक यह निश्चित नहीं किया गया है कि कितने आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की नदियों में जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण, तथा शहरों में ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में जल प्रदूषण, वायु में वायु प्रदूषण एवं शहरों में ध्वनि प्रदूषण तेज गति से बढ़ रहा है? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौन से शहर उक्त प्रकार के प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हैं? शासन तीनों प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए कौन से उपाय व कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

जल प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश की प्रमुख नदियों के किनारे स्थित शहर कुछ सीमा तक प्रभावित हुए हैं। वायु प्रदूषण की दृष्टि से कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मिर्जापुर आदि जनपद प्रभावित कहे जा सकते हैं।

जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश में जल प्रदूषण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1974 लागू है तथा वायु प्रदूषण के निवारणार्थ-वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण अधिनियम, 1981 लागू है। कोई ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम अभी लागू नहीं है। जल प्रदूषण अधिनियम के अन्तर्गत 24 औद्योगिक इकाइयों एवं दो स्थानीय निकायों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की गई है। शासन के प्रयासों के फलस्वरूप 17 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण की व्यवस्था की जा चुकी है। तीन औद्योगिक इकाइयों द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र भी लगाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने

के लिए घाटों एवं नालों का गन्दा पानी डाइवर्ट करने, शुद्धिकरण यन्त्र लगाने, नदियों के घाटों के सुचारु रूप से रख-रखाव के लिये, जली एवं अधजली लाशों के नदी में प्रवाहित करनें पर रोक लगाने, सीवर को व्यवस्था का जीर्णोद्धार करने, घरेलू सीवरेज से बायुगैस उत्पादन करने आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री श्याम लाल वाजपेयी के खड़े होने पर) माननीय नेता सदन इस बात का ध्यान दें कि इनको इंडिक्वेन्डेन्ट चार्ज नहीं दिया है यह श्री श्यामलाल वाजपेयी उपमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ लिखा है यह आपका लिखा होना चाहिए भविष्य में इस बात का ध्यान रखें ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सरकार ने पूरे देश और प्रदेश का वातावरण दूषित कर रखा हैं, जिसको रोकने के लिए श्री तिवारी जी भेजे गए हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नदियों के किनारे शहर बसे हैं, जैसे मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी आदि नगरों का गंदा पानी नदियों में बहाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में इस सम्बन्ध में बड़े स्पष्ट रूप से बताया है लेकिन माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है, मथुरा के बारे में और जानना चाहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि शासन ने बड़ा व्यापक प्रबंध किया है । मथुरा में सबसे बड़ी समस्या है कि छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित हैं और साड़ी को रंगाई और छपाई का काम कर रहे हैं, इसके लिए शासन ने जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कानपुर के हथकरघा निगम को लिखा है कि वहां एक जगह अपना काम प्रारम्भ करें ताकि शासन वहां प्रदूषण नियंत्रक संयत्र लगा सके ताकि गंदा पानी न रुके ।

मान्यवर, दूसरी बात मथुरा नगर में जो पुरानी सीवर लाइन बिछायी गयी थी वह दूषित अवस्था में है, जिससे शासन ने निर्णय लिया है कि उसका जीर्णोद्धार कराकर गंदे पानी को डाइवर्ट करके कृषि के कार्य में प्रयोग करेंगे । इसलिए शासन पूरी तरह से सचेत है और मथुरा ही नहीं अन्य नगरों जैसे कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, इटावा आदि नगरों के लिए शासन ने 10 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार किया है, जो निकट भविष्य में लागू होने वाली है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, श्री वाजपेयी जी ने विस्तृत जवाब दिया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मथुरा में 4 पंपों में से 3 पंप खराब हैं, जिनको बनवाकर कब चालू करायेंगे ? मान्यवर, 10 करोड़ रुपया एक बार नहीं कई बार हुआ में यहां कहा कि 10 करोड़ रुपये की योजना बनायी जा रही है, लेकिन आज तक एक भी पैसा इस योजना के अन्तर्गत न इसके पूर्व बजट में और न सप्लीमेंटरी बजट में ही दिया गया है ।

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि कल कारखाने इस प्रदेश में हजारों की संख्या में होंगे और 20-25 कल कारखानों के जल प्रदूषण को रोकने के लिए संयंत्र लगा रहे हैं, तो इतने बड़े प्रदेश में इस गति से काम होगा तो जल प्रदूषण कब समाप्त होगा ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मथुरा में माननीय सदस्य ने कहा कि 4 में से 3 पंप खराब है तो मैं उनकी जानकारी में बढ़ोत्तरी करना चाहता हूं कि वही नहीं बल्कि हमारे पंप बनारस में भी खराब हैं, जिसके लिए केन्द्र सरकार से पैसा मांगा है और पैसा मिलने वाला है और मिलते ही

कार्य प्रारम्भ करा देंगे । प्रदूषण के विषय में उनको कम चिन्ता होगी, वर्तमान शासन को बहुत चिन्ता है और जल्दी से जल्दी उनको ठीक करायेंगे । मान्यवर, जहां तक उन्होंने जल प्रदूषण की बात कही है, जितनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं उनके किनारे जो नगर बसे हैं उनके लिये शासन जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से इस चीज का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वह प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र को लगायें । जैसे मथुरा में तेल शोधक कारखाने में संयंत्र लग चुका है, अन्य जगहों पर लगा रहे हैं लेकिन उसके लिए समय चाहिए। प्रयास किया जा रहा है। प्रकृति से लड़ रहे हैं। महापालिकाएं भी साथ देने के लिए हिचक जाती हैं और भी चीजें हैं, किसे दबायें । फिर भी शासन तो हर तौर से प्रयत्नशील है ही ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में किन-किन कारणों से जल प्रदूषण हो रहा है और गंगा नदी में किन-किन कारणों से गंदा पानी जा रहा है ? और क्या सरकार ने उन कारखानेदारों से प्रार्थना की है कि उनका गंदा पानी गंगा नदी में न जाने पाए या सरकारी स्तर से कोई प्रयास हो रहा है ? क्योंकि यह प्रश्न पिछली बार भी इस सदन में आया था । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कारखानेदारों से प्रार्थना की गयी है या सरकारी स्तर पर कोई सख्त कार्यवाही उस गंदे जल को रोकने के लिए हुई है ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय सदस्य ने कानपुर के प्रदूषण के बारे में जो जानना चाहा है इसके लिए यह सदन उनका आभारी है । वह प्रदूषण मुक्त हैं, लेकिन उनकी चिन्ता है, इसलिए मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि कानपुर जैसे महानगर में 4 बहुत बड़े गंदे नाले हैं—नवाबगंज, शीशामऊ, गुप्तारघाट और जाजमऊ। इसमें से एक जाजमऊ नाले की स्थिति भिन्न है क्योंकि वहां पर चमड़ा उद्योग स्थापित है और उसका गंदा जल उसमें जाता है । कानपुर में जाजमऊ नाले के लिए 1 करोड़ 7 लाख की उसके लिए योजना है, जो जल प्रवाह है उसको रोकने के लिए और जल को शुद्ध करके वहां पर ले जाने के लिए। इन चारों नालों के विषय में कानपुर महापालिका से कहा गया है कि आप इनका गन्दा जल शुद्ध करके ही गंगा नदी में छोड़ें और जब वह इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो नियन्त्रक बोर्ड की ओर से उन पर मुकदमा किया गया है और वह चल रहा है । इन चारों नालों को चौड़ा करके ऐसा संयंत्र लगाया जाएगा, जिससे नालों के पानी को शुद्ध करके उसे गंगा नदी में गिराया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इतना बड़ा उत्तर आप क्यों दे रहे हैं ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मैं उत्तर दे रहा हूं और उस पानी को संयंत्र द्वारा शुद्ध करके सिंचाई के लिए डाइवर्ट करने की शासन की योजना है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के हरिजन अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति

*2—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कितने अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ता दिनांक 31 जनवरी, 1984 को कार्यरत थे और उनमें कितने हरिजन हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पदों पर आरक्षण के अनुसार पदोन्नति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

प्रश्नगत अवधि में 215 अधिशासी अभियन्ता एवं 48 अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत थे। अधिशासी अभियन्ता में से 7 अधिशासी अभियन्ता हरिजन हैं और अधीक्षण अभियन्ताओं में से कोई हरिजन नहीं है।

जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली, 1978 में निहित प्राविधानों के अनुसार समय-समय पर अधिशासी अभियन्ता पदों पर केवल पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभियन्ताओं के नामों पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया और उपयुक्त पाये गये अभियन्ताओं को पदोन्नति की गयी। मई, 1984 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए चयन में 2 हरिजन अधिशासी अभियन्ता पात्रता क्षेत्र में आते थे, जिनमें से 1 की पदोन्नति अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कर दी गयी है।

श्री मीका लाल—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ताओं और अधीक्षण अभियन्ताओं के चयन के लिये जो आखिरी बार मीटिंग हुई थी, उसमें कितने लोग हरिजन पात्रता सूची में थे, उनमें से कितने साक्षात्कार के लिये बुलाये गये तथा कितने लिये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिये चयन में 2 हरिजन अधिशासी अभियन्ता पात्रता क्षेत्र में आते थे, जिनमें से एक को पदोन्नति अधीक्षण अभियन्ता के पद पर हुई।

श्री मीका लाल—

सहायक अभियन्ताओं और अधिशासी अभियन्ताओं के चयन के लिये पिछली बार मीटिंग कब हुई थी और उसमें पात्रता सूची में कितने लोग आते थे, उनमें कितने बुलाये गये तथा कितनों का चयन हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मोहन सिंह—

मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश के शासन की भर्ती और प्रोन्नति के लिये जो नियमावली है जिनमें हरिजनों को आरक्षण मिला हुआ है, वह प्रदेश के निगमों में अभी तक लागू नहीं है। अगर वह लागू है तो वहां पर प्रोन्नति में हरिजनों का कोटा पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

लागू वहां भी है। प्रोन्नति के लिये कुछ नियम बने हुए हैं। असिस्टेंट इन्जीनियर और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के लिये कम से कम 7 वर्ष की सेवा आवश्यक है, एस0 ई0 के लिये 15 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है। जिनकी इतनी सेवा होती है। वही पात्रता सूची में आते हैं।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

आरक्षण की नीति जो भर्ती के लिये सरकार ने बनायी थी वह कुछ दिन पूर्व प्रोन्नति के मामलों में समाप्त कर दी गयी है। क्या सरकार प्रोन्नति के मामलों में भी आरक्षण सम्बन्धी अपनी नीति को लागू करने के लिये सरकारी आदेश जारी करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

निगमों में प्रोन्नति के लिये रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं

हैं । लेकिन प्रश्नगत मामले में मुझे यह बताया गया है कि दो अधीक्षण अभियन्ताओं में से एक को रिजर्वेशन के आधार पर लिया गया है ।

ग्राम गूलर भोज, जिला नैनीताल में वन विभाग की भूमि का पट्टा किये जाने की मांग

*3—श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामवासी ग्राम गूलरभोज, परगना गूलरभोज, जनपद नैनीताल जो निर्बल वर्ग के हैं, विगत 20 वर्षों से वन विभाग की 4000 एकड़ कृषि योग्य भूमि जोत बो रहे हैं ? यदि हां, तो आज तक उक्त भूमि का पट्टा सरकार या जिला प्रशासन द्वारा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिनांक 5-9-83 को पत्र मय प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित भूमिहीनों का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन सा प्रभावी कदम इस सम्बन्ध में उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मन्त्री (श्री संजय सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मान्यवर, चूंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध कई विभागों से है और पूरी सूचना एकत्र नहीं हो पायी है, इसलिये खेद है कि इसका उत्तर आज मैं देने में असमर्थ हूं । इसको अगले सोमवार के लिये रख दें, तब तक इसकी जानकारी अवश्य आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

इसको अगले सोमवार को लिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों का साप्ताहिक विश्राम एवं मजदूरी

*4—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा के पालनार्थ उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों में कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम के दिन किये गये कार्य के बदले मजदूरी का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्तमान में 16 पर्यटक आवास गृहों/होटलों का संचालन किया जा रहा है इनमें से 12 (बारह) इकाइयों पर साप्ताहिक विश्राम के दिन यदि आवश्यकता पड़ने पर कार्य लिया गया है तो उसके बदले में प्रतिपूरक अवकाश दिया गया । तीन इकाइयों पर साप्ताहिक विश्राम दिया गया और एक इकाई पर यदि आवश्यकता पड़ने पर साप्ताहिक विश्राम के दिन कार्य लिया गया तो साप्ताहिक विश्राम के बदले मजदूरी का भुगतान किया गया है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि पर्यटन निगम द्वारा जो पर्यटन आवास गृह चलाये जा रहे हैं उनमें जो कर्मचारी हैं उनको इस तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है जिसके लिये लखनऊ में होटल गोमती के कर्मचारियों ने मुकदमा दायर किया और मुकदमा जीतने के बाद उन लोगों को इस तरह की सुविधा प्रदान की गयी । तो मैं जानना चाहता हूं कि

जो बाकी पर्यटक आवास गृह हैं उनको जिस तिथि से गोमती होटल के कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है उसी तिथि से यह सुविधा प्रदान की गयी है या बाद में की गयी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन, मुकदमें के बारे में तो सूचना की आवश्यकता होगी। जो हमारे 16 पर्यटन आवास गृह हैं उनमें नियमों के मुताबिक सबको सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुकदमें के बारे में सूचना की आवश्यकता होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करने की कृपा करेंगे कि जिस तिथि से गोमती होटल के कमचारियों को सुविधा प्रदान की गयी है उसी तिथि से बाकी पर्यटक आवास गृहों के कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन् निगम में जो आवास गृह हैं यह तो भिन्न-भिन्न तिथियों में अलग-अलग खुले हैं। जिस तिथि से उनको चालू किया गया है उनको उसी तिथि से सुविधा दी जा रही है और दी जायगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पर्यटक आवास गृह पहले के बने हुये हैं उनके कर्मचारियों को आप जिस तिथि से होटल गोमती के कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है उसी तिथि से यह सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

ट है।
ा न होगा

उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी।

स्पोर्ट्स कालेज, गुडम्बा, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*5—श्री शेर बहादुर (अनुपस्थित)—

क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर-नवम्बर, 1983 में लखनऊ शहर के किसी विधायक ने स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ गुड़म्बा के प्रधानाचार्य के भ्रष्ट कार्यों के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र उन्हें भेजा है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र क्या है और अब तक उसमें क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां, नवम्बर, 1983 में श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, विधायक ने एक शिकायती-पत्र भेजा था, जिसमें छात्रों के भोजन स्पोर्ट्स कालेज में आयुसीमा प्रतिबन्ध, हरिजन कर्मचारियों के दमन व शोषण, पश्चिमी-जर्मनी की टीम पर व्यय व खाने के सम्बन्ध में "पोर्क व बीफ" आदि प्रयोग किये जाने सम्बन्धी शिकायतें थीं।

उक्त शिकायती-पत्र पर निदेशक, खेलकूद, उत्तर प्रदेश द्वारा जांच करायी गयी जिसमें सभी शिकायतें निराधार पायी गईं।

[दिनांक 10 सितम्बर, 1984 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती मासूमन, निवासी महानगर के भवन गिराये जाने के सम्बन्ध में दिया गया आदेश

*1—श्री राम आसरे वर्मा, श्री सरदार सिंह तथा श्री रियासत हुसैन—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रश्न 84 के पांचवें गुरुवार के तारांकित

प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भवनों को गिराने हेतु दिनांक 14 मई, 1984 को पुनः आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये ? यदि हां, तो उक्त भवनों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच द्वारा रिट पिटीशन संख्या 129 वर्ष 1958, जो निर्णय 18 जनवरी, 1960 को हुआ, के आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखते हुये यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त रिट पिटीशन में वादीगण कौन-कौन थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

चूंकि प्रश्नगत निर्णय अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में नहीं है । अतः सदन के पटल पर उसके रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सवाल यह था कि उक्त भवनों को गिराने हेतु दिनांक 14 मई, 1984 को पुनः आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये । मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि "जी नहीं" । क्या इस परिप्रेक्ष्य में माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 644/ आर० डी० ओ०, दिनांक 11 मई, 1984 जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के नाम भेजा गया है उसमें भवनों को गिराने का निर्णय लिया गया है । यदि हां, तो इस तरह का पत्र भेजने का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, "जी नहीं" जवाब इसलिये दिया गया है कि आपने लिखा है कि दिनांक 14 मई, 1984 को पुनः आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये । तो 14 मई, 1984 को कोई आदेश नहीं दिया गया है । आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 1983 को दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया उत्तर पर और इस पत्र को लेकर, मेरे पास श्री प्रभुनाथ मिश्रा जी सचिव का वह आदेश है, जिसमें वह रिक्वेस्ट है, जिसमें उन्होंने पुलिस से यह दरख्वास्त की है । उसको मैं दो पंक्ति पढ़कर सुना देता हूं । माननीय मंत्री जी के पास वह होगा, लेकिन माननीय मंत्री जी कन्फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं । यह चिट्ठी प्रभुनाथ मिश्रा जी ने लिखी है ।

अध्यक्ष--

आप चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे । आप उसका सारांश बता दीजिए ।

श्री रियासत हुसैन--

उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि सक्षम अधिकारी ने इसे गिराने का आदेश दिया है । यह आपरेटिव एक लाइन है । फिर उसमें रिक्वेस्ट की है दिनांक 14 मई, 1984 को गिराने का निर्णय लिया गया है । उसमें यह भी लिखा गया है कि उसमें बहुत से पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा आप पुलिस फोर्स भेजने की कृपा करें । इस आदेश के अनुसार क्या यह सही नहीं है कि पुलिस फोर्स मकान गिराने के लिए लिया गया । श्रीमन्, 8 मकानों का स्टे जो प्राप्त था, उसमें से श्रीमती लतीफ और हमीदन का मकान गिरा दिया । क्या माननीय मन्त्री जिसको उन्होंने डिनाई किया है कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, उसके बावजूद भी जो मकान गिरा दिये गये हैं, उसके बारे में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जहां तक मकान गिराने का सम्बन्ध है, मकान पूरे कोई नहीं गिराये गये

हैं, शफीक, लतीफ और रफीक ने जो कुछ पोर्शन अनधिकृत बना लिए थे, उन्हीं का वह पोर्सन गिराया गया है, बाकी मकान नहीं गिराये गये हैं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिन मकानों को गिराने के लिये आदेश हुआ था, उसके बारे में माननीय हाई कोर्ट ने 1960 में स्टे कर दिया था, उन मकान मालिकों के पक्ष में, अगर इसकी जानकारी न हो, फाइल में भी न हो, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जानकारी करेंगे और जिन लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिस 1960 के जजमेंट से माननीय सदस्य इसको लिंक कर रहे हैं, वह इससे लिंक नहीं हो सकता है। जो 1960 का निर्णय था वह वेस्ट या इरेबिक लैंड के बारे मे था और यह जो अनधिकृत निर्माण है यह अभी आकर बाद में उस भूमि पर कई लोगों ने किया है, जहां पर रोड बना ली गई थी और यह जमीन बाकयदे एक्वीजीशन होकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में आ गई थी।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर नियुक्ति

*2—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में मई, 1980 में कुछ सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं (यांत्रिकी) को प्रोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी) के पद पर उनके मूल विभाग (सिंचाई) से पूछ कर की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी हां।

वर्ष 1980 में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सिंचाई विभाग के कुछ अवर-अभियन्ताओं को विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नति दी गयी। यह प्रोन्नति विभाग के कार्यहित में तदर्थ रूप से की गयी थी। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से किसी अधिकारी की प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री सन्त बख्श रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्ध मे जानना चाहता हूं कि जो अवर अभियंता शिफारिसी थे जिनकी पहुंच थी, वह डेपूटेशन पर गये, जिनकी कार्यविधि 1982 में समाप्त हो रही थी और वरिष्ठ अवर अभियन्ता मौजूद हैं जिनकी पदोन्नति नहीं हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में ऐसे तमाम अवर अभियंता हैं जो वरिष्ठ हैं, उनकी सीनियारिटी किल हुई है, उनको विभाग में कब तक वापस कर देंगे और इनको जो वापस नहीं किया है, इसके पीछे क्या राज है ? माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि अवर अभियंताओं को किन परिस्थितियों में पदोन्नति दी गई ? इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद कब तक इन्हें सिंचाई विभाग में वापस कर दिया जायगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

प्रश्न पुनः करा दें।

श्री सन्त बख्श रावत—

जो 80 में प्रतिनियुक्त पर आये थे वह सिफारिशी और कनिष्ठ लोग थे। उन लोगों ने प्रोन्नति भी प्राप्त कर लिया। सिंचाई विभाग में तमाम ऐसे अवर अभियन्ता थे, जो वरिष्ठ थे उनकी सीनियरिटी किल हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके हित को देखते हुए कब तक इन लोगों को विभाग में वापस कर देंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह नया विभाग है। इसके जो अवर अभियन्ता थे चूंकि सहायक अभियन्ता की जगह रिक्त थी, रिक्तियों को देखते हुए उनको पदोन्नति की गई है।

वन विभाग के लापता रेंज आफिसर, श्री भैरव दत्त पाठक, टनकपुर, नैनीताल की परिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

*3—श्री भीखा लाल—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी सचिव, योजना एवं श्रम मंत्री, भारत सरकार का पत्र दिनांक 13 मई, 1981 जिसके द्वारा दयाकिशन पाठक, किसान सहकारी चीनी मिल, मझोला, जिला पीलीभीत का प्रार्थना पत्र अग्रसारित किया गया है, निजी सचिव, वन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से उनके पिता श्री बी0 डी0 पाठक, रेंज अफसर, टनकपुर, जिला नैनीताल के 23-12-77 को सरकारी सेवा में लगे रहते समय गायब हो जाने तथा उनका पता न लगने के कारण शासन से आर्थिक सहायता की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी, ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

लापता रेंज अफसर श्री भैरव दत्त पाठक के परिवार को ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि के भुगतान करने हेतु विशेष परिस्थितियों में यू0 पी0 रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961 तथा पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 से सम्बन्धित नियमों को शिथिल करते हुए आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में महालेखाकार से उनको देय धनराशियों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार बन्ध पत्र भरवाकर उन्हें भुगतान किया जायेगा।

श्री पाठक के परिवार को विभागीय केनिंग बेनीवालेन्ट फण्ड से दिनांक 1-1-78 से 31-12-79 तक 100 रु0 प्रतिमाह तथा दिनांक 1-1-80 से 31-12-82 तक दो सौ रुपया प्रति माह की आर्थिक सहायता दी गयी है।

लापता श्री पाठक के पुत्र श्री आनन्द बल्लभ पाठक को माह मई, 1983 से लीसा मोहर्रिर के पद पर 345-5/10 के वेतनमान में नियुक्ति दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

कहीं डा0 संजव सिंह लिखते हैं, कहीं संजय सिंह लिखते हैं। कौन सी बात सही है, भविष्य में ध्यान रखें।

(श्री सुख देव प्रसाद, हरिजन कल्याण मंत्री के मुख्य मंत्री की कुर्सी के सामने से सीधे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

यह स्ट्रेंजर कौन है, इस सदन में।

श्री अध्यक्ष—

समाज कल्याण मंत्री जी भविष्य में ध्यान रखेंगे। इस तरह से नहीं जायेंगे।

श्री किरन पाल सिंह—

इनकी तलाशी ली जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

सदस्य नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं है।

श्री भीखा लाल—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी० डी० पाठक आपके विभाग में रेंजर थे 77 में वह गायब हो गये। आज तक सरकार उनका पता नहीं लगा सकी। उनकी ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन सब पेंडिंग में है। कोई भुगतान नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रेच्युटी का भुगतान कब तक उनके परिवार को कर दिया जायेगा।

संजय सिंह—

इसके बारे में फार्म भरने पड़ते हैं और महालेखाकार से उसकी स्वीकृति ली जाती है। इसके बारे में लिखत पढ़त हुई है। एक दो बार अधिकारी गये हैं। अब मैंने अपने उच्च स्तर के अधिकारी को भेजा है। मैं समझता हूं जल्दी ही इसका निपटारा हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा जिला फर्रुखाबाद का गेहूं के बीज की आपूर्ति

*4—श्री विमल प्रसाद तिवारे—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1983 में तराई विकास निगम द्वारा फर्रुखाबाद जिले को दिया गया एक हजार क्विंटल गेहूं का बीज घुन लगा हुआ था जो इस जनपद के कृषकों को बेचा गया ? क्या यह सही है कि जनपद के कृषि अधिकारी ने 29 नवम्बर, 1983 को इस बीज को न बेचे जाने के आदेश प्रसारित किए जब अधिकांश बीज कृषक बो चुके थे ? यदि हां, तो इस लापरवाही के लिए कौन दोषी है और उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा किसानों को हुई भारी क्षति की पूर्ति कैसे की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

जी नहीं। उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के लिए वर्ष 1983 में 1040 कुंतल प्रमाणित गेहूं बीज घुन रहित आपूर्ति किया गया था।

जी हां। 22-11-83 को खराब गेहूं बीज की जानकारी प्राप्त होने पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा उसे वितरित न कराये जाने के निर्देश जारी किये और कृषकों द्वारा वापस किए गये गेहूं बीज के बदले अच्छा बीज दिया गया।

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के तीन भाग हैं पहले भाग में यह जानकारी चाही गयी है कि क्या तराई विकास निगम ने घुना हुआ बीज कृषकों को दिया ? इसमें अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलाया है, 'जी नहीं'। नीचे के हिस्से में स्वीकार किया गया कि वर्ष 1983 में 1040 कुन्टल प्रमाणित गेहूं बीज घुन रहित आपूर्ति किया गया था। दूसरे हिस्से का जवाब दिया है कि 22-11-83 को खराब गेहू बीज की जानकारी प्राप्त होने पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा उसे वितरित न कराये जाने के निर्देश जारी किये और कृषकों

द्वारा वापस किये गये गेहूं बीज के बदले अच्छा बीज दिया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1040 कुन्टल में से कितना गेहूं कृषकों को खराब दिया गया था, कितने कृषकों ने उसे बो लिया था और कितनों ने गेहूं बीज वापस कर दिया ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना भयंकर अपराध तराई विकास निगम ने किया, कृषकों के साथ खिलवाड़ किया, घुना हुआ बीज दे दिया और उसके बाद उत्तर दे दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता ? तो क्या माननीय मंत्री जी तराई विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती बेनीबाई--

मान्यवर, 22-11-83 को जानकारी हुई। बोरा में कहीं-कहीं पाई लगी हुई है। 684 कुन्टल गेहूं का बीज बांटा गया था बाकी नहीं बंटा था। किसानों ने जैसे ही बीज वापस किया था उनको अच्छा बीज दे दिया गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 684 कुन्टल घुन लगा हुआ बीज वितरित हो गया, तो जिन किसानों ने वह बीज बोया उनको भारी क्षति उठानी पड़ी, उनको क्या शासन मुआवजा देने की कोशिश करेगा ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, फर्रुखाबाद चिन्तित हैं कि काश्तकारों को घुना हुआ बीज तकसीम किया गया, उसके लिए क्या मुआवजे की घोषणा करेंगे ? मैं इसमें स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि 1040 कुन्टल बीज पूरा का पूरा घुना हुआ नहीं था। 275 कुन्टल और जो 81.41 के करीब वापस किया गया, इस तरह से 356 कुन्टल बीज जो घुना हुआ था उसको तकसीम नहीं करने दिया गया, जो तकसीम हो गया था उसके बदले में शुद्ध बीज किसानों को दे दिया गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरी निश्चित जानकारी है कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। 1040 कुन्टल गेहूं बीज सबका सब घुना हुआ था और उत्तर में भी यह आ गया है। मान्यवर, यह किसानों के मंत्री जी हैं कर्मठ मंत्री हैं, तो क्या यह जानकारी करने का कष्ट करेंगे कि पूरा बीज घुन लगा हुआ था ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मुझे जो जानकारी है इस सम्बन्ध में तराई विकास निगम के अधिकारियों ने शुद्ध बीज दिया और इस सम्बन्ध में लिखित रूप से उनसे लिया गया कि पूरा का पूरा बीज शुद्ध है। उसके बाद खराब गेहूं की जानकारी होने पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा उसे वितरित न कराये जाने के आदेश दिये गये। इससे स्पष्ट है कि जो तराई विकास निगम द्वारा जानकारी दी गयी वह पूर्णतया स्पष्ट है। तो वह पूर्णतया शुद्ध था, अब उसके बाद में उसमें घुन या खर्रा, जिसे हमारी तरफ पाई कहा जाता है, लग सकता है। बहरहाल पूरा का पूरा बीज घुना हुआ नहीं था। केवल 356 क्विंटल बीज घुना हुआ था, जिसमें से 81.41 क्विंटल रिप्लेस कर दिया गया था और बाकी बेचने से रोक दिया गया था।

*5--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

[मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

ग्राम टेकसाल, जिला वाराणसी स्थित टकसाल थिएटर एवं मिन्ट हाउस की भूमि की सीलिंग

*6--श्री ऊदल--

1984 के प्रथम सत्र के चौथे गुरुवार के अता० प्र० सं० 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम टेकसाल 40 देहात अमानत, त० व जिला वाराणसी की म्युनिसिपल म० न० एस० 18/2-ए आराजी नं० 34/4 विस्तार रकबा 3 एकड़ 46-1/2 डि० की धारा 21 (1) में महाराज कुमार अनन्त नारायण सिंह के नाम छूट दी गयी है ? क्या इसी जमीन में बिना छूट के ही टकसाल सिनेमा बनाया गया और बैंक की स्थापना की गयी है? क्या यह भी सही है कि इसी भूमि में मिन्ट हाउस है और इन दोनों को नहीं दिखाया गया और पूर्व टकसाल थियेटर दक्षिण पटेल नगर कालोनी पश्चिम सड़क उत्तर सड़क दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि टकसाल थियेटर एवं मिन्ट हाउस की भूमि को अधिकतम सीमा विनियम अधिनियम, 1976 की धारा 8 (4) के अन्तर्गत नहीं दिखाया गया है और उक्त थियेटर 1976 के बाद बनाया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टकसाल थियेटर की जमीन किसकी थी और क्या वह भी सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत आती थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उस जमीन में बैंक और टकसाल थियेटर दोनों बन गये हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय, यह जमीन महाराज अनन्त कुमार नारायण सिंह और दूसरे वाराणसी डेवलपमेंट सोसाइटी की जमीन थी ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इसकी पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह जमीन पर, जो बैंक और सिनेमा बना हुआ है, जिसके लिए बहुत दिनों तक अनुमति नहीं दी गयी थी, सीलिंग ऐक्ट लागू होने के बाद बना है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय, इस सम्बन्ध में मेरी निश्चित जानकारी है कि यह सिनेमा वाराणसी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की भूमि पर बना हुआ है । सन् 1976, जबकि यह कानून लागू हुआ, के पहले ही इसकी इमारत वहां बन चुकी थी । इसलिए मैं समझता हूं कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम गुढ़ा, जिला रायबरेली के कास्तकारों का कुलाबा के त्रुटिपूर्ण निर्माण विषयक प्रार्थना-पत्र

*7--श्री मोहन सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम गुढ़ा, जिला रायबरेली के कास्तकारों ने दिनांक 11-4-83 को एक प्रार्थना-पत्र गुढ़ा रजबहा के कुलाबा नं० (13-अ) को कच्ची एवं पक्की नाली के निर्माण में की गई धांधली एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय कृषि एवं सतर्कता सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को दी थी जिसकी प्रतिलिपियां माननीय प्रशासक शारदा सहायक कमाण्ड विकास परियोजना तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ को एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) उ० प्र०, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी ? क्या यह बात सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्रों की जांच

श्री बी० एन० मिश्रा, इन्सपेक्टर विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि सेल) कृषि भवन लखनऊ ने दिनांक 15-5-83 को किया था और दिनांक 8-9-83 एवं 19-1-84 को श्री नन्द किशोर उप-कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) शारदा सहायक कमाण्ड महानगर मण्डल, लखनऊ ने भी किया था और अपनी जांच रिपोर्ट माननीय उप प्रशासक शारदा सहायक कमाण्ड, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट क्या है तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां । ग्राम गुढ़ा, जिला राय-बरेली के काश्तकारों का दिनांक 11-4-83 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) लखनऊ द्वारा दिनांक 8-9-83 को की गयी थी । इस जांच में निर्माण कार्य में कतिपय प्राविधिक कमियां/त्रुटियां पायी गयी हैं । जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है ।

(1) निर्माण कार्य में पायी गयी कमियों/त्रुटियों का सुधार करा दिया गया है ।

(2) कमियों/त्रुटियों के सुधार में किये गये पुनर्निर्माण में हुये व्यय की धनराशि की वसूली उत्तरदायी कर्मचारियों से की जा रही है ।

(3) सम्बन्धित सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक को तथ्यात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है ।

(4) भूमि संरक्षण निरीक्षक, अधिदर्शक एवं प्राविधिक सहायकों को कठोर चेतावनी दी गयी है ।

(5) भूमि संरक्षण अधिकारी को कठोर चेतावनी दी गयी है तथा अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है ।

दिनांक 19-1-84 को उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, लखनऊ द्वारा जो जांच की गयी वह उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-4-83 से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इनके दूसरे पैरे में लिखा है कि कमियों/त्रुटियों के सुधार में किये गये पुनर्निर्माण में हुए व्यय की धनराशि की वसूली उत्तरदायी कर्मचारियों से की जा रही है, तो यह जो वसूली होनी है, इसकी धनराशि कितनी है और इसके लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी पाये गये ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, कमियों/त्रुटियों के सुधार में किये गये पुनर्निर्माण में हुए व्यय की कुल धनराशि 2,671·16 रुपये है । उसमें मान्यवर, जो अधिकारी उत्तरदायी पाये गये हैं, उनके नाम हैं सर्वश्री चन्द्र पाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षक/निरीक्षक, टी० पी० सिंह, भूमि संरक्षक/निरीक्षक, केशव लाल चौधरी, अधिदर्शक और जसवन्त सिंह, प्राविधिक सहायक हैं ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर के अन्तिम पैरा में देखें उसमें लिखा है कि दिनांक 19-1-1984 को उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा जांच की गई, परन्तु वह उक्त प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित नहीं थी, तो माननीय मंत्री जी यह बतायें कि वह जांच किस प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रार्थना-पत्र में कतिपय शिकायतें, जो मूल पत्र में नहीं थी, उस प्रार्थना-पत्र में दी गई हैं, तो क्या उन पर भी जांच की गई और जांचोपरान्त उसमें भी कोई कमी पायी गयी ? यदि हां, तो वे कमियां क्या-क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जो जांच की गई है, वह शायद वी0 एल0 मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान अधिकारी से सम्बन्धित नहीं है ।

मोतीझील कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ में पानी की आपूर्ति

*8—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोतीझील कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ में इस समय पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण पीने के पानी का गम्भीर संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जांच कराकर अविलम्ब इस अव्यवस्था को दूर करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोतीझील कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ में पानी की आपूर्ति संतोषजनक रूप से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐशबाग स्थित मोतीझील कालोनी, जो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की है, में पानी का पूर्ण अभाव है । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह बिल्कुल गलत है । क्या माननीय मंत्री जी आज स्वयं वहां जाकर इसे देखेंगे, यदि वहां पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसकी तुरन्त व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे और जिन अधिकारियों ने यह उत्तर दिया है, उन्हें दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जो सूचना मुझे दी गयी है, उसके अनुसार यह बताया गया है कि प्रथम तल व भू-तल पर पानी की सप्लाई होती है, परन्तु जहां तक द्वितीय तल का सवाल है, उनमें भू-तल व प्रथम तल की तुलना में कम पानी जाता है, चूंकि वहां पर पानी का प्रेशर कम है । हो सकता है, अभी उन लोगों को परेशानी हो गई हो ।

पानी के इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक नलकूप वहां पर लगाये जाने का प्रस्ताव है, इस सम्बन्ध में मामला सरकार के पास विचाराधीन है । ज्यों ही यह हो जायेगा, पानी की समस्या दूर हो जायेगी । वैसे भी वहां की जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए इसको देखते हुये इस नये नलकूप को लगाये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय मंत्री जी वहां पर स्वयं जाकर इसे देखेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय, इसे दिखवा लिया जायेगा ।

बाराबंकी जिले में ग्राम पंचायत अधिकारियों का चयन एवं निरस्तीकरण

*9—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या ग्राम विकास मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी में ग्राम्य पंचायत अधिकारियों के 39 स्थानों के भरने हेतु माह जनवरी, सन् 1983 ई0 में 5 रुपये प्रति आवेदक के हिसाब से मु0 14,000 रुपया जिला गांव फण्ड, बाराबंकी में बजरिये ट्रेजरी चालान जमा कराया गया और दिनांक 20 जनवरी, सन् 1983 को उपरोक्त, सेलेक्शन कैंसिल कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा किये जाने तथा उपरोक्त

स्थानों को पुनः भरने हेतु पूर्व के आवेदकों को सम्बन्धित साक्षात्कार में शामिल न कर नये सिरे से सेवायोजन कार्यालय द्वारा नाम मंगा कर दिनांक 25-3-83 को साक्षात्कार कर उन्हें भरे न जाने का कारण क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जनपद बाराबंकी में ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त 23 स्थानों को भरने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी द्वारा दिनांक 25 जून, 1983 को विज्ञापन निकाला गया था जिसके विरुद्ध कुल 2,062 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा 5 रु0 प्रति आवेदक के जरिये ट्रेजरी चालान परीक्षा के रूप में 10,310 रु0 जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी की वैयक्तिक लेखा जिला गांव फण्ड में जमा कराया गया । उक्त चुनाव में कतिपय अनियमितता होने तथा शिकायतें प्राप्त होने पर निदेशक पंचायत राज ने अपने पत्र दिनांक 19-11-83 द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी को चुनाव निरस्त करने हेतु लिखा था जिसके अनुपालन में जनवरी, 1984 में चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी गयी ।

जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी द्वारा सेवायोजन कार्यालय, बाराबंकी से नाम मांग कर दिनांक 25-3-84 को साक्षात्कार कर 28 ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति जनपद बाराबंकी में की गई । पूर्व आवेदकों के प्रार्थना-पत्र निरस्त हो जाने के कारण उनके चुनाव पर विचार नहीं किया गया ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि उक्त चुनाव में कतिपय अनियमितता होने तथा शिकायतें प्राप्त होने पर निदेशक पंचायतराज ने अपने पत्र दिनांक 19-11-83 द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी को चुनाव निरस्त करने हेतु लिखा जिसके अनुपालन में जनवरी, 1984 में चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी गयी । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जिन कतिपय शिकायतों का सहारा लिया गया है, वह शिकायतें किनके द्वारा की गयी हैं, कब की गयी हैं और वह शिकायतें क्या हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, अनियमितताओं की शिकायतें पंचायतराज अधिकारी को दिनांक 19-11-83 को प्राप्त हुई थीं । सर्वश्री महावीर राणा, सदस्य विधान परिषद् व श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा 28 मार्च, 1984 को चुनाव निरस्त करने तथा मामले की जानकारी के लिए सूचना दी गयी थी ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से यह भी जानकारी चाही थी कि वह शिकायतें क्या हैं ? जिनके आधार पर चुनाव निरस्त किए गए, उन शिकायतों को भी पढ़ दिया जाय तथा शिकायतों का आधार भी स्पष्ट किया जाए ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, विज्ञापन समाचार-पत्रों के माध्यम से न कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी बाराबंकी द्वारा तहसील कार्यालयों व खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा दिया गया था जिससे सम्पूर्ण लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी जो नियमानुसार प्रक्रिया नहीं थी तथा जब शासनादेशों व उत्तर प्रदेश पंचायत राज सेवक निवमावली, 1978 के विरुद्ध अनियमित रूप से चुनाव कराये जाने की सूचना निदेशक, पंचायतराज को प्राप्त हुई तो उन्होंने जिलाधिकारी, बाराबंकी को रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी द्वारा की गयी अनियमित कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश दिया तत्पश्चात् जिलाधिकारी, बाराबंकी ने कार्यवाही जनवरी, 1984 में निरस्त कर दी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्वयं स्पष्ट हो गया कि गलती जिला पंचायत राज अधिकारी की है परन्तु सजा अभ्यर्थियों को मिल रही है, तो जिन लोगों के कारण यह चुनाव प्रक्रिया निरस्त हुयी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है और जिन अभ्यर्थियों से 5-5 रु0 लिए गए हैं क्या वह उन्हें वापस किये जायेंगे और दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी अब तक ? और क्या कोई अब तक ऐसा निश्चय हुआ है कि उन अभ्यर्थियों का रुपया वापिस दिया जायेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि आवेदकों को दन्ड दिया गया, तो इसकी बाबत कहना यह है कि उस सम्बन्ध में व्यवस्था कर दी गयी थी कि उनका पैसा उनको वापिस कर दिया जायेगा । उन अनियमितताओं को देखते हुए चयन सम्भव नहीं था और जो हुआ था उसको निरस्त किया गया । इसके लिए वरिष्ठ वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी के निदेशालय की ओर से इसकी जांच की कार्यवाही हो रही है । उनको चार्जशीट कर दिया गया है । यह 30 नवम्बर को रिटायर होने वाले थे, इसलिए इनको सस्पेन्ड नहीं किया गया, वरना सस्पेन्ड भी कर दिया जाता ।

*10—श्री छत्तर सिंह—

[2रे सोमवार के लिए स्थगित ।]

ग्राम बांसी, जिला ललितपुर को पेयजल की टंकी से ग्राम छिपाई, रामपुर, मुहारा को पेयजल की आपूर्ति

*11—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसी, ललितपुर में पेयजल की टंकी से ग्राम छिपाई, रामपुर, मुहारा, कल्यानपुरा तक पेयजल की लाइन बिछाने एवं उपभोक्ता को कनेक्शन देने के बाद भी पेयजल वितरण प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नगर विकास मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

ग्राम बांसी, जनपद ललितपुर में बनी पेयजल की टंकी से सम्बन्धित ग्राम छिपाई, रामपुर, मुहारा, कल्यानपुरा को पेयजल वितरित किया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले के जीयनपुर पेयजल योजना के नलकूप की मोटर के जलने की घटना

*12—श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर पेयजल योजना के एक नलकूप का मोटर अप्रैल/मई, 1984 में जल गया तथा दूसरे नलकूप से टंकी में पानी नहीं चढ़ पा रहा था जिसके कारण जीयनपुर अजमतगढ़ टाउन एरिया तथा आस-पास के, गांव की जनता इस भीषण गर्मी में पेय-जल के भीषण संकट में फंस गयी थी ? यदि हां, तो इसका शीघ्रता से ठीक न कराने के लिए कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विपरीत क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह सही है कि आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर पेयजल योजना के नलकूप संख्या 1 का मोटर दिनांक 25-4-84 को जल गया । पेयजल देने हेतु दूसरा नलकूप जो स्टैन्ड बाई है, को चालू किया गया लेकिन उसकी राईजिंग मेन से 28 अप्रैल को एक स्थान पर लीकेज हो जाने के कारण पानी टंकी में नहीं चढ़ पाता था । अतः सभी ग्रामों को डाइरेक्ट पम्पिंग द्वारा पानी दिया जाता रहा । पुनः दिनांक 2-6-84 को नलकूप नं0 1 का मोटर ठीक कराकर पानी

टंकी से दिया जा रहा है । इस सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, 25–4–84 को मोटर जल गयी, स्थानीय स्तर पर उसको बनाया गया और 2–6–84 को फिर चालू हो गयी । पूरे मई के महीने में, जबकि सबसे भीषण गर्मी पड़ रही थी, दोनों टाउन एरिया पानी से शून्य थे । मैं इसमें जानना यह चाहता हूं कि यह जो मोटर ठीक करायी गयी, यह कहां से ठीक करायी गयी और उसमें कितना समय लगा ? इसके अतिरिक्त, जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी एवं जांच के आदेश कब दिये गये थे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मोटर कहां से ठीक करायी गयी, यह तो मान्यवर, मैं समझता हूं, बताना बहुत मुश्किल है । लेकिन, स्पष्ट जानकारी है और जो मुझे लिखकर दी गयी है वह यह है कि इस मामले को जांच करायी जा रही है । इसकी मरम्मत 2–6–84 को पूर्ण करने के बाद उसी दिन से नलकूप नं0 2 का भी उपयोग किया जा रहा है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं इसकी बाबत कुछ सूचना देना चाहता हूं । जब मोटर जल गयी, तो मैं लगातार 5 दिन तक खोजता रहा । अधिशासी अभियंता से लेकर चौकीदार तक को, लेकिन सब लोग बरातों में व्यस्त थे । कोई उपलब्ध नहीं था, उस समय शादी ब्याह की लगनें चल रही थीं । जिले में कोई अधिकारी नहीं था । पम्पिंग स्टेशन पर मैं शिकायत लिखकर रख आया । मान्यवर, इससे स्थिति आप समझ सकते हैं कि दोनों टाउन एरियाज में पानी की स्थिति क्या रही होगी उस भीषण मई के महीने में । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे और जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें किसी उच्चाधिकारी द्वारा जांच करा ली जायेगी ।

बाराबंकी जिले की रुदौली–बरावा–कोलवा सड़क के निर्माण की मांग

*13—श्री रामहर्ष मिश्र तथा श्री जैराज सिंह मौर्य (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में रुदौली से बरावा वाया कोलवा सड़क निर्माण हेतु जिला परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क को अब तक पूर्ण न किये जाने का क्या कारण है ? अवशेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, लखनऊ में इन्जीनियरिंग अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

*14—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में शासन द्वारा यांत्रिकी अधिकारियों के तीन खंड स्वीकृत हैं जो क्रमशः भूगर्भ जल सर्वेक्षण अन्वेषणात्मक छिद्रण खंड प्रथम, खंड द्वितीय तथा डी0पी0ए0पी0 के नाम से हैं जहां पर यांत्रिकी कार्यों का सम्पादन देश के कृषकों के हित में होता है परन्तु किन परिस्थितियों में निदेशक द्वारा अन्य संवर्ग के अधिकारियों का प्रस्ताव अधिशासी अभियंता (यांत्रिकी) का चार्ज लेने हेतु 1983–84 में शासन को भेजा है ? जबकि इनके पास इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री नहीं है ?

श्री अरुण कुमार—

जी नहीं ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खंड प्रथम, लखनऊ ही एक मात्र अन्वेषणात्मक छिद्रण खंड के नाम से घोषित है । विभाग के प्रत्येक खंड में इंजीनियरिंग एवं नान–इंजीनियरिंग संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । अतः मात्र इंजीनियरिंग अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री यदुनाथ सिंह—

तीन वर्ग हैं भूगर्भ जल सर्वेक्षण के । एक बोरिंग करता है, दूसरा डी० पी०/ ए० पी० है, जो सूखे के समय राहत कार्य करता है, तीसरा, मैकेनिकल का काम करता है । कुछ लोग नान–टेक्नीकल हैं, कुछ टेक्नीकल हैं । मैं जानना यह चाहता था कि वर्ष 1983–84 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री जहां पर होनी चाहिये, वहां पर ऐसा कोई प्रस्ताव शासन की सिफारिश से भेजा गया है कि नान–टेक्नीकल लोगों की नियुक्ति कर दी जाय ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जैसा कि आपको मालूम है कि यह संगठन एक नये विभाग का स्वरूप ग्रहण कर रहा है, अतः इसका पुनर्गठन शासन के विचाराधीन है । यह एक बहुसंवर्गीय विभाग है । टेक्नीकल और नान–टेक्नीकल की व्याख्या अगर इंजीनियरिंग की डिग्री के आधार पर ही करना चाहते हैं तो इसमें बहुत से विभाग हैं । इनको अलग करके पूरे स्वरूप की कल्पना कर सकना सम्भव नहीं है । वैसे इसका पुनर्गठन शासन के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ, अब हम मद संख्या 3 लेंगे ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

खाद्य भंडारागार निगम एवं राज्य भंडारागार निगम द्वारा पुराने उर्वरक की कथित आपूर्ति

*15—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83 की रबी की बुआई में उर्वरक खाद्य भंडारागार निगम एवं राज्य भंडारागार निगम द्वारा लगभग सात वर्ष की पुरानी खाद की आपूर्ति गोरखपुर मन्डल में की गई है जिसे किसानों ने काट–काट कर बोरे से निकाल कर खेतों में डाला है ? यदि हां, तो इस प्रकार के उर्वरक की आपूर्ति से क्या लाभ है और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन–कौन हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[10वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग

*17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए आवश्यक नलों द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है तथा ग्राम सभाओं की आर्थिक स्थिति भी इस योग्य नहीं कि वह इन शौचालयों के

रख-रखाव तथा उनकी सफाई के लिए नियमित कर्मचारी रख सकें ।

*18—श्री रेवती रमण सिंह—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिले के प्रकल्प शाखा के अधिशासी अभियन्ता, श्री वी० बी० सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र

*19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं अन्य विधायकों ने चन्द माह पूर्व देवरिया प्रकल्प शाखा के अधिशासी अभियन्ता (श्री वी० बी० सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप युक्त पत्र दिए थे ? यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि आरोपों की प्रारम्भिक जांच में आरोप सही पाए गए ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

आरोपों की जांच करायी गयी । प्रारम्भिक जांच के आधार पर श्री वी० बी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को देवरिया से स्थानान्तरित कर दिया गया । अनियमितताओं की पूर्ण जानकारी के लिए शाखा का स्पेशल आडिट कराया गया, जिसके आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है । लेखा परीक्षा के अनुसार प्रथम दृष्ट्या गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं । अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने का मामला विचाराधीन है ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा रीची ग्राम की भूमि को फ्रेन्ड्स हाउसिंग सोसाइटी को आवंटन

*20—श्री केदार नाथ सिंह तथा श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा के दो माननीय विधायकों ने 28 मार्च, 1984 को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25-10-83 की बैठक में रीची बांगर द्वितीय चरण की 17 एकड़ भूमि को किसी हाउसिंग सोसाइटी के हक में छोड़े जाने के सम्बन्ध में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की थी ? यदि हां, तो पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं और शासन ने उन पर क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

माननीय विधायक श्री दयाल कृष्ण, मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र तथा श्री लोकमणि शर्मा, माँट क्षेत्र के उक्त पत्र दिनांक 28-3-84 में मुख्य शिकायत यह थी कि मथुरा विकास प्राधिकरण ने रीची ग्राम में स्थित बहुमूल्य बांगर भूमि में से 17.16 एकड़ भूमि को फ्रेन्ड्स हाउसिंग एन्ड डेवलमेन्ट सोसाइटी को अपने प्रस्ताव संख्या 10/16 दिनांक 25-10-83 की बैठक में आवंटन करने का निर्णय लिया है तथा यह प्रस्ताव शासन की पुष्टि हेतु भेजा है । माननीय विधायकगणों ने यह भी शिकायत की है कि उक्त प्रस्ताव आगरा मंडल के मंडलायुक्त की अनुपस्थिति में पारित हुआ है और उसकी कोई सूचना विधायकों को नहीं दी गयी । यह भी व्यक्त किया गया है कि फेन्ड्स हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यगणों ने अधिकतर राजनैतिक नेता होने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों पर दबाव डालकर यह कार्य

कराया तथा इसमें सम्बन्धित अधिकारियों को धन भी दिया गया है ।

माननीय विधायकों के शिकायती पत्र को दिखते हुए सन्दर्भगत मामले में अग्रेतर कार्यवाही रोकने तथा आख्या भेजने हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मथुरा-वृन्दावन को शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे । मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-8-84 में उक्त योजना में से अवमुक्त की गई भूमि को सम्मिलित करते हुए अब 62.71 एकड़ भूमि अर्जित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम मूसाखंड, जिला वाराणसी की वन भूमि पर हरिजनों का कब्जा

1—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री को जानकारी है ग्राम मूसाखंड, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में वन भूमि हरिजनों (चमार) के कब्जे में मुद्दत से है और वे इस पर काश्त करते चले आ रहे हैं ? क्या यह सही है कि यहां नियमन की कार्यवाही नहीं की गयी और हर प्रकार के कागजात उप अरण्यपाल रामनगर, वाराणसी म हरिजनों ने समय से दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री संजय सिंह—

जी हां । इस प्रकरण की जांच कराये जाने पर ये तथ्य प्रकाश में आये हैं कि तहसील चकिया, जनपद वाराणसी के आरक्षित वन सीमा के अन्दर 56 हरिजन व्यक्तियों ने 49.85 एकड़ क्षेत्र पर अतिक्रमण किया हुआ था । यह कहना सही नहीं है कि जो क्षेत्र नियमितीकरण के योग्य था उसका नियमितीकरण नहीं किया गया । वास्तविकता यह है कि उक्त हरिजनों में से 34 हरिजनों के पक्ष में 10.24 एकड़ भूमि का नियमितीकरण किया गया क्योंकि उनके द्वारा उक्त भूमि पर किया गया अतिक्रमण दिनांक 8-11-73 से पूर्व का पाया गया ।

शेष 22 हरिजनों द्वारा 39.61 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है जो दिनांक 8-11-73 के बाद का है जो शासनादेश दिनांक 1-11-75 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमितीकरण योग्य नहीं है ।

मिर्जापुर जिले के बरईपुर-डुमरी मार्ग का निर्माण

2—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के ब्लाक जमालपुर के अन्तर्गत बरईपुर-डुमरी मार्ग का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया गया और इस पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार इस मार्ग को शीघ्र लेपन कराकर जनता के अवागमन हेतु उपलब्ध करायी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खंड जमालपुर में बरईपुर-डुमरी मार्ग निर्माण कार्य फरवरी 1981 में आरम्भ हुआ । इस निर्माण कार्य पर 2,24,016 रुपया का व्यय हुआ । लेपन कार्य के लिये लगभग आठ लाख रु० का अनुमान बताया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन निर्माण कार्यों की स्वीकृति देना तथा धन का वितरण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के विवेक पर है ।

लखनऊ जिले में जिला योजना के अन्तर्गत सामाजिक वनिकी हेतु धनराशि आवंटन

3—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में जिला

योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी हेतु वित्तीय वर्ष 81–82, 82–83 और 83–84 के कुल कितनी–कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और उसका उपयोग किन–किन विकास खंडों में किन–किन स्थानों पर किया गया ? क्या दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार वृक्षारोपण न करके इस योजना में दी गई धनराशि का भारी घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करवा कर जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव––

लखनऊ जनपद में जिला योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी हेतु वर्ष 1981–82 में 27 लाख रुपये, वर्ष 1982–83 में 25·60 लाख रुपये तथा 1983–84 में 26·88 लाख रुपये का आवंटन किया गया था, जिसके उपयोग की सूचना विकास खंड तथा स्थानवार निम्न प्रकार है । दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रवार वृक्षारोपण किया गया है अतः घोटाला का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष व विकास खंडवार निम्न प्रकार से किया है:

1––वर्ष 1981–82

विकास खंड	क्षेत्रवार विवरण	रोपित क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3
काकोरी	हरदोई–लखनऊ नहर ब्रांच मील 92–101	20·00
,,	एल0 आई0 टी0 वन ब्लाक	50·00
		70·00
चिनहट	फरीदीनगर–गुरभ्वा मार्ग	17·00
,,	चिनहट–गोमती सेतु मार्ग किमी0 0–7	6·00
,,	बादशाहनगर–जुगौर रेलवे लाइन	22·00
,,	कुकरैल पश्चिमी वन ब्लाक	125·00
,,	कुकरैल पूर्वी वन ब्लाक (ग्राम भुल–मुलपुर)	9.00
,,	कुकरैल पूर्वी ब्लाक (बैराज के समीप)	10·00
,,	महंगवा	10·00
		199·00
गोसाईगंज	सुल्तानपुर–लखनऊ रेलवे लाइन किमी0 1017–1022	51·00
सरोजनी नगर	बरौंली खलीलाबाद वन ब्लाक	25·00
,,	कुरौनी वन ब्लाक	7·00
		32·00
मोहनलाल–गंज	मोहनलालगंज–मोरावां मार्ग किमी0 2–6 तक	5·00
,,	कनकहा वन ब्लाक	5·00
,,	घनवासान्ड	50·00
		60·90

1	2	3
मोहनलाल-गंज	डलौना वन ब्लाक	40·00
,,	कनकहा वन ब्लाक	9·00
,,	कनकहा प्रायोगिक वृक्षारोपण	7·50
		56·50
चिनहट	शारदा कैनाल किमी0 47–52	80·00
,,	कुकरैल पश्चिमी ब्लाक	100·00
,,	टेरा सराय ग्राम समाज	4·70
,,	सुबवूल वृक्षारोपण कुकरैल	11·50
,,	फरीदीनगर–रहीम-नगर मार्ग	6·00
		152·20
कुल योग (1983–84) ..		325·70

वाराणसी जिले के धनापुर असोगापुर मइहर बोपट्टी मार्ग की सोलिंग

4––श्री बनवारी राम––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में विकास खंड भदोही के धनापुर असोगापुर, मइहर बोपट्टी मार्ग पर सोलिंग हेतु धन स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उस पर काम न लगने का क्या कारण है और कब तक कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव––

जी हां ।

उक्त मार्ग पर 1 कि0 मी0 सोलिंग कार्य के लिए एक लाख रुपये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा सोलिंग कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

कानपुर जिले के ग्राम चिलौली, शाही एवं टिढ़वा में हरिजन पेयजल कूप का निर्माण

5––श्री रामस्वरूप वर्मा––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों में पेयजल योजना के लिए हरिजनों हेतु बनने वाले कुओं का निर्माण स्वीकृत होने के कितने दिनों में पूरा होता है ? कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास क्षेत्र डेरापुर में कितने कुएं अभी निर्माणाधीन हैं तथा हरिजन कूप ग्राम्य सभा चिलौली, ग्राम शाही और टिढ़वा के कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट लग चुकी है, किन्तु यह कुएं अभी तक अधूरे पड़े हैं ? क्या यह भी सत्य है कि गांव सभा चिलौली का कुआं अभी अधूरा है और इस पर श्री रवीन्द्र तिवारी नामक सवर्ण ने अपना कब्जा कर लिया है और कुएं को अपने मकान की खिड़की के अन्दर कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव––

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एवं बजट उपलब्धता के आधार पर लगभग एक वर्ष में कूप पूर्ण होता है किन्तु वर्षा ऋतु के पश्चात् मिट्टी सेट होने पर ही जगत एवं खम्भों का निर्माण कराना उपयुक्त होता है । विकास क्षेत्र डेरापुरा के अन्तर्गत केवल ग्राम्य डुदौली का कूप निर्माणाधीन है, अन्य ग्रामों जैसे चिलौली, शाही एवं टिढ़वा के कूप निर्माण कार्य अब पूर्ण हो चुके हैं । ग्राम सभा चिलौली के हरिजन पेयजल कूप में जगत एवं खम्भों के निर्माण का कार्य अब पूर्ण हो चुका है । जब इस कूप का निर्माण हो रहा था, उसी समय

श्री रवीन्द्र तिवारी ने अपने मकान की दीवाल का निर्माण कुएं के गोले के एक तरफ मिलाकर किया था और कूप प्रयोग हेतु एक छोटा दरवाजा लगवा लिया है । श्री तिवारी ने इस कुएं को अपने मकान के अन्दर नहीं लिया है । हरिजन उक्त कुएं का उपयोग पूर्ववत् कर रहे हैं ।

गोरखपुर जिले के विकास खण्ड खोराबार कौड़ीराम, पिपरौली के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

6—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर में विक स खण्ड खोराबार, कौड़ीराम, पिपरौली बाजार में 82–83 एवं 83–84 में कुल कितने कि० मी० सड़कों का खड़ंजा किया गया तथा कितनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बनाई गई ? क्या 84–85 की योजना में विकास खंड खोराबार की डागीपार–सिकटौर, महुई, सुधरपुर–बड़गो, चिमापुर–रामपुर मार्ग विकास खंड कौड़ीराम में चवरिया–धस्की डवरपार–कतरारी विकास खंड पिपरौली में उचगांव–प्यव–हरिया, मड़वारिया कुआं से हरदिया पिछौरा, श्रीपुरा–डफेरा, खानमुर–तेनुआ–खार–पिपरौली खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों की मरम्मत करके खड़ंजा बिछाया जायेगा ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 82–83 व 83–84 में इन विकास खंडों में संलग्न सूची में उल्लिखित पांच सड़कों के निर्माण कार्य किए गए । जहां तक श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत बनी सड़कों की मरम्मत कराने का सम्बन्ध है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों की स्वीकृति देने तथा धन उपलब्ध कराने के लिए अभिकरण स्वयं सक्षम व उत्तरदायी है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 103 पर ।)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

7—श्री राम औतार दीक्षित तथा श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में श्री एम० आर० सिद्दीकी कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता द्वारा विभाग में नव–सृजित परिमण्डल/प्रखण्डों के रिक्त पदों पर जो नियुक्तियां की गयी हैं उनके लिए कोई विज्ञापन निकाला क्या सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि स्वीकृत पद से 37 बाबुओं तथा 15 चपरासियों को अधिक लगाया गया तो क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन पदों पर किस प्रकार के लोगों की किन परिस्थितियों में नियुक्तियां की गयी तथा इनका स्वीकृत पद से अधिक हो जाने पर इनका वेतन यह किस मद से दे रहे हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी नहीं । विभाग में कार्यरत वर्क–चार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्म–चारियों में से वर्ष 1982 में नवसृजित परिमण्डल कानपुर एवं उसके अन्तर्गत प्रखण्डों के लिये स्वीकृत पदों के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता के स्तर से 24 तृतीय श्रेणी तथा 11 चतुर्थ श्रेणी के कर्म–चारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गयी । स्वीकृत पदों से अधिक बाबू तथा चपरासी कार्यरत नहीं हैं ।

जिला पौड़ी गढ़वाल की ग्राम सभा
काण्डा सितोन्स्यू सल्डांग गधेरे
पर पुलिया के निर्माण हेतु
दिया गया ठेका एवं
अपूर्ण पुलिया का
संशोधित प्राक्कलन

8—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोटी की ग्राम सभा कान्डा सितोन्स्यू के अन्तर्गत बुरांसी-कान्डई आदि गांवों को जाने के मार्ग पर सल्डांग गधेरे पर खन्ड विकास अधिकारी, कोट द्वारा वर्ष 1978 के लगभग क्या कोई पुलिया निर्माण का ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो यह ठेका किसको दिया गया था तथा इस पुलिया निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी और ठेकेदार को कार्य के कुल कितने मूल्यांकन पर कितनी धनराशि भुगतान की गयी थी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

ग्राम सभा काण्ड सितोनस्यू सल्डांग गधेरे पर पुलिया निर्माण का ठेका श्री चन्द्र मोहन सिंह लिंगवाल, ग्राम कोटसाण्डा सितोनस्यू को दिया गया । उक्त निर्माण कार्य हेतु चौदह हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई और ठेकेदार को सात हजार पांच सौ तीस रुपये के मूल्यांकन पर दिनांक 6-5-1980 को छः हजार रुपये तथा दिनांक 20-5-1981 को एक हजार पांच सौ तीस रुपये अर्थात् कुल सात हजार पांच सौ तीस रुपये का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी, कोट द्वारा किया गया ।

9—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि तब से अभी तक उक्त पुलिया का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है और जनता को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो इस अपूर्ण कार्य को इतने लम्बे समय तक पूर्ण न करवाये जाने तथा विलम्ब से उत्पन्न सभी स्थितियों के प्रति कौन उत्तरदायी है और पुलिया के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ? कब तक अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पुलिया निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ने के कारण कार्य अपूर्ण है । तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ठेकेदार की जमानत की धनराशि जब्त की गई । खण्ड विकास अधिकारी इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए संशोधित प्राक्कलन तैयार करा रहे हैं ।

श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी, बोरिंग
मैकेनिक, लघु सिंचाई
विभाग, लखनऊ के
वेतन का भुगतान

10—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बोरिंग मैकेनिक, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ (श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी) के वेतन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री प्रदीप कुमार यादव के पत्र दिनांक 4-1-1984 तथा दिनांक 10-2-1984, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी, बोरिंग मैकेनिक, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ के वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री प्रदीप कुमार यादव का केवल एक पत्र दिनांक 10-2-1984 प्राप्त हुआ है । श्री

त्रिवेदी को नियमित वेतन का भुगतान किया जा चुका है तथा अवशेष देयों सम्बन्धी भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले में प्रामीण योजना के अन्तर्गत किया गया निर्माण कार्य

11—श्री लालसा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला आजमगढ़ में वर्ष 1981–82 व 1982–83 तथा 1983–84 में वर्षवार कुल कितना धन शासन द्वारा प्राप्त हुआ तथा किन–किन विकास खण्डों में कौन–कौन सा निर्माण कार्य कराया गया ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत कुल बजट का 2/5 प्रतिशत हरिजन कल्याण के कार्यों में खर्च किया गया ? यदि हां, तो किन–किन विकास खण्डों में कौन–कौन सा कार्य हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम सिलहटा, मुंडेरा एवं भगने के हरिजनों के मकान में मरम्मत हेतु दी गयी धनराशि

9716

12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक बहनपुर में वर्ष 1981–82 में हरिजनों व कमजोर वर्गों के आवास बनाने एवं क्षतिग्रस्त मकानों के मरम्मत के नाम पर ग्राम सिलहटा मुन्डेरा में 56 हजार रुपये एवं ग्राम भगने में हजार रुपये दिए गये और मात्र कुछ ही धनराशि सामान रूप में देकर ग्राम्य विकास अधिकारी ने लगभग 55 हजार रुपये रख लिया जिसके विषय में प्रश्नकर्ता ने जिला गोरखपुर के ए0 डी0 एम0 (डी0), ग्राम विकास मंत्री एवं मुख्य मंत्री आदि को माह जनवरी, 1984 से माह 19 फरवरी, 1984 तक अनेक सूचनायें दिया है ? यदि हां, तो इतनी बड़ी अनियमितता, दुरुपयोग एवं घपले के विषय में अब तक क्या किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर जनपद के विकास खंड ब्रह्मपुर के ग्राम सिलहटा मुंडेरा तथा भगने में वर्ष 1981–82 में प्रत्येक ग्राम में दस–दस क्षतिग्रस्त आवासों के मरम्मत हेतु (मु0 700 रु0 प्रति आवास की दर से) खंड विकास अधिकारी, ब्रह्मपुर ने क्रमशः 7–7 हजार रुपया स्वीकृत किया था और सभी आवासों का मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका सत्यापन सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ने किया है ।

इसी प्रकार वर्ष 1981–82 में ग्राम–सिलहटा मुन्डेरा में 18 पक्के आवासों के निर्माण हेतु (मु0 4,500 रु0 प्रति आवास की दर से) खंड विकास अधिकारी ने मु0 18 हजार रुपया स्वीकृत किया था । इनमें से 15 आवास पूर्ण हो चुके हैं । एक आवास का निर्माण सिविल कोर्ट के आदेश से स्थगित है तथा दो आवासों पर निर्माण कार्य चल रहा है । पूर्ण 15 आवासों से सम्बन्धित पूर्णता प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों को सहायक विकास अधिकारी (ल0 सि0) ने सत्यापित किया है ।

माननीय विधायक द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच सहायक अभियन्ता (ल0 सि0) द्वारा करायी गयी थी । जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में की गयी शिकायतों को असत्य पाया ।

स्थानीय निकाय, निदेशालय में अवर अभियन्ताओं के पद पर कृषि डिप्लोमा धारकों का नियुक्त किये जाने सम्बन्धी शासनादेश

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव नगर विकास विभाग को विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन (श्री हरिमोहन) प्राविधिक शिक्षा अनु0-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 यू0 ओ0 87 ईडी/18-ध-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा (3 वर्षीय) प्राविधिक शिक्षा परि0, उ0 प्र0 द्वारा संचालित को अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के समकक्ष बताते हुए नियुक्तियों के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद से अब तक विभाग में कितने अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां हुई तथा उसमें कितने कृषि डिप्लोमा इंजीनियरिंग धारकों में से नियुक्त किया गया ? यदि नहीं नियुक्त हुए, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण—

संदर्भगत शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 1979 के साथ दिनांक 7 फरवरी, 1979 का कार्यालय ज्ञाप, जिसमें अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ कृषि अभियन्त्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को उपयुक्त पदों पर भर्ती हेतु मान्यता प्रदान की गई थी, संलग्न कर कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों को विभाग में जूनियर अथवा समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु शासनादेश निर्गत करने के आदेश दिये गये थे । दिनांक 28 मार्च, 1979 से अब तक 319 अवर अभियन्ताओं को सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया जिसमें से कृषि डिप्लोमा धारक कोई भी नहीं है । सन्दर्भगत शासनादेश में कृषि डिप्लोमा धारकों को उपयुक्त पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश थे, अतः निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रश्नगत शैक्षिक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं ।

कानपुर की बट कालोनी के प्लास्टर के नमूने की जांच

14—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 में तत्कालीन नगर विकास मन्त्री ने कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बट कालोनी का निरीक्षण कर दीवाल की प्लास्टर में घटिया प्लास्टर का नमूना लिया था ? यदि मसाला घटिया था तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण—

तत्कालीन आवास मंत्री जी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 9-1-81 में इस बात का उल्लेख किया था कि उन्होंने दिनांक 7-1-1981 को प्रश्नगत कालोनी का निरीक्षण किया था, प्लास्टर का नमूना लिये जाने के बारे में उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा था । अतः यह कहना कठिन है कि उन्होंने प्लास्टर का कोई नमूना लिया था । एक नमूना तत्कालीन आवास सचिव ने अवश्य लिया था जिसकी जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय से कराई गई और उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा बी0 एच0 सी0 की खरीद एवं प्रतिकिलो खरीद की दर

15—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंग कि नगर महापालिका,

वाराणसी ने 1982-83 में दस परसेंट व पचास परसेंट की बी० एच० सी० कितने मात्रा में कहां से खरीदा है ?

श्री विद्या भूषण--

नगर महापालिका, वाराणसी ने वर्ष 1982-83 में बी० एच० सी० के 10 परसेंट जय भारत बीज भण्डार तथा श्री प्रमोद कुमार प्रत्येक से 15,000 कि० ग्रा० क्रय की थी। बी० एच० सी० 50 परसेंट भी जय भारत बीज भण्डार से 15,000 कि०ग्रा० खरीदी गयी।

16--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दस परसेन्ट की बी० एच० सी० का भाव एक रुपया तीस पैसा के० जी० एवं पचास फीसदी का भाव 6 रु० 50 पैसा के० जी० है और उसको नगर महापालिका ने क्रमशः तीन रुपया तीस पैसा एवं तेरह रुपया पचास पैसा के हिसाब से खरीदा है ? यदि हां, तो उद्योग निदेशक के क्रय अनुबन्ध से उपरोक्त खरीदारी की गयी है कि नहीं ?

श्री विद्या भूषण--

बी० एच० सी० 10 परसेन्ट जय भारत बीज भंडार से 2.10 रु० प्रति किलो तथा श्री प्रमोद कुमार से 3.83 रु० प्रति किलो की दर से खरीदा गया तथा बी० एच० सी० 50 परसेन्ट 9.00 रु० प्रति किलो की दर से खरीदा गया।

उद्योग निदेशक के क्रय अनुबन्ध से उक्त खरीददारी नहीं की गयी, वरन टेंडर प्रक्रिया द्वारा न्यूनतम दर पर की गयी।

नगर पालिका लहरपुर, सीतापुर के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

17--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि श्री भगवती प्रसाद शर्मा, निवासी लहरपुर, जनपद सीतापुर का अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिनांक 1-3-84 को जो नगरपालिका, लहरपुर, में खंरजा, अतिक्रमण तथा टैक्स के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी/परगनाधिकारी को मिला है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां, कथित पत्र जिलाधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में दिनांक 2-3-84 को प्राप्त हुआ था जिसे जांच हेतु परगनाधिकारी, सीतापुर को भेजा गया था। उक्त पत्र परगनाधिकारी/नगरपालिका स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसकी खोज की जा रही है।

नगरपालिका, लहरपुर में खड़ंजा, अतिक्रमण तथा टैक्स के सम्बन्ध में ही श्री वी० पी० शर्मा प्रवक्ता, किसान इंटर कालेज, सरैया का शिकायती पत्र दिनांक 24-4-83 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका, लहरपुर द्वारा की गयी और शिकायतों को निराधार पाया गया।

मैनपुरी, फर्रुखाबाद, जौनपुर तथा उन्नाव के पंचायत निर्वाचन से सम्बन्धित अध्यापकों का यात्रा भत्ता

18--श्री भोखालाल--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी, फर्रुखाबाद, जौनपुर तथा उन्नाव में पिछले पंचायत चुनाव से सम्बन्धित यात्रा भत्ता

अध्यापकों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और यह भत्ता कब तक दिला दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पंचायत निर्वाचन 1982 से सम्बन्धित जनपद मैनपुरी, जौनपुर, फर्रुखाबाद तथा उन्नाव के अध्यापकों के सही रूप में प्राप्त यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान किया जा चुका है। कुछ यात्रा भत्ता बिल त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुये थे जिनको सम्बन्धित अध्यापकों को त्रुटियों के निराकरण हेतु वापस किया गया था जो कि एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार के कालातीत बिलों को वित्तीय नियम संग्रह खंड-5, भाग-1 के प्रस्तर 74 (बी) (5) के नीचे टंकित नोट (2) के अधीन ही केवल निस्तारित किया जा सकता है।

बांदा जिले की ग्राम सभा खोही के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

19--श्री भीखा लाल--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट विकास खंड के अन्तर्गत गांव सभा खोही के ग्राम प्रधान के विरुद्ध श्री मिथलेश कुमार, उप प्रधान ने जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा को एक शिकायती-पत्र दिनांक 20-11-82 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या खंड विकास अधिकारी, चित्रकूट ब्लाक ने जांच की थी और ग्राम प्रधान के विरुद्ध आरोप सही पाये गये ? उस जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

दोषी प्रधान को परगनाधिकारी कर्वी-मऊ द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

उन्नाव जिले की ग्राम सभा मियागंज का निलम्बन एवं थाने में अंकित रिपोर्ट

20--श्री भीखा लाल--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश चन्द्र अवस्थी, तत्कालीन प्रधान, ग्राम सभा मियागंज, जिला उन्नाव के विरुद्ध ग्राम समाज का लगभग दो लाख रुपया गबन करने के सम्बन्ध में कांग्रेस (आई0) सदस्य, श्री भगौती प्रसाद शुक्ला ने वर्ष 1975 में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर जांचोपरान्त प्रधान को निलंबित किया गया था तथा परगनाधिकारी, हसनगंज ने 1-5-83 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये तहसीलदार को आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां

प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें धन गबन सम्बन्धी कोई आरोप नहीं था। अन्य आरोपों के आधार पर प्रधान को निलम्बित किया गया।

जी नहीं।

409 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत अपराध संख्या 172 के सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 संख्या 147, दिनांक 13-7-1984 को दर्ज करायी गयी है।

लखनऊ जिले में शारदा सहायक कमाण्ड एरिया की भूमि संरक्षण इकाई द्वारा नहर की पक्की एवं कच्ची गुलों का निर्माण

21--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0-32, दिनांक 5 मार्च, 84

के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित किसी भी अधिकारी ने कहीं पर जांच नहीं की है और शासन को मिथ्या जांच रिपोर्ट भेज दी है तथा 31 दिसम्बर, 1983 तक की बनी पक्की एवं कच्ची नालियां अधिकांशतः नष्ट हो गई हैं ? यदि हां, तो सरकार मरम्मत के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता एवं गांव सभा के ग्राम प्रधानों के साथ उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य उच्च अधिकारी को भेज कर पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अतारांकित प्रश्न संख्या-132 में कार्य के सत्यापन के बारे में जानकारी चाही गई थी, जांच के बारे में नहीं। तदनुसार निष्पादित कार्य के सत्यापन की सूचना प्रश्न के उत्तर में दी गई थी। निष्पादित कार्य का सत्यापन, अधिशासी प्राविधिक सहायक, भूमि संरक्षण अधिकारी तथा उप निदेशक (भू0 सं0) द्वारा किया गया है। 31 दिसम्बर, 1983 तक बनी कच्ची एवं पक्की नालियां अधिकांशत नष्ट नहीं हुई हैं। सामान्य रूप से 31-12-1983 तक निष्पादित समस्त कार्यों की पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एम0 एल0 गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग का चयन

22—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1984 का इस आशय के साथ प्राप्त हुआ था कि मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के पद पर कार्यरत अधिकारी को अनियमित ढंग से विभाग में रोका गया जबकि उनकी पदोन्नति के हिसाब से लघु सिंचाई विभाग में कोई पद नहीं है ? यदि हां, तो उन्हें उनके मूल विभाग को वापस न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

श्री एम0 एल0 गुप्ता, वर्तमान मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को जनहित में मुख्य अभियन्ता स्तर एक जिसके लिए सिंचाई विभाग में चयन किया गया था, वैयक्तिक वेतनमान देकर रोका गया है।

उत्तर प्रदेश जल निगम के अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति एवं अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा

23—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या शासन बताने की कृपा करेगा कि दिनांक 31-12-83 को उ0 प्र0 जल निगम विभाग ने अपने विभाग में जिन 25 अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता को प्रोन्नति दी है उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के 6 अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति आरक्षित थी ? यदि हां, तो क्या कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

उत्तर प्रदेश जल निगम में दिनांक 31-12-83 को 23 अवर अभियंता एवं 2 संगणक की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नतियां की गई थीं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये क्रमशः 8 व 1 पद आरक्षित थे।

अनुसूचित जाति के केवल एक अवर अभियंता को उपयुक्त पाया गया जिसको प्रोन्नति सहायक अभियंता के पद पर कर दी गई है। पात्रता क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी अन्य अभ्यर्थी प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। इस कारण आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा सका।

सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग तथा उ0प्र0 जल निगम के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति

24—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या शासन बताने की कृपा करेगा कि जब लोक सेवा आयोग की राय के अनुसार सिचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति की व्यवस्था है तो उ0 प्र0 जल निगम में यह अवधि 10 वर्ष क्यों आवश्यक है ?

श्री विद्या भूषण—

उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति उ0 प्र0 जल निगम अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा विनियमावली, 1978 के प्राविधानों के अनुसार की जाती है जिसके अनुसार उक्त प्रोन्नति के लिए अवर अभियन्ता के पद पर 10 वर्षों की सेवा आवश्यक है ।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा प्रदेश में वनों का सर्वेक्षण एवं क्षेत्रफल

25—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा वर्ष 82-83 में उत्तर प्रदेश में स्थित वनों के कुल क्षेत्रफल का अनुमान तथा उनका मूल्यांकन किया गया है ? यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आये हैं ? क्या प्राप्त आंकड़े वन विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों से मेल खाते हैं ? यदि नहीं, तो क्या-क्या अन्तर सामने आये हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा प्रदेश में वनों के कुल क्षेत्र का अनुमान तथा उसके मूल्यांकन सम्बन्धी परियोजना पर रिमोट सेन्सिंग तकनीक द्वारा कार्य वर्ष 1983-84 में ही प्रारम्भ किया जा सका । इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के तीन क्षेत्रों यथा गोरखपुर जनपद, बुन्देलखंड के तीन उपग्रहीय सीन (जिसमें ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन एवं जौनपुर जनपदों का पूरा क्षेत्र तथा बांदा उन्नाव एवं इटावा के कुछ क्षेत्र आते हैं) तथा दुधवा प्राणि उद्यान पर कार्य किया गया । इस परियोजना के अन्तर्गत रिमोट सेन्सिंग तकनीक द्वारा अध्ययन से प्राप्त वनों के क्षेत्रफल तथा वन विभाग के आंकड़ों में वनों के क्षेत्रफल में मामूली सा अन्तर पाया गया है जो कि दो प्रतिशत से भी कम रहा ।

प्रदेश में जिला परिषदों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सूची

26—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतीराज विभाग ने अपने पत्र संख्या 246/वि0 म0/क/33-1-16/788 क्यू, दिनांक 19 सितम्बर, 1983 पंचायती राज अनु0-1 के द्वारा प्रदेश के जिला परिषदों से उन कर्मचारियों की सूची मांगी थी जो 1971 के पूर्व अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और अब भी जीवित हैं ? यदि हां, तो क्या यह सूची प्रदेश की समस्त जिला परिषदों से प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस देरी के लिए दोषी विभिन्न जिला परिषदों के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जी नहीं ।

आठ जिला परिषदों से वांछित सूचना अपेक्षित है जिसे तत्काल भेजने के लिये उन्हें स्मरण कराया गया है ।

मण्डी समिति, बरेली द्वारा शेरगढ़ शाही मार्ग से बेरमनगर तक निर्माण

27—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मंडी समिति, बरेली द्वारा शेरगढ़ शाही मार्ग से रम्पूरा होकर ग्राम बेरमनगर के लिये एक पक्की सड़क का निर्माण कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था और निर्माण कार्य पत्थर का सोलिंग लगाकर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण इस सड़क का उपयोग किसी भी वाहन द्वारा असम्भव हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त सड़क का लेपन स्तर त का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्नगत 3.25 किलोमीटर निर्मित मार्ग के 2 75 किलोमीटर पर सोलिंग का कार्य कराया गया था । भविष्य में वित्त संसाधन उपलब्ध होने पर लेपन कार्य पूरा करने पर विचार किया जायेगा ।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा जमरानी बांध परि- योजना का सर्वेक्षण

28—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा वर्ष 82–83 में जमरानी बांध परियोजना के सम्भावित अवसादी भार के बारे में परियोजना में क्या–क्या तथ्य सामने आये हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वित्तीय वर्ष 82–83 में रिमोट सेन्सिंग तकनीक के द्वारा जमरानी बांध परियोजना के सम्भावित अवसादी भार के बारे में पूर्व वर्ष में उपलब्ध वायुवीय छायाचित्रों का प्रारम्भिक निर्वाचन कार्य तथा जलगम के कुछ क्षेत्रों में कम्प्यूटर पर विश्लेषण हेतु ट्रेनिंग सेट्स एकत्रित किए गए । इस सेन्टर की मांग पर नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी ने मई 1984 में इस क्षेत्र का वायुवीय सर्वेक्षण किया क्योंकि जनवरी 1984 में किया गया सर्वेक्षण कार्य तकनीकी कारणों से विफल रहा था । इस सर्वेक्षण में लिए गए श्वेत–श्याम छायाचित्र एवं मल्टी स्पैक्ट्रल आंकड़े अभी तक सेन्टर को उपलब्ध नहीं हो सके हैं । पूर्व वर्ष (1975) में लिए गए छायाचित्रों का प्रारम्भिक निर्वचन कार्य करने के उपरान्त तथा ग्राउन्ड ट्रुथ एकत्रित करने के बाद निम्न तथ्य सामने आए हैं ।

1—इस जलागम में अवसादी भार का मुख्य स्रोत कलसा नदी है ।

2—गोला नदी द्वारा लाया गया अवसादी भार कलसा गोला संगम के ऊपर प्राकृतिक अवरोध के कारण रुक जाता है । मई 1984 में लिए गए छाया चित्रों एवं अन्य आंकड़ों पर निर्वचन कार्य उनके उपलब्ध होने के उपरान्त किया जायगा तथा अवसादी भार की वास्तविक मात्रा का अनुमान लगाया जा सकेगा ।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा माता टीला बांध, रिहन्द एवं राम गंगा जलाशयों के सर्वेक्षण की मांग

29—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा वर्ष 82–83 में माताटीला, रिहन्द एवं रामगंगा के जलाशयों में अवसादी भार के कालिक अनुश्रवण सम्बन्धी परियोजना से क्या पता चला है कि इन जलाशयों द्वारा प्रति वर्ष कितना–कितना अवसादी भार ग्रहीत किया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वित्तीय वर्ष 82–83 में प्रस्तावित रिमोट सेन्सिंग तकनीक द्वारा माताटीला, रिहन्द एवं रामगंगा के जलाशयों के अवसादी भार के कालिक अनुश्रवण सम्बन्धी परियोजना में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि सेन्टर में चयनित वैज्ञानिकों ने वर्ष 82–83 के अन्त में अर्थात् जनवरी 83 के उपरान्त ही अपना कार्यभार ग्रहण किया। यह कार्य राष्ट्रीय संगठनों के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया जाना प्रस्तावित है। शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

फैजाबाद जिले के ग्राम पालपुर की हरिजन बस्ती में कूप का निर्माण

30—श्री प्रदीप कुमार यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0–14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोनों निर्माणाधीन कूपों का निर्माण अविलम्ब पूर्ण न कराने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कौन–कौन सी कठोर कार्यवाही की गयी और पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए जून/जुलाई, 1984 तक दोनों कूपों का सम्पूर्ण निर्माण करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उक्त दोनों निर्माणाधीन कूपों का निर्माण पूरा न कराए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को सचेत किया गया।

असामयिक वर्षा तथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण जून/जुलाई, 1984 तक उक्त दोनों कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका।

पेयजल संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा दो हैन्ड पम्प ग्राम में लगा दिये गये हैं। वर्षा समाप्त होने से पश्चात उक्त कूपों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करा दिया जायेगा।

रिमोट सेन्सिंग तकनीक द्वारा लखनऊ एवं इलाहाबाद के बीच वनों का सर्वेक्षण

31—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर द्वारा वर्ष 1982–83 में लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में वन सम्पदा के मूल्यांकन सम्बन्धी परियोजना से क्या तथ्य सामने आये हैं ? क्या इस परियोजना द्वारा वन के क्षेत्रफल तथा सम्पदा के आंकलन द्वारा एकत्र आंकड़े वन विभाग के आंकड़ों से मेल खाते हैं ? यदि नहीं, तो कितना अन्तर पाया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वित्तीय वर्ष 1982–83 में प्रस्तावित रिमोट सेन्सिंग तकनीक के द्वारा लखनऊ–इलाहाबाद के बीच के क्षेत्र की वन सम्पदा का मूल्यांकन कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ष 1982–83 के अन्तिम चरण अर्थात जनवरी 83 के उपरांत ही चयनित वैज्ञानिकों ने कार्य–भार ग्रहण किया था। वित्तीय वर्ष 1983–84 में इस परियोजना में ग्राउन्ड ट्रूथ वर्क एवं रेडियो मीटर सर्वे का कार्य कर लिया गया है तथा ट्रेनिंग सेट के लिए आंकड़े एकत्रित कर लिये गये है। नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी द्वारा उपग्रहीय आंकड़े उपलब्ध कराये जाने पर तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए समय मिल जाने पर सेन्टर के वैज्ञानिक वहां जाकर कम्प्यूटर विश्लेषण करेंगे। तदोपरान्त प्रायोजना के परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

रिमोट सेंसिंग तकनीकी द्वारा कानपुर उपग्रहीयसीन एवं लखनऊ उपग्रहीयसीन पर कंकड़ एवं क्षार ग्रसित क्षेत्रों का मूल्यांकन

32—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेंटर द्वारा वर्ष 1982–83 में कानपुर उप ग्रहीयसीन पर तथा लखनऊ–इलाहाबाद उप ग्रहीयसीन पर कंकड़ एवं क्षार ग्रसित क्षेत्रों का कालिक अनुश्रवण एवं बीहड़ क्षेत्रों का मूल्यांकन करने सम्बन्धी परियोजना में क्या–क्या तथ्य सामने आये हैं ? क्या इन क्षेत्रों में बीहड़ों एवं क्षार ग्रस्त भूमि का क्षेत्रफल पहले से उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप था ? यदि नहीं, तो क्या अंतर पाया गया ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वित्तीय वर्ष 1982–83 में रिमोट सेन्सिंग तकनीकी द्वारा कानपुर उपग्रहीय सीन एवं लखनऊ उपग्रहीय सीन पर कंकड़ एवं क्षार ग्रसित क्षेत्रों का कालिक अनुश्रवण एवं बीहड़ क्षेत्रों का मूल्यांकन करने सम्बन्धी परियोजना में कानपुर सीन पर क्षार ग्रसित क्षेत्रों एवं बीहड़ क्षेत्रों का रेखांकन कार्य पूर्ण किया जा चुका है । उपग्रहीय तकनीकी से कंकड़ के क्षेत्रों पर रेखांकन फिलहाल सम्भव नहीं हो सका है, परन्तु प्रयास जारी हैं । लखनऊ–इलाहाबाद सीन के कुछ भागों में ग्राउन्ड ट्रूथ एकत्रित कर लिया गया है और नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी से कम्प्यूटर टाइम उपलब्ध होने पर विश्लेषण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा । तदुपरान्त ही पहले से उपलब्ध आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हो सकेगा ।

33—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

[मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण निरस्त ।]

बांदा जिले की कैरीलिक रोड को पक्का किये जाने की मांग

34—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के चौथे सोमवार के अता0 प्र0 सं0–11 के उत्तर के सन्दर्भ में ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कैरी लिक रोड को पक्का करने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अपने पत्र एम/2681/सी0 एम0, दि ांक 12–8–80 के द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र के संदर्भ में उत्तर न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या यह सत्य है कि 17–8–83 तथा 9–1–84 को उक्त लिक रोड के निर्माण के प्रस्ताव को रखने की कोई आवश्यकता न थी और न प्रस्ताव ही रखे गये हैं ? उक्त बैठकों की कार्यवाही में लिक रोड के अनुमोदन प्राप्त न होने का कोई जिक्र किया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 4थे सोमवार के अता0 प्र0 सं0–11 में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के संदर्भित पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अतः उक्त पत्र का संदर्भ प्रश्नोत्तर में किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 20–11–83 व 9–1–84 में माननीय सदस्य के कैरी लिक रोड के संदर्भित पत्र दिनांक 17–8–83 एवं 9–1–84 अन्य प्रस्तावों के साथ रखे गये थे किन्तु प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष के अधूरे/बचनबद्ध कार्यों पर ही उपलब्ध धनराशि का आबंटन किया जाय । उपरोक्त नीति सम्बन्धी निर्णय

के आधार पर कंरी लिंक रोड व साथ ही अन्य नये प्रस्तावों का प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका ।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में किये गये निर्माण कार्य एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण

35—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जून, 1980 से लेकर 31 मार्च, 1984 तक कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये ? किन-किन पर कार्य प्रारम्भ किये गये ? कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये गये ? कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं ? कौन-कौन से कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं कराये गये ? अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा तथा स्वीकृत कार्यों के निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कराये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्न में विस्तृत सूचना की अपेक्षा की गयी है । सम्पूर्ण सूचना जिले से प्राप्त नहीं हो सकी है ।

36—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1500 से अधिक आबादी वाले कितने ग्राम हैं जो कि मुख्य सड़क से अब तक नहीं जुड़े हैं ? इन ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्न में वांछित विस्तृत सूचना जिले से प्राप्त नहीं हुई ।

जिला परिषद्, मथुरा की जीप का उपयोग

37—श्री सरदार सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, मथुरा की जीप नं0 यू0 एस0 ओ0 04750 केवल जिला परिषद् अध्यक्ष की इस्तेमाली हेतु है ? यदि हां, तो उक्त जीप सहायक अभियन्ता व अतिरिक्त मुख्य अधिकारी द्वारा किन अधिकारों के तहत प्रयोग की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

जिला परिषद् की जीप का उपयोग जिला परिषद् के कार्यों के लिए अन्य अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है ।

38—श्री सरदार सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जीप 12-4-83 व 13-4-83 को दिल्ली में 421 कि0 मी0 तथा 5-5-83 व 12-11-83 को आगरा में 306 कि0 मी0 जिले के बाहर चलायी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों और किसकी अनुमति से ? क्या शासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), मथुरा की जीप हरियाणा में मथुरा-दिल्ली मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा जिला परिषद् की जीप घटनास्थल पर भेजी गई थी, दिनांक 13-4-83 को मथुरा वापस आ गई थी । जीप के लिए इंधन की व्यवस्था हरिजन कल्याण विभाग द्वारा ही की गई थी ।

दिनांक 5-5-83 को आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा, उप विकास आयुक्त आगरा, प्रशासनिक अधिकारी मिलेट्री इस्टेट आफिस से व्यक्तिगत सम्पर्क कर घाटो की स्वीकृति प्राप्त करने, अन्त्योदय योजना से सम्बन्धित जांच तथा कम्पनी बाग के किराये के भुगतान कराने, आगरा से व्यक्तिगत सम्पर्क कर हड्डी, खाल आदि के ठेके के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम निर्णय की प्रति प्राप्त कर तदनुसार जिला परिषद् मथुरा में कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद की स्वीकृति से अतिरिक्त मुख्य अधिकारी द्वारा जीप से यात्रा की गयी ।

दिनांक 12-11-83 को परिषद् की जीप द्वारा कोई यात्रा नहीं की गयी ।

इस मामले में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मथुरा जिले में ब्लाक वाइज विकास कार्य हेतु आवंटित धनराशि

39—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 8-11-83 को अपर जिलाधिकारी (परियोजना) मथुरा की अध्यक्षता में गवर्निंग बाडी की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में हुई थी ? यदि हां, तो ब्लाक वाइज कितना-कितना रुपया विकास कार्यों के लिए निर्धारित किया गया था ? ब्लाक वाइज कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा उन पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? ब्लाक वाइज व्यय धनराशि की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्न में विस्तृत सूचना मांगी गयी है । जिलाधिकारी, मथुरा से सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मथुरा एम्बेसडर गाड़ी की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

40—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, मई, 1984 में अपर जिलाधिकारी परियोजना, मथुरा की एम्बेसडर गाड़ी की मरम्मत मथुरा एग्रो से कराई गई थी ? यदि हां, तो मरम्मत पर कुल कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी आइटम वाइज खर्चा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, माह अप्रैल, 1984 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा की एम्बेसडर गाड़ी की मरम्मत यू0 पी0 एग्रो से कराई गई थी । मरम्मत पर कुल रु0 4,227.80 व्यय हुआ । माह मई, 1984 में गाड़ी में कोई मरम्मत नहीं कराई गई । मरम्मत पर आइटम वाइज खर्चा निम्नवत् है—

	रु0
1—टायर-ट्यूब तीन-तीन नग	2,223.60
2—सीटों का काटराइज कपड़ा	486.20
3—गाड़ी की पेन्टिंग	1,518.00
कुल रुपया ..	4,227.80

कृषि अधीनस्थ सेवा वर्ग-2 के कर्मचारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने की मांग

41—श्री सरदार सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में प्रोन्नत कर्मचारी

वर्ग–2 का लोक सेवा आयोग से अनुमोदन 10 वर्षों से नहीं हुआ है, यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अनुमोदन अविलम्ब करने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

कृषि अधीनस्थ सेवा वर्ग–2 के प्रोन्नति प्राप्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में कतिपय औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव विगत वर्षों में समय से नहीं भेजा जा सका था । औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात् प्रस्ताव लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा चुका है । लोक सेवा आयोग से अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

मथुरा में रसखान की समाधि का जीर्णोद्धार

42—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा में रसखान की समाधि का जीर्णोद्धार करके वहां पर संग्रहालय तथा बाग–बगीचे लगा कर पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्य रूप में परिणित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मथुरा जनपद में रसखान की समाधि के जीर्णोद्धार का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । संग्रहालय के निर्माण व बाग–बगीचे लगाने से पर्यटन विभाग सम्बन्धित नहीं है । जीर्णोद्धार के कार्य को शीघ्र कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

यू0 पी0 स्टेट हार्टिको के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितकरण एवं पद नाम

43—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट हार्टिको में कार्यरत मासिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1978 में स्थाई नियुक्ति के बाद आज तक नियमित वेतनमान एवं पद नाम न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उन कर्मियों की नियुक्ति के दिनांक से नियमित वेतनमान एवं पद नाम देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

यू0 पी0 स्टेट हार्टिको ने कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1978 में मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में स्वीकार किया गया था । बाद में इस मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के नियमित वेतनमान दिनांक 1–4–83 से दिये गये हैं । इनसे भिन्न–भिन्न समयों पर भिन्न–भिन्न कार्य लिया जाता है । विशिष्ट पद नाम नहीं दिया गया है । इन कर्मचारियों की नियुक्ति के दिनांक से नियमित वेतनमान एवं पद नाम देने पर सरकार विचार नहीं कर रही है । इन कर्मचारियों से भिन्न–भिन्न समयों पर अलग–अलग प्रकार का आवश्यकतानुसार कार्य लिया जाता है । विशिष्ट पदों को दीर्घकालीन आवश्यकता होने पर यथा समय विचार किया जाता है ।

काकोरी से जेहटा तक सड़क के निर्माण की मांग

44—श्री तपेश्वर राम तथा श्री यमुना प्रसाद—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अता0 प्र0 सं0–154 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या

ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 6–1 किमी0 सड़क निर्मित होने के बाद सड़क के शेष भाग का निर्माण कब तक पूरा होगा तथा निर्मित सड़क के पेन्टिंग कार्य हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की प्रशासक मण्डल की बैठक में रखा गया था परन्तु मण्डल की बैठक द्वारा सर्वप्रथम पूर्व स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की अनुमति दी गयी । अतः पूर्व अनुमोदित कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रश्नगत निर्माण कार्य के बारे में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा निर्माण किया जाना सम्भव होगा ।

बांदा नगर की सीवरेज योजना

45—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बांदा नगर में सीवरेज योजना शासन द्वारा कब स्वीकृत हुई, कब से निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ तथा कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

श्री विद्या भूषण—

बांदा नगर की सीवरेज योजना की स्वीकृति शासन द्वारा दिसम्बर, 1982 में प्रदान की गयी ।

योजना पर निर्माण कार्य माह मई, 1983 से प्रारम्भ किया गया तथा मार्च, 1988 तक योजना पूर्ण होने की सम्भावना है ।

मण्डी समिति, बुलन्दशहर के कर्मचारी श्री जय गोपाल गर्ग एवं श्री राम औतार का बकाया वेतन

46—श्री किरन पाल सिंह—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री जय गोपाल गर्ग एवं श्री राम औतार ने मण्डी समिति, बुलन्दशहर में दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से दिनांक 14 अप्रैल, 1981 तक चतुर्थ श्रेणी के अस्थाई पद पर कार्य किया था तथा उक्त दोनों कर्मचारियों को उक्त समय का पूरा वेतन नहीं दिया गया था ? क्या लेबर कोर्ट, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 18 मार्च, 1983 के बाद भी आज तक उक्त कर्मचारियों को उनके वेतन की पूरी धनराशि नहीं दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

श्री जय गोपाल गर्ग ने मण्डी समिति बुलन्दशहर में 25 अप्रैल, 1981 से 14 अगस्त, 1981 तक दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में वाटरमैन के पद पर कार्य किया तथा श्री राम औतार ने दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 से 31 जनवरी, 1983 तक दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप मे स्वीपर के पद पर कार्य किया है ।

श्री जय गोपाल गर्ग ने उक्त अवधि एवं श्री राम औतार ने दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक भुगतान की गई मजदूरी के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत बाद दायर किया था, जिसमें उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद ने श्री जय गोपाल गर्ग को 322.84 रु0 कम वेतन व 3,228.40 रु0 अतिरिक्त क्षतिपूर्ति तथा श्री राम औतार को 1860.00 रु0 कम वेतन व 18,600.00 रु0 अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किये जाने का निर्णय दिया ।

उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डी समिति बुलन्दशहर ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2 फरवरी, 1984 द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में श्री जय गोपाल गर्ग को भुगतान की जाने वाली धनराशि 3,228.40 रु0 श्री राम औतार को भुगतान की जाने

वाली धनराशि 18,600.00 रु0 के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया ।

फलस्वरूप श्री जय गोपाल गर्ग को 322.84 रु0 तथा राम औतार को 1,860.00 रु0 का भुगतान दिनांक 18 फरवरी, 1984 को कर दिया गया है और अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वाली धनराशि का भुगतान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशानुसार अभी नहीं किया गया है ।

बांदा नगर में एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

47—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बांदा नगर में छोटे एवं मध्यम नगर एकीकृत विकास योजना कब से लागू की गयी तथा 31 मार्च, 1984 तक कौन-कौन से कार्य किये गये तथा इन पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? वर्ष 1984-85 में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री विद्या भूषण—

बांदा नगर में एकीकृत नगर विकास योजना वर्ष 1981-82 में लागू की गयी ?

31 मार्च, 1984 तक केन्द्रीय सेक्टर कार्यांश के अन्तर्गत 5 मार्ग एवं चौराहा सुधार योजनायें क्रियान्वित की गई जिन पर 5.55 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन पर रु0 3.128 लाख व्यय किया गया । राज्य सेक्टर कार्यांश के अन्तर्गत 3 मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजनाओं के क्रियान्वयन पर रु0 2.342 लाख व्यय किया गया । इसके अतिरिक्त अधिष्ठान पर रु0 2.200 लाख रुपये का व्यय किया गया ।

वर्ष 1984-85 में केन्द्रीय कार्यांश में एक आवासीय योजना, दो व्यावसायिक योजनायें तथा एक मार्ग एवं चौराहा सुधार योजनाओं का अवशेष कार्य प्रस्तावित है तथा राज्य सेक्टर में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार की 5 योजनायें प्रस्तावित हैं ।

भूजल सर्वेक्षण संगठन खंड, हमीरपुर में अधिशासी अभियन्ता, श्री पांडेय की प्रतिनियुक्ति

48—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूजल सर्वेक्षण संगठन खंड हमीरपुर के अधिशासी अभियन्ता (श्री पांडे) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी हैं ? यदि हां, तो कौन से कारण हैं कि उनको पैतृक विभाग द्वारा बुलाये जाने पर भी वापस नहीं भेजा गया ? क्या यह सच है कि श्री पांडेय ने माननीय उच्च न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है कि इस विभाग में उनकी मूल नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो किस कारण से अभी तक शासन द्वारा श्री पांडेय द्वारा दायर याचिका का उत्तर उच्च न्यायालय में दाखिल न करने के क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

श्री पांडेय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में याचिका दायर करके अपने पैतृक विभाग में वापसी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था । मामला इस समय माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । तथा शासन द्वारा स्थगन आदेश निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

आगरा नगर की नजूल भूमि पर अवैध कब्जा

49—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे आगरा नगर में नजूल की

कुल भूमि कितनी है तथा कितनी भूमि पर अवैध निर्माण हो चुके हैं तथा उनको हटाने के लिए शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

आगरा नगर में नजूल की कुल भूमि 648.75 एकड़ है जिसमें से 0.18 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जा तथा निर्माण हो चुके हैं जिसे हटाने के लिए न्यायालय में बेदखली के वाद दायर किये गये हैं ।

श्री आर0 पी0 कौल, जिला पशुधन अधिकारी, ललितपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

50—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या पशुधन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 6 मार्च, 1984 के आस-पास प्रश्नकर्त्ता का डा0 आर0 पी0 कौल, जिला पशुधन अधिकारी, ललितपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा उस कार्यवाही के परिणाम क्या हैं ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

फरवरी, 1984 में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । इसमें डा0 आर0 पी0 कौल के विरुद्ध लगाए गये आरोपों की जांच करायी गयी । जांच आख्या प्राप्त हो गयी है तथा शासन के परीक्षणाधीन है ।

झांसी नगर में नजूल भूमि के पट्टों का नवीनीकरण

51—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में नजूल भूमि के पट्टेदारों ने वर्षों से नवीनीकरण नहीं कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध पट्टेदारों के पट्टे तुरन्त समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

झांसी नगर के केवल 218 पट्टों की अवधि समाप्त हो चुकी है । नवीनीकरण न कराये जाने के कारण इन 218 पट्टेदारों को पट्टागत भूमि से बेदखल करने हेतु नियत प्राधिकारी के न्यायालय में बेदखली के वाद दायर किये जा चुके हैं ।

लघु सिंचाई विभाग, झांसी मंडल के अवर अभियन्ता का कार्य काल

52—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में झांसी मंडल के जनपदों में 5-6 वर्षों से अधिक कार्यरत जूनियर इंजीनियर (अवर अभियन्ता) के स्थानान्तरण अभी तक नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

झांसी खंड के जनपद ललितपुर एवं झांसी में केवल एक अवर अभियन्ता 6 वर्ष की अधिक की अवधि से कार्यरत हैं । इस अवर अभियन्ता का भी अन्त्र स्थानान्तरण करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

आजमगढ़ जिले के ब्लाक अजमतगढ़ एवं हरैया के अन्तर्गत निर्बल वर्ग के लिए भवन निर्माण हेतु दी गयी सहायता

53—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के छठे सोमवार के लिए निर्धारित अता0

प्र0 सं0 114 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि अजमतगढ़ ब्लाक में सन 1981-82 ग्रामीण निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को आवासीय भवन हेतु सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन से व्यक्ति उत्तरदायी ह और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

54--पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 6ठे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 58 के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में ग्रामीण निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को आवासीय भवन हेतु सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्रामीण निर्बल वर्ग आवासीय योजनान्तर्गत वर्ष 1983-84 में शासन द्वारा प्रथम किस्त में 50,000 रु0 की धनराशि प्रदत्त की गयी थी । जिसके सापेक्ष जिले द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इस धनराशि में से विकास खंड ठेकमा, मेहनगर, तरवा, मुहम्मदाबाद, रानीपुर, परदहा, फतेहपुर मडांव तथा बिलरियागंज को क्रमशः पांच, आठ, पांच, पांच, पांच, पांच, पांच तथा आठ व्यक्तियों को आवासीय सुविधा प्रदत्त की गयी ।

धन न बचने के कारण विकास खंड हरैया में किसी व्यक्ति को आवासीय सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी ।

द्वितीय किस्त की धनराशि 10,37,000 रुपये माह मार्च, 1984 में स्वीकृत होने के कारण वैयक्तिक लेखे में जमा करा दी गयी थी और उक्त धनराशि में से वर्ष 1984-85 में विकास खंड हरैया को 19 आवासों के निर्माण हेतु 38,000 रु0 आवंटित किया गया है । अतः इसके लिए कोई व्यक्ति/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम नवेदा निवासी श्री राम बचन का बरसाती पानी से क्षतिग्रस्त मकान

55--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-157 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता द्वारा माह फरवरी, 1982 में किये गये निरीक्षण में पुलिस के निर्माण का निर्देश दिये जाने तथा पुलिस के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त पुनः सर्वेक्षण किस अधिकारी के आदेश से किस अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें पुलिया के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं पायी गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड हरैया, आजमगढ़ एवं बिलरियागंज के अन्तर्गत लघु, सीमान्त एवं हरिजन कृषकों को बीज का मुफ्त वितरण

56--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-112 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

कृषकों की सूची उपलब्ध हो गई है ? यदि हां, तो सूची की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। सूची† संलग्न है।

57—श्री पंचानन राय—

क्या कृषि मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 5वें सोमवार के लिए निर्धारित अत० प्र० सं० 116 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों क सूची उपलब्ध हो गई है ? यदि हां, तो सूची क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां।

सूची† संलग्न है।

58—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 5वें सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 114 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषको की सूची उपलब्ध हो गई है ? यदि हां, तो सूची क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

सूची† संलग्न है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम्य विकास अधिकारियों के भविष्य निधि की पास बुकें

59—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 5वें सोमवार के अता० प्र० सं० 51 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितनी पास बुकों की मांग कब राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद से की गई है ? 31 मई, 1984 तक कितनी पास बुकें उपलब्ध हो गई हैं ? ग्राम्य विकास अधिकारियों की पास बुकें कब तक तैयार करा दी जायेंगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय मद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 7 जून, 1980 को एक हजार पास बुकों की मांग की गई थी। मांग के अनुसार 31-5-84 तक कोई पास बुक प्राप्त न हो सकी। 23-6-84 को मात्र 240 पास बुकें प्राप्त हुईं। राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री में पास बुकें उपलब्ध न होने के कारण शेष पास बुकों की आपूर्ति नहीं हो सकी है, प्राप्त पास बुकों को जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा विकास खण्डों को भेज दिया गया है तथा एक माह के अन्दर इन पास बुकों को तैयार करने के निर्देश भी दिये गये हैं, शेष ग्राम्य विकास अधिकारियों की पास बुकें आपूर्ति होने के उपरान्त शीघ्र तैयार करा दी जायेंगी।

मथुरा जिले की ग्राम सभा सिहोरा व पानीगांव के ग्राम प्रधानों का रिक्त पद

60—श्री सरदार सिंह—

क्या पंचायतराज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा सिहोरा व पानीगांव तहसील मांठ, जिला मथुरा के ग्राम प्रधान क्रमशः ब्लाक राया व मांठ के प्रमुख चुन लिए गए हैं और उनके प्रमुख चुने जाने से उनकी ग्राम सभाओं के प्रधान के पद रिक्त हो गये हैं ? यदि हां, तो रिक्त स्थानों पर शासन कब तक चुनाव करवा लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

†छापी नहीं गयी।

श्री बलराम सिंह यादव--

जो हां ।

विभिन्न कारणों से प्रदेश में हुये रिक्त स्थानों पर एक साथ चुनाव यथा-शीघ्र कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रति नियुक्त अधिशासी अभियन्ता, श्री एस० पी० सक्सेना, श्री राजपाल सिंह का संविलोनो-करण

61--श्री सरदार सिंह--

प्रथम सत्र 84 के अल्पसूचित ता० प्र० के शासन द्वारा दि० 26 मई, 1984 को भेजे गये उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के किन-किन अधिकारियों ने किस-किस तिथि से संविलोनीकरण हेतु विकल्प किया है तथा कब-कब उनके आदेश निर्गत किये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के अन्तर्गत श्री एस० पी० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता, श्री राजपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, यह दोनों सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं । इन्होंने विभाग में संविलोनीकरण हेतु दि० 25-4-82 एवं दि० 22-4-82 को अपना विकल्प प्रस्तुत किया था । श्री कप्तान सिंह, अधीक्षण अभियन्ता ने भी अपने संविलियन हेतु दिनांक 22-2-83 को अपना विकल्प प्रेषित किया था । चूंकि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग का पुनर्गठन शासन स्तर पर विचाराधीन है, अतः पुनर्गठन के बाद ही, उक्त अधिकारियों के संविलियन के प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि इनका संविलयन किया जाय अथवा नहीं ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम मसोना की पेयजल योजना

62--श्री पंचानन राय--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर पेयजल योजना में ग्राम मसोना भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो क्या इस योजना से इस गांव में पेयजल की आपूर्ति हो रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

जी नहीं, जीयनपुर पेयजल योजना जनपद आजमगढ़ में मसोना नाम का ग्राम सम्मिलित नहीं है । बल्कि इसी नाम से मिलता जुलता एक ग्राम मसोना इसी योजना में सम्मिलित है जिसमें माह नवम्बर, 1983 में एक सार्वजनिक जल स्तम्भ चालू किया गया था । इस समय मसोना ग्राम में दो जल स्तम्भ व एक निजी संयोजन चालू हैं

आजमगढ़ जिले के सहनूपुर बनियापार-कल्याणपुर मार्ग के निर्माण की मांग

63--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 46 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण पिछड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए शीघ्र करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, परन्तु यह धन उपलब्धि की सीमा तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की स्वीकृति पर निर्भर करता है ।

स्व0 श्री सूरज लाल वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गोरखपुर के पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा की नियुक्ति

64--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम विकास मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 119 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित पत्र कब भेजा गया और उनके द्वारा 12-3-84 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्न कर्त्ता का संदर्भित पत्र दिनांक 17-6-83 जो अयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास को सम्बोधित है, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, के कार्यालय में दिनांक 28-6-83 को प्राप्त हुआ ।

स्वर्गीय श्री सूरज लाल वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, गोरखपुर के पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने सूचित किया था कि वे गोरखपुर विश्व विद्यालय से बिजनेस मैनेजमेन्ट का कोर्स पूरा कर रहे हैं । अतः उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में सर्वप्रथम गोरखपुर मंडल में ही प्रयास किया गया, जिससे वह अपना कोर्स पूरा कर सके, गोरखपुर मंडल में इनके उपयुक्त कोई भी पद उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के कार्यालय के पत्र सं० 11410/ल० सि०/स्था-3/84 दिनांक 18-2-84 द्वारा दे दिये गये हैं ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम विकास अधिकारियों का स्थायीकरण

65--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कार्यरत कितने ग्राम विकास अधिकारियों को सेवा में स्थायीकरण विशेष वेतनमान एवम् उच्चतर वेतनमान प्रदान किया गया है ? स्थायीकरण, विशेष वेतनमान और उच्चतर वेतनमान से कितने ग्राम विकास अधिकारी लाभान्वित नहीं हुए हैं ? शेष को कब तक लाभान्वित किया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

आजमगढ़ जनपद में कार्यरत 60 ग्राम विकास अधिकारियों का स्थायीकरण 117 ग्राम विकास अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड तथा 150 ग्राम विकास अधिकारियों को सीनियर ग्रेड स्वीकृत किया जा चुका है । 41 ग्राम विकास अधिकारियों को स्थायीकरण, 44 ग्राम विकास अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड तथा 44 ग्राम विकास अधिकारियों को सीनियर ग्रेड का लाभ अभी दिया जाना शेष है इनकी पूर्ण चरित्र पंजियां तथा अन्य सेवा सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध होने पर इनके मामलों में निर्णय लिया जाएगा ।

स्व0 श्री केशव प्रसाद सिंह, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी के आश्रितों को दी जाने वाली सुविधाएं

66--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री केशव प्रसाद सिंह, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, प्रतापगढ़ जिनका निधन अप्रैल, 1974 में हो गया था, के आश्रितों को प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं प्रदान कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो उक्त सुविधायें उन्हें कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। स्व0 श्री केशव प्रसाद सिंह को स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम के अवशेष धनराशि तथा उस पर देय ब्याज की वसूली सुनिश्चित हो जाने पर ही उनके आश्रितों को प्राप्त होने वाली समस्त सुविधायें प्रदान करना सम्भव हो सकेगा।

प्रशिक्षण केन्द्र, गाजीपुर से प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति

67—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, गाजीपुर से दिनांक 14 जून, 83 तक कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज तक बेकार हैं? जनपद आजमगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं तथा उन पर नियुक्ति करने की कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजीपुर से दिनांक 1-5-81 से 14-6-83 के सत्र में 48 लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी पद का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक 9-4-84 को प्रशिक्षणार्थियों के गृह जनपदों के मंडलों हेतु आवंटन किया जा चुका है। मंडल स्तर पर स्थान की रिक्तियों के अनुसार इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम में की जा रही है। वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं है।

आजमगढ़ जिले के निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

68—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के चौथे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-67 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि 32.3 लाख में से कितनी धनराशि सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में खर्च की गयी है? क्या यह सही है कि सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम धनराशि खर्च की गयी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के अधोलिखित विकास खन्डो में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर वर्ष 1980-83 में किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है —

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	रा0ग्रा0रो0 यो0 के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में व्यय की गई धन-राशि
		रु0
1	हरैया महाराजगंज	60,000.00
2	हरैया	55,000.00
3	बिलारियागंज	1,01,243.00
	योग ..	2,16,243.00

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यो एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को सौंपे गये कार्यो का सम्पादन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया गया। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार सम्पादित कराये गये कार्य के कोई अलग से विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः इसके कारण बताया जाना संभव नहीं है।

69--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 1लें सोमवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0-158 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 लाख, 70 हजार, 600 रुपये में से अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सही है कि सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में सबसे कम धनराशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में विशेष ध्यान देकर सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

निर्माण कार्य तथा व्यय का ब्यौरा विधान सभा क्षेत्रवार नहीं रखा जाता है, जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के अधोलिखित विकास खन्डो में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर वर्ष 1980-83 में किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :--

क्रमांक	विकास खन्ड का नाम	रा0ग्रा0रो0 यो0 के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में व्यय की गई धन-राशि रु0
1	हरैया महाराजगंज	60,000.00
2	हरैया	55,000.00
3	बिलारियांगंज	1,01,243.00
	योग ..	2,16,243.00

जनपद के ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कार्यों के अनुमोदन के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जाता है ।

70--श्री दूधनाथ राजभर--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जिले के ब्लाक दोहरीघाट एवं फतेहपुर मड़राव में खोली गयी पौधशालायें

71--श्री राज कुमार राय--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में ब्लाक दोहरीघाट, ब्लाक फतेहपुर मंडराव, ब्लाक घोसी में कहां-कहां पौधशालायें खोली गयी हैं और वर्ष 1984 में कहां-कहां खोलने का विचार है ?

श्री संजय सिंह--

आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट तथा फतेहपुर मड़राव ब्लाक में अब तक खोली गयी पौधशालाओं का विवरण निम्न प्रकार है :--

विकास खन्ड का नाम	पौधशालाओं की संख्या व नाम
1--दोहरीघाट	1--सूरजपुर
2--फतेहपुर मड़राव	2--(1) बेलौली (2) पहाड़ीपुर ।

वर्ष 1984 में उपयुक्त भूमि मिलने पर घोसी ब्लाक में एक पौधशाला तैयार करने का प्रस्ताव है ।

आजमगढ़ की घोसी तहसील में सहकारी चीनी मिल में वृक्षारोपण

*72—श्री राज कुमार राय—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983 में आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल में वृक्षारोपण पर कुल मदों में कितना रुपया व्यय हुआ, कुल कितने वृक्ष लगे, उनमें कितने वृक्ष (प्रजातिवार) मौजूद हैं ?

श्री संजय सिंह--

आजमगढ़ जिलें के घोसी तहसील में निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल में वर्ष 1983 में वृक्षारोपण पर कुल मदों में रु0 2,00,242 व्यय हुआ और 80,000 पौधे लगे जिनमें से 78,400 पौधे जीवित हैं। प्रजातिवार विवरण निम्न प्रकार हैं :

प्रजाति	रोपित पौधे	जीवित पौधे
1—यूकेलिप्टस	60,000	58,800
2—सुबबूल	2,000	1,960
3—अर्जुन	6,000	5,880
4—शीशम	1,000	980
5—सिरस	200	196
6—कंजो	4,000	3,920
7—शोभाकार	6 800	6,664
योग ..	80,000	78,400

श्री रघुवर दयाल गर्ग, अभियन्ता, जिला परिषद् गाजीपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

73—श्री राजकुमार राय—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन को प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 29-11-82 श्री रघुवर दयाल गर्ग अभियन्ता जिला परिषद्, गाजीपुर के विरुद्ध मिला था ? उसमें कौन सी कार्यवाही हुई तथा जांच किसने की और क्या परिणाम निकला ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर नगर पालिका की जनवार्ता मार्ग एवं मालगोदाम मार्ग बैंक रोड का निर्माण एवं धनराशि का भुगतान

74—राजकुमार राय—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 80-81 व 81-82 से गाजीपुर नगर पालिका (गाजीपुर) के जनवार्ता रोड मालगोदाम एवं बैंक रोड का निर्माण किस स्तर तक हुआ ? उन पर (अलग-अलग) कितना धन व्यय हुआ और उसका भुगतान (अलग-अलग) किन-किन ठेकेदारों को किया गया ?

श्री विद्याभूषण—

वर्ष 80-81 में इन मार्गों पर कोई कार्य नहीं हुआ वर्ष 81-82 में जनवार्ता रोड पर कुटाई तक का कार्य, मालगोदाम रोड पर पेटिंग तक का कार्य बैंक रोड पर सोलिंग बिछने तक का कार्य हुआ। वर्ष 81-82 में जनवार्ता रोड के कार्य हेतु रु0 1,32,700 का भुगतान श्री दीना नाथ पाण्डेय, मालगोदाम रोड के कार्य हेतु रु0 72,660·22 पैसे का भुगतान श्री दीना नाथ पाण्डेय, को तथा बैंक रोड के कार्य हेतु विभागीय स्तर से सामानों की आपूर्ति करा कर श्री त्रिभुवन नाथ तिवारी एवं श्री राजन तिवारी से कार्य कराया गया जिसके लिए रु0 39,624 का भुगतान हुआ।

75—श्री राजकुमार राय—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 80-81 एवं 81-82 में गाजीपुर नगर पालिका स्थित जनवार्ता रोड, मालगोदाम रोड, बैंक रोड का निर्माण पिच स्तर तक के निर्माण का भुगतान कर दिया गया है, जबकि उपरोक्त सड़कों पर डालाग्रिट, मेक्सफाल्ट और रोलर गया ही नहीं ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी एवं कर्मचारी का है ? क्या सरकार उसे दंडित करेगी ?

श्री विद्याभूषण—

प्रश्नगत मामलें की जांच की जा रही है, जांच पूर्ण होने पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जिला परिषद्, गाजीपुर के अभियन्ता, श्री रघुवर दयाल गर्ग के विरुद्ध जांच आख्या

76—श्री राजकुमार राय—

क्या पंचायतीराज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय जिला परिषद, गाजीपुर में कार्यरत अभियन्ता (श्री रघुवर दयाल गर्ग) के विरुद्ध उनके जनपद लखीमपुर खीरी, जिला परिषद् के सेवा काल की जांच चल रही है ? यदि हां, तो शिकायतों का पूरा प्रकरण क्या है ? जांच किसने किया और इसका क्या परिणाम निकला ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला खीरी में कठिना नदी पर पुल की मरम्मत में की गयी अनियमितता की जांच ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता ने की थी, जिसमें पुल की विशेष मरम्मत का प्राक्कलन बिना डिजाइन व ड्राइंग के बनाना, मापोकरण को बिना किसी सक्षम अधिकारी को चेकिंग के मुहैया करना तथा मरम्मत के बाद कोई ड्राइंग न बनाने की त्रुटियां पायी गयी । जांच आख्या पर जिला परिषद् खीरी की टिप्पणी/संस्तुति शासन द्वारा मांगी गयी है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम गौरीडीह निवासी श्री राम धारी हरिजन एवं श्रीमती धरमी हरिजन को स्वीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि

77—श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें गौरीडीह ब्लाक दोहरीघाट, जि0 आजमगढ़ निवासी, राम धारी हरिजन व श्रीमती धरमी हरिजन के छूट एडजस्टमेंट के बाबत प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-9-83 को मिला था ? यदि हां, तो छूट एडजेस्टमेंट के लिये क्या कार्यवाही की गयी एवं विलम्ब के लिये कौन कर्मचारी दोषी पाया तथा उसे क्या दण्ड दिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1983 उपलब्ध नहीं हो पाया है । गौरीडीह ब्लाक दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के निवासी श्री रामधारी हरिजन एवं श्रीमती धरमी हरिजन को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत क्रमशः 666 रु0 तथा 625 रु0 का अनुदान पंजाब नेशनल बैंक दोहरी घाट के माध्यम से समायोजित कर दिया गया है । चूंकि अनुदान समायोजित हो चुका है अतः किसी कर्मचारी को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ के ग्राम चकउथ निवासी मुख्तार अहमद को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि

78—श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें मुख्तार अहमद पुत्र टेल्हू, निवासी

चकउथ, ब्लाक दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ का पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर दिनांक 10-2-84 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? छूट कब तक मिल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । उक्त पत्र 18 फरवरी, 1984 को मुख्य विकास प्राधिकारी, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था । श्री मुख्तार अहमद पुत्र टेल्हू, ग्राम चकउथ, अन्त्योदय लाभार्थी का ऋण आवेदन-पत्र वर्ष 1980-81 में यूनियन बैंक आफ सुरतपुर को स्वीकृति हेतु भेजा गया था । बैंक द्वारा प्रार्थी को उक्त ऋण 18 नवम्बर, 1981 को दिया, किन्तु अन्त्योदय योजना में 1 अगस्त, 1981 से नये व्ययों पर शासन द्वारा रोक लगा दी गयी थी । वर्णित दशा में श्री मुख्तार अहमद को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत छूट उपलब्ध नहीं करायी जा सकती ।

आजमगढ़ जिले के बेलौली चांदपुर मार्ग के निर्माण हेतु श्री भुमेश्वर तिवारी एवं श्री मतलूब आलम का पत्र

79—श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें भुमेश्वर तिवारी व मतलूब आलम के पत्र दिनांक 4-1-84 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-2-84 के साथ फतेहपुर मंडराव ब्लाक जिला आजमगढ़ में बेलौली चांदपुर मार्ग व उसके पुल के निर्माण हेतु मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी से सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के लघुबाई-नेमडांड महमूद सराय मार्ग के निर्माण हेतु श्री एनुल हक खां एवं समसुद्दीन प्रधान का पत्र

80—श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें एनुल हक खां तथा समसुद्दीन प्रधान, महमूद सराय का पत्र दिनांक 4-1-84 फतेहपुर मंडराव ब्लाक के लघुबाई से नेमडांड होते हुए महमूद सराय तक मार्ग निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-2-84 के साथ मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी से सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ की मऊनाथ भंजन नगरपालिका के पटरी दुकानदारों की हटायी गयी गुमटियां

81—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मऊनाथ भंजन नगरपालिका के पटरी दुकानदारों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-11-83 तथा 25-1-84 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्या भूषण—

माननीय विधायक के दो पत्र दिनांक 22-11-83 जिसके साथ अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र दिनांक 23-11-83 एवं श्री विशुन, अध्यक्ष, पटरी दुकानदार संघ, मऊनाथभंजन, आजमगढ़ का पत्र दिनांक 19-11-83 संलग्न थे, शासन को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ से जांच करके

आख्या भेजने के लिए निर्देशित किया गया। उनसे प्राप्त आख्यानुसार नगर पालिका, मऊनाथ भंजन द्वारा प्रश्नगत गुमटी दुकानदारों को उन्हीं के अनुरोध पर गुमटियां हटाने के लिये समय दिया गया था तथा अधिकांश लोगों ने अपनी गुमटियों को स्वयं हटा लिया और कुछ ने दुकानों से अपने सामानों को गुमटियों से निकलकर गुमटियां खाली छोड़ दी थीं। इससे सड़क पर आवागमन में अवरोध होने के साथ-साथ सड़क दुर्घटना की सम्भावना भी उत्पन्न हो गयी थी। जन सुरक्षा पालिका द्वारा उक्त अतः अनधिकृत खाली गुमटियों को हटवा दिया गया। जो गुमटियां आदि पालिका में लायी गयीं वे दुकानदारों के प्रार्थना-पत्र पर उनको वापस कर दी गयीं। पालिका कर्मचारियों द्वारा गुमटी/दुकानों को लूटने अथवा पालिका द्वारा बिना किसी सूचना के गुमटी/दुकानें उठवा लिये जाने की शिकायत निराधार पायी गयी है।

कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलप-मेन्ट कारपोरेशन, गोपाल खेड़ा, लखनऊ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

82—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन गोपाल खेड़ा, मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के 24 हरिजन कर्मचारियों को अकारण सेवा निवृत्त कर दिया गया तथा श्रम निदेशक द्वारा उन्हें बहाल करने के आदेश देने पर भी उसका पालन नहीं हुआ जिससे वे भुखमरी की स्थिति में हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों? उक्त 24 हरिजन श्रमिकों को कब तक बहाल कर दिया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के गोपाल खेड़ा, मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ के फार्म पर जुलाई, 1982 में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिकों द्वारा उद्दण्डता पूर्ण कार्यवाही की गयी। श्रमिकों के हानिकारक व्यवहार को देखते हुए 12 व्यक्तियों (एक मुसलमान, तीन पिछड़ी जाति तथा आठ हरिजन) को आगे कम पर नहीं बुलाया गया। जिन श्रमिकों ने अपनी गल्ती महसूस कर व्यवहार में सुधार लाने का आश्वासन दिया उन्हें पुनः दैनिक मजदूरी पर रख लिया गया। शेष व्यक्तियों को बिना किसी लिखित समझौते के काम पर लगाना कम्पनी के हित में उचित नहीं समझा गया। श्रम निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये गये। श्रमिकों द्वारा श्रम न्यायाधिकरण के समक्ष वाद दायर किया गया है जो अभी विचाराधीन है। न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात् ही तद्नुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

खेल-कूद निदेशालय द्वारा क्रिकेट खेल आयोजकों से ली जाने वाली मैदान आरक्षण फीस में की गयी वृद्धि

83—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खेल-कूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि खेलकूद निदेशालय द्वारा क्रिकेट खेल आयोजकों से ली जाने वाली मैदान आरक्षण की फीस जो पूर्व में स्थानीय प्रतियोगिताओं के लिए 10 रुपया, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 12·50 रुपये तथा अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के लिए 21 रुपये ली जाती थी अब हाल में ही उसे बढ़ाकर क्रमशः 30·60 तथा 100 रुपया कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार खेलकूद प्रोत्साहन हेतु इस बढ़ी फीस को वापस लेकर पुरानी दर लागू रखने की कृपा करेगी?

श्री संजय सिंह—

इस पर शासन में विचार किया जा रहा है।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

84—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कालेज विगत 9 वर्षों से चल रहा है किन्तु उसके बाद भी कर्मचारियों को रेगुलर नियुक्त न करके प्रतिनियुक्तियां जारी रखने का क्या कारण है ?

श्री संजय सिंह—

"दि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ (टीचिंग एन्ड एलाइड स्टाफ) सर्विस रूल्स 1981" दिनांक 3-7-84 से स्पोर्ट्स कालेज कर्मचारियों पर लागू कर दिये गये हैं। उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति करने हेतु निदेश दे दिये हैं।

पशुचिकित्सालय, लखनऊ के कम्पाउण्डरों (पशु औषधिकों) का स्थानान्तरण

85—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब यह सामान्य व्यवस्था है कि पशु चिकित्सालय में पशु औषधिकों (कम्पाउण्डरों) को नियुक्ति अपनी गृह तहसील में नहीं होगी तो लखनऊ जिले के तहसील लखनऊ में स्थित पशु चिकित्सालयों में कार्यरत ऐसे कम्पाउण्डर कौन-कौन हैं जिनको गृह तहसील लखनऊ है ? इनको अपने गृह तहसील से बाहर न भेजने का क्या कारण है ?

श्री संजय सिंह—

वर्ष 1984-85 के वार्षिक स्थानान्तरण सत्र के पूर्व लखनऊ जनपद में निम्नलिखित पशु औषधिक अपने गृह तहसील में पदस्थ थे :

नाम	चिकित्सालय का नाम जहां पदस्थ थे
1—श्री श्याम चन्द्र मिश्रा	सरोजनीनगर
2—श्री अब्दुल सलाम	काकोरी
3—श्री के0 के0 शर्मा	निगोहा
4—श्री जगदीश प्रकाश	गंगागंज

उपरोक्त समो पशु औषधिकों को वर्ष 1984-85 के वार्षिक स्थानान्तरण के समय उनके गृह तहसील से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

पिथौरागढ़ जिले के राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, श्री नन्दा बल्लभ जोशी एवं श्री तारादत्त जोशी के वेतन का भुगतान

86—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्धशाला विभाग के अधीन पिथौरागढ़ राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक श्री नन्दाबल्लभ जोशी एवं श्री तारादत्त जोशी को दिनांक 1-9-82 से दिनांक 31-10-83 (14 माह) का वेतन नहीं दिये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उन्हें वेतन कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री संजय सिंह—

श्री तारादत्त जोशी व श्री नन्दा-बल्लभ जोशी जिन्हें कतिपय प्रशासकीय कठिनाइयों वश प्रश्नगत अवधि का वेतन यथासमय नहीं दिया जा सका था, का भुगतान क्रमशः दिनांक 28 मार्च, 1984 एवं 11 अप्रैल, 1984 को कर दिया गया है।

टाउन एरिया महमूदाबाद, जिला सीतापुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कथित पदोन्नति

87—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया महमूदाबाद, जिला सीतापुर में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति करके उन्हें फिटर तथा पम्प आपरेटर बना दिया गया ? यदि हां, तो क्या उनको वेतन भी दिया गया ? यदि नहीं, तो वेतन न देने का क्या कारण है ? वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री विद्याभूषण—

टाउन एरिया, महमूदाबाद, जिला सीतापुर के किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति करके फिटर अथवा पम्प आपरेटर नहीं बनाया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

88—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

कानपुर नगर महापालिका में मुख्य अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर श्री प्रेम शरण लाल श्रीवास्तव की पदोन्नति से सम्बन्धित पत्र

89—श्री किरनपाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भूधर नारायण मिश्र, सदस्य विधान सभा का कोई पत्र दिनांक 3 मई, 1984 कानपुर नगर महापालिका में विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा के अन्तर्गत ज्येष्ठ अधिशासी अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु मा0 मंत्री एवं सचिव, नगर विकास, उ0 प्र0 शासन, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक मुख्य अभियन्ता के पद का सृजन तथा उस पर नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री विद्या भूषण—

पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । किन्तु इस सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री मिश्र का एक दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने कानपुर नगर महापालिका में मुख्य अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर श्री प्रेम शरण लाल श्रीवास्तव को प्रोन्नति करने हेतु अनुरोध किया था । वर्तमान में कानपुर नगर महापालिका में मुख्य अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) का कोई पद स्वीकृत नहीं है । अतः उक्त अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

मत्स्य पालक अभिकरण के कर्मचारियों का प्रति-नियुक्ति भत्ता

90—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या मत्स्य मंत्री जी को जानकारी है कि जिन फील्ड कर्मचारियों को 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया गया है उसे न समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने 20 जून, 1983 को पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि मत्स्य विभाग के विश्व बैंक पोषित मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जो प्रदेश के 17 जनपदों में चल रहा है, के फील्ड कर्मचारियों को 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता 1-4-82 से दिया गया है ? यदि दिया गया है, तो उसे अब काटे जाने का क्या औचित्य है ?

श्री संजय सिंह—

जी हां, दिनांक 20-6-83 को शासन को पत्र प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत पत्र में दिये गये तथ्यों पर पुनः विचार किया गया तथा विचारोपरान्त इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया । विभाग में विश्व बैंक पोषित

मत्स्य पालन अभिकरण के कर्मचारियों को 19-5-83 के पूर्व तक 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया गया । प्रदेश के (पहाड़ी जनपदों को छोड़कर) अन्य सभी जिलों में अब मत्स्य पालन अभिकरण या तो केन्द्र, राज्य या विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किये गये हैं । सभी में एक प्रकार का कार्य किया जा रहा है इस कारण सभी को समान कार्य करने के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 19-5-83 से प्रतिनियुक्ति भत्ता समाप्त कर दिया गया ।

मिर्जापुर जिले के प्रत्येक ब्लाक में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत सड़क एवं पुलियों के निर्माण

91—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार जांच करके बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर के प्रत्येक ब्लाक की सीमा के अन्दर एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1981-82 व 1982-83 तक कितनी-कितनी मात्रा में कहां से कहां तक सड़कें, पुलिया, खडन्जा आदि का कार्य किया गया है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वांछित सूचना विभिन्न ब्लाकों से एकत्र करनी है । अभी जिले से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

वाराणसी जिले में स्थित रविन्द्रपुरी कालोनी लेन नं0 16 एवं कुरुक्षेत्र तालाब से गंदगी एवं अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

92—श्री राम चरण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 7-1-84 को वाराणसी शहर स्थित रविन्द्रपुरी कालोनी लेन नं0 16 में गाय एवं भैंसों द्वारा हुई गंदगी को हटाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

रविन्द्रपुरी कालोनी लेन नं0 16 में सफाई समुचित रूप से करा दी गयी है ।

93—श्री राम चरण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20-1-84 को एक पत्र वाराणसी शहर में स्थित कुरुक्षेत्र तालाब से गन्दगी एवं अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

दिनांक 20-1-84 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

तथापि स्थिति यह है कि कुरुक्षेत्र तालाब स्थित रविन्द्रपुरी कालोनी मैलूपुर, की सफाई करा दी गयी है और तालाब तक जाने वाली गली तथा मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

94—श्री सरदार सिंह—

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मथुरा नगर पालिका में कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद पर लिपिकों की नियुक्ति

95—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगरपालिका में कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद पर 5 वर्ष से कोई नियुक्ति नहीं की गई है

और उक्त पद पर भिन्न-भिन्न अयोग्य लिपिकों से कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन जनहित में उक्त पद पर अविलम्ब किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

इसमें विधिक कठिनाई रही है। दिनांक 3 मई, 1983 के विज्ञप्ति के अनुसार यह कठिनाई दूर हो गयी है।

जी हां। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

मथुरा, नगरपालिका द्वारा हाउस टैक्स का रिवीजन

96—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर में नगर पालिका में गत 10 वर्ष से हाउस असेसमेन्ट रिवाइज नहीं किया है जिससे नगर पालिका को लाखों रुपये की हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब इस कार्य को पूर्ण करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण—

जी हां।

पर्याप्त स्टाफ के अभाव में ऐसा नहीं किया जा सका।

पंचवर्षीय कर निर्धारण की कार्यवाही सम्प्रति स्थगित है।

97-100—श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक—

[माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित।]

भूमि संरक्षण अधिकारी, गंडक नहर समादेश, कसया, देवरिया के द्वारा फर्जी ईंट एवं बालू की खरीद की जांच

101—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980-81 एवं 81-82 में भूमि संरक्षण अधिकारी, गंडक नहर समादेश, कसया, जनपद देवरिया ने लाखों रुपये का ईंट और बालू की फर्जी खरीद किया और ऐसे व्यक्ति से ईंट खरीदा गया जिसके नाम से ईंट भट्ठा नहीं था ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि तथ्यों को छुपाने के लिए वहां का केन्द्रीय भंडार प्रपंजी वर्ष 1983-84 में गायब कर दी गयी जिसका दोष गन्डक आयुक्त के आडिटरों के ऊपर मढ़ दिया गया ? क्या मंत्री जी इस घोटाले की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मामले की विभागीय जांच की जा रही है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वास्तविकता की जानकारी हो सकेगी। वर्ष 1980-81 में ईंट का क्रय भट्ठा मालिकों के अतिरिक्त ईंट आपूर्ति कर्ताओं के माध्यम से भी किया गया है।

जहां तक केन्द्रीय भन्डार प्रपंजी के गायब होने का प्रश्न है, इसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस थाना, कसया में कर दी गई है। पुलिस की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। विभागीय रूप से इसके लिए किसी को भी अभी आरोपित नहीं किया गया है।

गोरखपुर के कृषि प्रक्षेत्र अधीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

102—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित कृषि फार्म, बागापार का फार्म सुपरिटेंडेंट फार्म में प्रयोग होने वाली खाद, बीज पैदा हुए अनाज को काले बाजार में बेचता है एवं श्रमिकों का शोषण करते हुए एक लाख रुपया कमाया है जिसकी जानकारी जिले के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता ने माह जून, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक अनेक बार करायी है ?

यदि हां, तो इसे तत्काल हटा कर जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जनपद गोरखपुर के कृषि प्रक्षेत्र, बगहापार के प्रक्षेत्र अधीक्षक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 12-6-84 को प्राप्त हुआ है जिस पर जांच करायी जा रही है ।

गोरखपुर जिले में बाढ़ से क्षति-ग्रस्त आवासों की मरम्मत हेतु धनराशि का आबंटन

103--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 1981-82 में 23 विकास खंडों में कई लाख (लगभग 10 लाख) रुपये मकान बनाने व मकान मरम्मत में हरिजनों, कमजोर वर्गों को व सरकारी व्यक्ति के 60.40 अनुपात में योजनान्तर्गत दिया गया जिसका अधिकांश हिस्सा ग्रामीणों को न देकर हड़प लिया गया जिसमें ब्लाक ब्रह्मपुर, गोरखपुर में यह अनियमितता पूर्णरूप से उभर कर आई, जिसकी सूचना प्रश्न-कर्ता ने माह जनवरी, 84 में ग्राम विकास मंत्री आदि को किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1981-82 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत हेतु प्रति आवास 700 रु० की दर से 1630 आवासों की मरम्मत हेतु प्राप्त धनराशि 11,41,000 रु० में से केवल 10,51,000 रु० आहरित किया गया जिससे 1501 आवासों की मरम्मत कराई गई । मरम्मत किये गये आवासों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

वर्ष 1981-82 में ही बाढ़ से ध्वस्त आवासों के निर्माण हेतु मु० 4500 रु० प्रति आवास की दर से 480 आवासों हेतु मु० 21,60,000 रु० प्राप्त हुआ जिससे 8 विकास खंडों में 432 आवास का निर्माण कराया जा चुका है और 48 आवास निर्माणाधीन हैं । सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है ।

अब तक आवास मरम्मत तथा निर्माण के सम्बन्ध में किसी भी लाभार्थी से किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिससे धन हड़प कर लिए जाने की बात ज्ञात हो सके । इस सम्बन्ध में माननीय विधायक महोदय की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच सहायक अभियन्ता (ला० सि०) ने की तथा शिकायत निरा-धार पायी गयी ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 104 पर।)

गोरखपुर जिले के ग्राम रम्होली के श्री यमुना यादव की सरकारी योजना के अन्तर्गत दी गयी भैंस की मृत्यु

104--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या पशुधन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील एवं ब्लाक महाराजगंज के ग्राम रम्होली के कुल कितने लोगों को सरकारी योजना में वर्ष 1982-83 व वर्ष 1983-84 में दुधारू पशु आदि दिये गये हैं ? क्या इसमें श्री यमुना यादव का भी कोई नाम है जिनको दी गयी भैंस के मरने व इससे सम्बन्धित क्लेम को अब तक न देने की बात प्रश्नकर्ता के पत्र में है जिसकी स्वीकृति आपने अपने पत्रांक एफ/661/84, दिनांक 17-2-1984 द्वारा किया है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जनपद गोरखपुर से ब्लाक महाराजगंज के ग्राम रम्होली को वर्ष 1982-83 में 11 भैंस, 3 बैल तथा 2 सूकर, वर्ष 1983-84 में 6 बैल दिये गये हैं । 1982-83 में श्री यमुना यादव को 1 भैंस दिनांक 3-10-1982 को क्रय की गयी जो अगस्त, 1983 में मर गयी । सभी कागजात दी न्यू इण्डिया

बीमा कम्पनी को सितम्बर, 1983 में भेजे गये, जिसका भुगतान मार्च, 1984 के अन्त में रु0 1800.00 श्री यमुना यादव को प्राप्त हो गया है ।

जिले की ग्राम सभा गोबर-दहा की प्राइमरी पाठशाला के लिये पेयजल की व्यवस्था

105--श्री रामचरण सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा, गोबरदहा विकास खण्ड, राजगढ़, जिला मिर्जापुर के प्राइमरी पाठशाला पर हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 1-3-1983 को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां ।

स्थानीय पेयजल योजना के अन्तर्गत इस ग्राम की पाठशाला के पास एक स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल माह सितम्बर, 1983 से उपलब्ध कराया जा रहा है ।

मिर्जापुर के ग्राम बरगवां की हरिजन बस्ती में कूप निर्माण

106--श्री राम चरण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर ग्राम बरगवां, विकास खण्ड, राजगढ़ के हरिजन बस्ती के अधूरे कूप को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-2-1983 को जो एक पत्र लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

कूप की ब्लास्टिंग कार्य हेतु अत्यन्त आवश्यक विस्फोटक पदार्थ की कमी के कारण ब्लास्टिंग का कार्य केवल 60 प्रतिशत तक ही पूर्ण हुआ है । ब्लास्टिंग का कार्य ब्लास्टिंग यूनिटों द्वारा सेक्टरवार विकास खण्डों में किया जाता है जिसकी कमी है । कूप ब्लास्टिंग का कार्य गर्मी में ही कराया जाता है तथा उचित जल स्तर के लिए एक कूप की ब्लास्टिंग में दो या तीन गर्मियों का समय लग जाता है ।

स्टाक मैन सेन्टर, कोलना, जिला मिर्जापुर का भवन

107--श्री राम चरण सिंह--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टाकमैन सेन्टर, कोलना, जनपद मिर्जापुर के भवन के लिए कितना रुपया कब से स्वीकृत है ? भवन का निर्माण कार्य देर से प्रारम्भ होने व अब तक पूर्ण न होने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री संजय सिंह--

जी हां ।

स्टाकमैन कोलना, जनपद मिर्जापुर का भवन निर्माण वर्ष 1968 में हुआ था । इसकी दीवारें एवं छत फट गयी थी जिसके लिये पशुपालन विभाग द्वारा रु0 45,000 दिनांक 24-7-1981 को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी को दिया गया । उक्त विभाग द्वारा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है । पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी का दोष नहीं है ।

मिर्जापुर में जिला परिषद् के औषधालय के प्रान्तीयकरण की मांग

108--श्री राम चरण सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद में जिला परिषद द्वारा संचालित किन-किन औषधालयों

का प्रान्तीयकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका कब तक प्रान्तीयकरण हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मिर्जापुर में जिला परिषद द्वारा संचालित किसी औषधालय के प्रान्तीयकरण का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिले में पंचायत कर की वसूली

109—श्री राम चरण सिंह—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982 में हुये पंचायत चुनाव में तिनी धनराशि पंचायत कर के रूप में वसूल की गयी तथा उसका विकास खंडवार विवरण क्या है ? क्या सरकार विशेष आडिट दल नियुक्त करके पंचायत कर की वसूली की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मिर्जापुर में पंचायत कर के रूप में 35,558.22 रुपये की वसूली हुयी । विकास खंडवार वसूली की सूची संलग्न है ।

पंचायत कर की वसूली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत न प्राप्त होने के कारण विशेष आडिट कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 106 पर ।)

श्री आनन्द सिंह नेगी, तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

110—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान परिषद् सदस्य, श्री मुलायम सिंह यादव का बांदा जनपद के वन प्रभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 से 20 अक्तूबर, 1983 के बीच उन्हें मिला ? यदि हां, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

शिकायतें मुख्यतः श्री आनन्द सिंह नेगी, तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग द्वारा नाजायज कटान कराने एवं फर्जी वृक्षारोपण से शासन को राजस्व हानि पहुंचाने, वित्तीय अनियमितता बरतने, कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने, और नियुक्तियों में अनियमितता के सम्बन्ध में हैं ।

उल्लिखित शिकायतों की जांच करने के उपरान्त उन्हें निराधार पाया गया है ।

कृषि विभाग के मानचित्रकों एवं अनुरेखकों का संवर्ग

111—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कार्यरत मानचित्रकों एवं अनुरेखकों को किस संवर्ग (कैडर) में रक्खा गया एवं इनके पदोन्नति के क्या अवसर हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

कृषि विभाग के कार्यरत मानचित्रक एवं अनुरेखक के पद किसी भी संवर्ग में वर्गीकृत नहीं है । मानचित्रक को वरिष्ठ मानचित्रक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने का अवसर है तथा अनुरेखकों के पद पर लगातार सात वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाता है ।

हरदोई जिले में नवीन मन्डी स्थल के निर्माण हेतु बेहटाचांद में भूमि का चयन

112—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30 अप्रैल, 1978 को जिलाधिकारी हरदोई की अध्यक्षता में हरदोई कृषि उत्पादन मंडी समिति के निर्माणार्थ भूमि चयन समिति की बैठक हुई थी और उसमें सर्वसम्मति से कैनाल रोड हरदोई के निकट आशानगर से मिली भूमि का चयन किया गया था तथा शासन ने 6 जून, 1980 को पत्रांक म0 अ0 1400 द्वारा अपनी स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त भूमि को चयनित न करके इमली रोड, हरदोई की भूमि का चयन क्यों किया जा रहा है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

दिनांक 30 अप्रैल, 1978 को जिलाधिकारी हरदोई की अध्यक्षता में हुई भूमि चयन समिति की बैठक में नवीन मंडी स्थल, हरदोई के निर्माणार्थ कैनाल कालोनी के निकट आशानगर की भूमि का चयन किया गया था तथा पत्रांक 1400, दिनांक 6 जून, 1980 द्वारा स्वीकृति शासन से नहीं बल्कि मंडी परिषद् से दी गयी थी ।

तदुपरान्त जन प्रतिनिधियों द्वारा इमली रोड पर मंडी स्थल निर्माण की मांग के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी से दोनों स्थलों की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक उपयुक्त स्थल के विषय में संस्तुति मांगी गयी । उन्होंने उपरोक्त दोनों स्थलों में इमली रोड स्थित बेहटा चांद के भूखंड को चुने जाने की संस्तुति की । अतः जिलाधिकारी को इस विषय पर भूमि चयन समिति की बैठक पुनः आयोजित करके संस्तुति भेजने को लिखा गया । जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि चयन समिति की बैठक पुनः दिनांक 5 फरवरी, 1983 को आयोजित की गई जिसमें बेहटाचांद (इमली रोड) की भूमि नवीन मंडी स्थल निर्माण हेतु चयन की गयी ।

कृषि निदेशालय द्वारा कृषि डिप्लोमा इंजीनियरिंग धारकों का अभियन्ताओं के पद पर नियुक्ति

113—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि सचिव को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन (श्री हरिमोहन) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या यू0 ओ0-83-ईडी—18-घ-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा (3 वर्षीय) प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित का अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के समकक्ष बताते हुये नियुक्तियों के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद से अब तक विभाग में कितने अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां हुई तथा उसमें कितनों को कृषि डिप्लोमा इंजीनियरिंग धारकों में से नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, नियुक्त हुये तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । वर्ग-2 अभियन्त्रण का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में होने के कारण निदेशालय द्वारा अवर अभियन्ताओं की कोई नियुक्ति नहीं की गयी है । लोक सेवा आयोग को पहले ही 11 पद विज्ञापन हेतु भेजे गये थे । बाद में आयोग से पुनः अनुरोध किया गया है कि कृषि डिप्लोमा इंजीनियरिंग धारकों की योग्यता को सम्मिलित करते हुये पुनः पदों का विज्ञापन करा दें । आयोग के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही लम्बित है ।

बुलन्दशहर में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवकों को दिया गया रोजगार

114--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में ट्राईसेम स्वतः रोजगार प्रशिक्षण योजना के सन 1982-83 और 1983-84 में कितने युवक प्रशिक्षित हुये और कितनों को स्वतः रोजगार प्रारम्भ कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बुलन्दशहर जनपद में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में प्रशिक्षित एवं स्वतः रोजगार में स्थापित युवकों का विवरण निम्नवत् है:--

वर्ष	प्रशिक्षित	स्वतः रोजगार में स्थापित	अभ्युक्ति
1982-83	792	554	प्रशिक्षित युवकों में 306 महिलायें सम्मिलित हैं।
1983-84	573	442	..

115--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगर पालिका सिसवा बाजार, सीतापुर में स्लाटर हाउस के निर्माण हेतु प्रार्थनापत्र

116--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका, सिसवा, जिला सीतापुर में बड़े जानवरों के गोस्त काटने के लिए स्लाटर हाउस बनवाने के बारे में मोहल्ला दायरा तथा मियागंज निवासियों का श्री बदरुद्दीन आदि द्वारा हस्ताक्षरित नागरिकों का कोई मांग पत्र 5-5-83 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो स्लाटर हाउस बनवाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्याभूषण--

जी हां।

स्लाटर हाउस बनवाने के लिए नगर-पालिका द्वारा ग्राम सभा की भूमि जो ग्राम सभा बिसवां तथा ग्राम सभा जलालपुर की सीमा पर स्थित है, का चयन कर उसको तहसील स्तर से आवंटित कराने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

117--श्री सन्त बख्श रावत--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

118--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

नगर महापालिका, कानपुर में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

119--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या आवास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के उस पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जो अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासक, नगर महापालिका कानपुर की अनुस्मारक के रूप में फरवरी, 1984 के उत्तरार्द्ध में लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित अवैध निर्माण हटाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

जी नहीं।

संदर्भित पत्र विकास प्राधिकरण, कानपुर में प्राप्त हुआ था। अवैध निर्माण कर्ता को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन नोटिस जारी की गयी थी जिसके विरुद्ध निर्माण कर्ता ने स्थानीय अतिरिक्त मुंसिफ के न्यायालय के निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। मामले में अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के आदेशों के पश्चात ही सम्भव होगी।

राजकीय कृषि वर्कशाप, बैतालपुर, देवरिया की सर्विसिंग मशीन की मरम्मत

120—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कृषि वर्कशाप बैतालपुर, जनपद देवरिय में गाड़ियों की सर्विसिंग मशीन खराब है? यदि हां, तो कब से तथा क्यों? क्या सरकार इसे ठीक करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री यशपाल सिंह—

लगातार प्रयोग होने तथा वाल्व एवं अन्य पुर्जे खराब होने के कारण कथित सर्विसिंग मशीन दिनांक 3-5-79 को खराब हो गयी थी जिसे दिनांक 25-7-84 को ठीक कर लिया गया है और अब यह कार्य योग्य हो गयी है।

राजकीय कृषि बीज भण्डार, बैतालपुर, जिला देवरिया के सहायक कृषि निरीक्षक श्री राम प्रकाश मणि त्रिपाठी द्वारा मिनीकिट पैकेटों का अनियमित वितरण

121— श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र समिति बैतालपुर, जनपद देवरिया की बैठक दिनांक 3-10-83 की प्रस्ताव संख्या-2 क्या है। क्या खण्ड विकास अधिकारी, बैतालपुर ने अपनी टिप्पणी के साथ इस प्रस्ताव को मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया को प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था? यदि हां, तो कब तथा क्या आदेश सी0 डी0 ओ0 ने किसको दिये? क्या उस अधिकारी द्वारा उन सभी आदेशों का अनुपालन किया गया है? यदि हां, तो कब? खण्ड विकास अधिकारी की टिप्पणी क्या है? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच प्रमुख, विकास खण्ड, बैतालपुर ने 14 सितम्बर, सन् 1983 को किया था? उसकी जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रसंगगत प्रस्ताव कृषकों को रबी अभियान के सिलसिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दलहन एवं तिलहन की पैदावार बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्राप्त बीजों के मिनी किटों के वितरण व वितरण प्रणाली से सम्बन्धित है। इस प्रस्ताव को खण्ड विकास अधिकारी, बैतालपुर ने दिनांक 12-10-83 को जिला कृषि अधिकारी देवरिया को पृष्ठांकित करते हुए उसकी प्रति मुख्य विकास अधिकारी देवरिया को भेजी जिसे उनके द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतु जिला कृषि अधिकारी, देवरिया को पृष्ठांकित कर दिया गया। खण्ड विकास अधिकारी की जिला कृषि अधिकारी, देवरिया को सम्बोधित टिप्पणी राजकीय कृषि बीज भंडार बैतालपुर में नियुक्त सहायक कृषि निरीक्षक, श्री राम प्रकाश मणि त्रिपाठी द्वारा मिनीकिट पैकेटों का स्वेच्छापूर्ण अनियमित वितरण, क्षेत्र समिति के सदस्यों की जिज्ञासाओं के समाधान में असमर्थता व उक्त अधिकारी के जनहित में स्थानान्तरण विषयक थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 14-9-83 को प्रमुख द्वारा की गयी जांच में यूरिया खाद के कुछ बोरे माप में न्यून पाये गये तथा चार्ज लिस्ट सहज सुलभ नहीं

पायी गयी। निर्गोकित योजना के अन्तर्गत बीज वितरण निर्धारित प्रक्रियानुसार नहीं किया गया पाया गया।

सम्बन्धित सहायक कृषि निरीक्षक को इस सम्बन्ध में दिनांक 11-4-1984 को कड़ा चेतावनी पत्र दिया गया तथा खंड विकास अधिकारी की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उनका स्थानान्तरण बैतालपुर से सहेरुवा जनहित में कर दिया गया है।

देवरिया में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु धनराशि का आवंटन

122--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1983-84 में वृक्षारोपण हेतु कितना धन शासन से सुलभ कराया गया? जिला निधि से कितना धन दिया गया? इस सम्पूर्ण राशि का जनपद में कहां और किस प्रकार उपयोग किया गया?

श्री संजय सिंह--

वित्तीय वर्ष 1983-84 में देवरिया वन प्रभाग के जनपद देवरिया में वृक्षारोपण कार्य हेतु निम्न धनराशि आवंटित की गयी :

1--शासन द्वारा उपलब्ध लाख रुपयों में कराई गयी धनराशि	
(सामाजिक वानिकी प्रायोजना)	38.13
2--जिला निधि से--	
(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	29.16
(ख) लघु सीमान्त कृषक योजना	14.50

उक्त आवंटित धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि का कतिपय कारणों से उपयोग नहीं किया जा सका :--

1--शासन से प्राप्त-- (सामाजिक वानिकी प्रायोजना)	लाख रु0 में 5.95
2--जिला निधि से प्राप्त--	
(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	18.85
(ख) लघु सीमान्त कृषक योजना	14.50

शेष उपयोग की गयी धनराशि से किये गये कार्यों का तहसीलवार/रेंजवार विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 107 पर।)

एग्रो गोरखपुर शाखा द्वारा की गयी खरीद सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

123--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0स0-29 के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब एक जांच रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकाश में आ चुका है कि सम्बन्धित अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं शासन के निदेश तथा निविदा की शर्तों की अवहेलना की है तो उक्त अधिकारी पर अब तक प्रशासनिक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री यशपाल सिंह—

जांच पूर्ण हो गयी है। अन्तिम आदेश शीघ्र जारी हो रहे हैं।

वाराणसी जिले के महराज कुमार अनन्त नारायण सिंह का ग्राम टेकसाल स्थित टेकसाल थियेटर एवं मिन्ट हाउस भूमि का सीलिंग

124—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री विधान सभा के 1984 के प्रथम सत्र के तृतीय गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 15 व 16 के उत्तर में तीसरे भूधारक को घोषणा-पत्र दिया गया है क्या वे महराज कुमार अनन्त नारायण सिंह पुत्र भू० पू० काशी नरेश श्री विभूति नारायण सिंह के सुपुत्र हैं और इनको ग्राम टेकसाल (नदेसर) वाराणसी में आराजी नं० 33/4 म्युनिसिपल मकान नं० एस 18/2ए एकड़ 46 1/2 डि० जमीन छोड़ी गयी है ? क्या यह सही है कि इस जमीन के साथ मिन्ट हाउस एवं टेकसाल थियेटर भी है ? यदि हां, तो टेकसाल थियेटर की जमीन व मिन्ट हाउस की जमीन भी सीलिंग ऐक्ट (अरबन) के अन्तर्गत नहीं आती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां। महाराज कुमार अनन्त नारायण सिंह, पुत्र भूतपूर्व काशी नरेश श्री विभूति नारायण सिंह द्वारा घोषणा पत्र दिया गया है और उन्हें निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु ग्राम टेकसाल के माटा सं० 1 से 20 और 33 मि० में 79,806 वर्गफीट सीमाधिक्य रिक्त भूमि धारण करने की अनुज्ञा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रदान की गयी है।

मिन्ट हाउस की जमीन इसमें शामिल है और टेक्साल थियेटर की जमीन, जिसके भूधारक महराज कुमार श्री अनन्त नारायण सिंह नहीं हैं, इससे लगी हुई है दोनों जमीनें सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत आती हैं।

मझरा फार्म, लखीमपुर खीरी के डेयरी अनुभाग के भवन की मरम्मत हेतु दी गयी कथित धनराशि

125—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1982-83 के बजट से मझरा फार्म लखीमपुर खीरी के डेरी अनुभाग के भवनों के मरम्मत हेतु 50,000.00 रुपया शासन ने दिया था ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं।

नील गांव प्रक्षेत्र, सीतापुर में पशुओं की मृत्यु और दुग्ध का उत्पादन

126—श्री ऊदल—

क्या पशुधन मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 83 में नीलगांव प्रदेश सीतापुर पर 31 दिन के अन्दर 35 जानवरों की मृत्यु क्यों कैसे हुई है जो केवल डेरी अनुभाग से सम्बन्धित हैं ? इसके अलावा काफरियरिंग स्कीम तथा पिगरी बुडिंग यूनिट की मृत्यु संख्या अलग है ? क्या इन मृत जानवरों का सर्वेक्षण रिपोर्ट उपनिदेशक प्रक्षेत्र को भेजी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

डेरी	काफ रियरिंग	पिगारी
35	2	..

मृत्यु विभिन्न बीमारियों से हुई। इन पशुओं का पोस्टमार्टम हुआ और सर्वे रिपोर्ट उप निदेशक (प्रक्षेत्र) को भेजी गयी है

127--श्री ऊदल--

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, 83 से माह अप्रैल, 83 तक नोलगांव प्रक्षेत्र पर दुग्ध का कितना उत्पादन हुआ और जितना ठेकेदार को दिया गया ? बाकी दुग्ध का क्या हुआ इसका पूर्ण विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री संजय सिंह--

नीलगांव प्रक्षेत्र पर फरवरी, 85 से अप्रैल, 83 तक कुल 20603·5 लीटर दूध का उत्पादन हुआ जिसमें से 18250.4 लीटर दुग्ध ठेकेदार को दिया गया तथा 2247 लीटर दूध स्टाक आदि को विक्रय किया गया। 106 लीटर कोलस्ट्रूम (खीज) बछड़े/बछिया (बच्चों) को पिलाया गया।

पशुधन विभाग के कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि

128--श्री ऊदल--

क्या पशुधन मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंग कि सन् 1976 तक जमा कर्मचारियों के भविष्ग निधि की धनराशि अभी तक महालेखाकार, यू0 पी0, इलाहाबाद से प्रक्षेत्रों पर क्यों नहीं स्थानान्तरित किया गया जिसके कारण कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर अग्रिम धन निकलने में परेशानी हो रही है क्योंकि उनका कुछ धन महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद में पड़ा है और 1976 के बाद से प्रक्षेत्रों पर जमा होता जा रहा है ?

श्री संजय सिंह--

भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि को स्थानान्तरण करने के लिए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से निरन्तर पत्र व्यवहार किया जा रहा है। कर्मचारियों को जरूरत पड़न पर आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अग्रिम धन स्वीकृत किया जाता है।

बस्ती जिले के ग्राम धोबहों के श्री दतई के कुटुम्ब रजिस्टर में अंकित मृतक

129--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव धोबही थाना परसुराम, जिला बस्ती के दतई को पंचायत अधिकारी (पंचायत सेक्रेटरी) ने कुटुम्ब रजिस्टर में मरा लिखा दिया है यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि दतई ने जिलाधीश, पंचायत राज अधिकारी बस्ती को प्रार्थना पत्र दिया है कि वह जिन्दा है और पंचायत मन्त्री ने उसे कुटुम्ब रजिस्टर में मरा लिखा है ? क्या इसकी जांच की गयी ? यदि हां, तो किसने किया और जांच परिणाम क्या है और उस पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी अभिलेख लेकर फरार है जिसके लिए उसे निलम्बित कर दिया गया है। जिले से पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि निदेशालय के जूनियर रिसर्च असिस्टेन्ट केमेस्ट्री का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन एवं आय सम्बन्धी शासनादेश

130--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 683/14/सेवा-1/81-82 दिनांक 27-11-81 के द्वारा जूनियर रिसर्च असिस्टेन्ट केमेस्ट्री के वर्ग 2 के पद पर 106 और 13 प्रतीक्षा सूची में सब मिला कर 119 अभ्यर्थियों की सूची निदेशक, कृषि विभाग

उत्तर प्रदेश को भेज दी है ? क्या यह सही है कि उस सूची में 47 अभ्यर्थी अधिक उम्र के थे जिनको उम्र की छूट हेतु कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ने सितम्बर 1942 में शासन को भेज दिया है ? यदि हां, तो क्या आयु सम्बन्धी छूट 47 व्यक्तियों को दे दी गयी ? यदि हां, तो कब और किस आदेश के द्वारा ? यदि नहीं दी गयी तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं ।

बल्कि लोक सेवा आयोग से प्राप्त मुख्य सूची में 107 अभ्यर्थी तथा आरक्षित सूची में 33 अभ्यर्थी थे । उक्त सूची के 47 अभ्यर्थी अधिक उम्र के थे जिनके सम्बन्ध में आयु सम्बन्धी छूट शासन देश संख्या 1740/12 (9)-)1805-82, दिनांक 3-5-84 द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

वाराणसी जिले के हिरामनपुर-पतिराजपुर मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

131- श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिरामनपुर से पतिराजपुर मार्ग ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में ब्लाक पिंडरा की बी० डी० सी० द्वारा एक पुल के निर्माण की स्वीकृति नाले में बनाने हेतु दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त नाले के पुल को अब तक क्यों नहीं बनवाया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिलाधिकारी, वाराणसी से प्रश्न से सम्बन्धित विस्तृत सूचना अभी जिले से प्राप्त नहीं हुई ।

वाराणसी जिले की नगरपालिका, भदोही के कर्मचारियों का बकाया वेतन

132--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका भदोही, जिला वाराणसी की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुये क्या सरकार उसके ग्रान्ट देने पर विचार करेगी ? क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्ष से उक्त नगर-पालिका को ग्रान्ट किसी प्रकार का नहीं दिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त नगर पालिका अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भी पूरा नहीं दे पा रही है और प्राविडेन्ट एवं बीमे की कटी हुई रकम भी नहीं जमा कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? इस सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता ने एक पत्र भी नगर विकास मंत्री को दिनांक 30-4-84 को लिखा है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि इसको चुंगी व हाउस वाटर टैक्स के अलावा कोई आय नहीं है ?

श्री विद्याभूषण--

जी हां, प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

जी नहीं ।

जी नहीं । केवल कुछ माह का वेतन अवशेष और प्राविडेन्ट फण्ड का अंशदान दिया जाना शेष है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । उस पर आहरण प्राप्त की गई । ये कर हैं जो नगरपालिका स्वयं लगाती है । उनका ग्रान्ट से सम्बन्ध नहीं है ।

वाराणसी जिले के ग्राम कंधियां में पेयजल हैण्ड पम्प की स्थापना हेतु हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

133--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कंधियां, ब्लाक भदोही, जिला वाराणसी के हरिजनों ने जिलाधीश, वाराणसी को पेयजल हैण्ड पम्प को गलत जगह लगाने के बारे में दिनांक 6-3-84 एवं दिनांक 7-3-84 को प्रार्थना-पत्र दिया है जिसको

जिलाधीश ने प्रखंड अधिकारी, ज्ञानपुर-वाराणसी एवं जल निगम के अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसकी जांच की गयी ? यदि हां, तो हैण्ड पम्प को सही जगह हरिजनों के पेयजल के लिए लगाया गया, कि नहीं ?

श्री विद्याभूषण—

जी हां, दिनांक 6-3-84 को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया । जिसके सम्बन्ध में जि धिकारी, वाराणसी द्वारा अधि-शासी अभियन्ता, निर्माण शाखा (चतुर्थ), जल निगम सिगरा का ध्यान आकर्षित किया गया ।

जिलाधिकारी द्वारा विकास खण्ड भदोही के माध्यम से जांच करवा कर हैण्ड पम्प हेतु नया स्थल निर्धारित कर दिया गया है तथा उसकी सूचना सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को दे दी गई है । अभी तक नये चयनित स्थल पर कार्य करना सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि मूल स्थान से हैण्ड पम्प हटाने के सम्बन्ध में श्री पन्ना लाल हरिजन एवं ग्राम प्रधान आदि आपत्ति कर रहे हैं और ग्राम में स्थिति तनाव-पूर्ण है ।

नगर विकास विभाग के सहायक अभियन्ताओं का कथित फर्जी डिप्लोमा प्रमाण-पत्र एवं जांच रिपोर्ट

134—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगर विकास विभाग के कुछ सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध फर्जी शिक्षा व डिप्लोमा प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त करने का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28-7-83 को तत्कालीन नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना) को दिया था जिसकी प्राप्ति स्वीकृति की सूचना उन्होंने अपने पत्रांक 4052-न0 वि0 मं0/83, दिनांक 17-8-83 द्वारा भेजी है तथा मुख्य नगर एक श्रम नियोजक, उ0 प्र0-7, बंदरियाबाग, लखनऊ ने दिनांक अगस्त 26, 1983 द्वारा प्रश्नकर्ता को एक पत्र लिखा है, जिस पर प्रश्नकर्ता ने अपनी शिकायत करने की पुष्टि की है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ? पूरा विवरण क्या है ?

श्री विद्याभूषण—

जी हां । शिकायती पत्र पर जांच की गयी, जांचोपरान्त शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी ।

135—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित मामले की जांच कब किसको दी गयी और जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई ? जांच रिपोर्ट में कौन-कौन बातें सत्य पायी गईं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण—

प्रश्नगत मामले की जांच मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा स्वयं की गयी । जांच रिपोर्ट दिनांक 25-11-83 को तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी को प्रस्तुत की गयी । जांच रिपोर्ट में कोई भी बात सत्य नहीं पायी गयी । फलस्वरूप कोई कार्यवाही अवश्यक नहीं समझी गयी ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य विधान सभा का पत्र

136—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के पांचवे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 103 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच किस अधिकारी को सौंपी गई और क्या जांच रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हो गई है ? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता ने अपने मूल पत्र में आरोप पत्र में यह दर्शाया

था कि मस्टर रोल में दस्तखत व निशान फर्जी हैं, उन नामों के संदर्भित व्यक्ति नहीं हैं तथा किसी भी प्रशासकीय अधिकारी से इसी बिन्दु की जांच करा लेने में वस्तुस्थिति की जानकारी हो जायेगी? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी द्वारा नियुक्त समय पर इन बिन्दुओं पर बिचार किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

सतर्कता विभाग से अभी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है। सतर्कता विभाग से पुनः अनुरोध कर दिया गया है कि मस्टर रोल की भी जांच कराई जाय। मस्टर रोल के संबंध में माननीय सदस्य ने जो आरोप संदर्भित प्रश्न में बताये हैं वह उनके मूल पत्र में वर्णित हैं।

137--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जल संस्थान अनुरक्षण खण्ड, देहरादून द्वारा अन्य योजनाओं को हस्तगत किये जाने का प्रस्ताव

138--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल संस्थान अनुरक्षण खण्ड, देहरादून ने अपने पत्रांक 811/डब्लू एस0 आई0, दिनांक 9-8-83 द्वारा शाखा की 7 योजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने से इनकार किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री विद्याभूषण--

जी नहीं।

जल संस्थान अनुरक्षण खण्ड, देहरादून ने पत्र संख्या 811/डब्लू-एस0-7/योजना/हस्तान्तरण 83-84, दिनांक 9-8-83 द्वारा उक्त पत्र में वर्णित 7 योजनाओं को हस्तगत करने से मना नहीं किया है। उक्त 7 योजनाओं में से 5 योजनायें गढ़वाल जल संस्थान द्वारा हस्तगत भी की जा चुकी है शेष 2 योजनाओं का संयुक्त निरीक्षण किया जाना शेष है जिसके उपरान्त उन्हें पूर्ण रूप से हस्तगत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

139--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[दि0 28-3-84 को अतः0 प्र0 सं0 36 द्वारा उत्तरित।]

श्री जहूरुल हसन खां, भूमि संरक्षण निरीक्षक, परसावल, गोरखपुर की सेवा पुस्तिका

140--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जहूरुल हसन खां, भूमि संरक्षण निरीक्षक, परसावल (गोरखपुर) ने अपनी सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों को प्राप्त करने हेतु तीन वर्षों में भू0 सं0 अधिकारी, खण्ड-2, जौनपुर (शारदा सहायक) को कितने पत्र लिखे और अब तक श्री खां को उनकी सेवा पुस्तिका न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री यशपाल सिंह--

श्री जहूरुल हसन खां, भूमि संरक्षण निरीक्षक, परसावल, गोरखपुर के उनकी सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारी को दिए जाने का प्राविधान नहीं है, इसलिए श्री खां की सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख सम्बन्धित भूमि सरक्षण अधिकारी, परसावल, गोरखपुर को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा चुके हैं।

लखनऊ जिले के शाहपुर से सराय तक नाला निकाले जाने की मांग

141--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिनहट विकास खण्ड,

जनपद लखनऊ के ग्राम शाहपुर से सराय तक जल निकास नाला शारदा सहायक द्वारा बनवाया गया है ? यदि हां, तो उसमें कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंकी, जिला बाराबंकी के विरुद्ध शीशम के पेड़ काटे जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

142—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी के प्रमुख श्री नन्हे सिंह ने क्रमशः दिनांक 31-12-83 व 4-1-84 को जिला अधिकारी, बाराबंकी को सेवा में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र उक्त विकास खण्ड के मौजूदा खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध अनधिकृत रूप से विकास खण्ड, बंकी के प्रांगण में लगे हुए शीशम व गुलमोहर के हरे पेड़ों को कटवा कर उठा ले जाने से संबंधित दिया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे। शिकायतों का जांच कराई गई। जांच करने पर आरोप सिद्ध नहीं हुये। अतः खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गई।

प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ द्वारा ऊनी कपड़ों की खरीद के सम्बन्ध में जांच

143—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1982-83 में स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के तत्कालीन प्रधानाचार्य ने पत्रांक 944/एस० सी० (कीट)/82, दिनांक 23 सितम्बर, 1982 के द्वारा कालेज के छात्रों के गर्म वर्दी के लिए लाल इमली मिल, कानपुर को ऊनी कपड़े की आपूर्ति किये जाने हेतु कोई पत्र लिखा था और उक्त मिल के कपड़े की आपूर्ति अक्तूबर, 1982 तक करने के लिए सूचित किया था ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक मेमो, दिनांक 27 सितम्बर, 1982 के द्वारा किस आधार पर लखनऊ स्थित लाल इमली मिल के अनधिकृत कपड़ा विक्रेताओं से लगभग 70 हजार रुपये का निम्न स्तर का ऊनी कपड़ा लाल इमली मिल से प्रस्तावित मूल्य से ऊंची दरों पर क्रय किया और वित्तीय अनियमितता की ? क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर उक्त प्रधानाचार्य व कालेज के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

संदर्भगत प्रकरण में विस्तृत जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

मथुरा एवं वृन्दावन में शीत-लहरी के समय अलाव पर व्यय की गयी धनराशि

144—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1983 जनवरी व फरवरी, 1984 में आयी शीत लहरी के समय नगर मथुरा एवं वृन्दावन में कहां-कहां पर अलाव जलाये गये और कितनी धनराशि उस पर व्यय हुई ? क्या यह सच है कि बिना अलाव जलाये ही भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

नगर मथुरा में निम्नलिखित स्थानों पर अलाव जलाये गये—

जनलगंज, बंगालीघाट, चौराहा, भरतपुर वाली हवेली, असकुन्डा चौराहा डीगगेट पुलिस चौकी के पास, सन्तघाट, मसानी चौकी चुंगी के सामने, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के पास वाला डम्पियरनगर का चौराहा, क्वालिटी होटल के पास चुंगी चौकी के सामने, होली गेट चौराहा और विश्राम घाट चौराहा।

नगर वृन्दवन में निम्नलिखित स्थानों पर अलाव जलाये—

विद्यापीट चौराहा, चुंगी चौराहा, वनखंडी महादेव का तिराहा, पत्थ पुरा तांगा स्टैन्ड और मिर्जापुर धर्मशाला। मथरा में रु0 1,429 की धनराशि व्यय हुई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

145--श्री सरदार सिंह--

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगरपालिका, मथुरा को रोशनी, सड़क एवं शौचालय हेतु दी गई धनराशि

146--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में नगर-पालिका मथुरा को रोशनी, सड़क एवं शौचालय हेतु कितनी धनराशि दी गई और इस धनराशि से नगर पालिका मथुरा ने कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कराये ?

श्री विद्याभूषण--

वर्ष 1983-84 में नगरपालिका, मथुरा को 5 लाख रुपये का सड़क अनुदान, सड़क निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत किया गया तथा प्रकाश व्यवस्था व शौचालय के निर्माण हेतु शासन द्वारा अलग से कोई धनराशि नहीं दी गई। उक्त अनुदान के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत इस नगरपालिका को 5,63,500 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत रनीमंडी तथा अन्तापाड़ा हरिजन बस्तियों के विकास हेतु अन्य कार्यों के अलावा इनमें शौचालय, खड़ंजा निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 109 पर।)

मथुरा नगर में होली गेट से डाकघर तक किया गया सौन्दर्यीकरण

147--श्री सरदार सिंह—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर में होली गेट से लेकर सिटी डाकघर तक शहर का सौन्दर्यीकरण फरवरी, मार्च, 1984 में किया गया है ? यदि हां, तो नगर की सुन्दरता बढ़ाने के लिए क्या-क्या कार्य किये गये तथा कुल कितना व्यय हुआ ? क्या विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

जी हां, आंशिक रूप में सौन्दर्यीकरण किया गया। होली गेट से सिटी डाकघर तक लगभग 200 मीटर की लम्बाई में सड़क के मध्य ईंटों का चैनल बनाने हेतु 40,555 रु0 की निविदा स्वीकृत हुई थी। इसके अन्तर्गत अब तक 23,777.00 रु0 का व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरण द्वारा नगर के सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत अन्य कार्य नहीं कराया गया है।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये भवन

148--श्री सरदार सिंह--

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण जो मकान बनाता है, उनके मूल्य निर्धारण का आधार क्या है, उसकी लागत प्रति स्क्वायर फीट/गज कितनी है और वह कितने मूल्य पर दिया जाता है ?

श्री विद्याभूषण--

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक विभिन्न वर्ग के बनाये गये भवनों का विकास कार्य अपूर्ण रहने के कारण अभी तक उनके वास्तविक मूल्य का आंकलन नहीं किया जा सका है। अतः भवनों का प्रति वर्ग फीट/गज को दर से मूल्य बताया जाना सम्भव नहीं है। समस्त कार्य पूर्ण होने पर भवनों पर वास्तविक व्यय की गयी धनराशि के आधार पर प्रति वर्ग फीट अथवा वर्ग गज में मूल्यांकन किया जायेगा।

पंजीकरण के उद्देश्य से निम्नलिखित आधारों पर अनुमानित मूल्य निर्धारित किया गया था--

1--भवन की कुल भूमि का मूल्य,

2--भवन निर्माण का मूल्य,

3--विकास कार्य पर व्यय,

4--व्यय किये गये धन पर ब्याज,

5--लाभांश कुल व्यय पर 10 प्रतिशत,

6--पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत,

7--कन्टीजेन्सी व्यय तथा टूल ऐण्ड प्लाम्ब आदि पर व्यय।

नगरपालिका, मथुरा में रोशनी, सड़क एवं शौचालयों की व्यवस्था

149--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर की नगरपालिका क्षेत्र मथुरा के इलाकों में रोशनी, सड़क, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो शासन वार्ड वाइज सभी मुहल्लों में जांच कराकर सभी नागरिकों को सुविधायें देने की कृपा करायेगा ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

नगरपालिका, मथुरा के 161 मुहल्लों में से 159 में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था है तथा 160 मोहल्लों में सड़क की व्यवस्था है। नगर में 41 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता है जिसमें 26 स्थानों पर शौचालय बने हैं। आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण पालिका शेष 15 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा पाने में असमर्थ है।

नागरिकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व नगरपालिका का है अतएव इसके लिए शासन द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता। पालिका अपनी सीमित आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत नागरिकों को अधिक से अधिक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सचेष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय क्रीडांगन "के0 डी0 सिंह बाबू" का नाम 'कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू' रखे जाने की मांग

150--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या खेलकूद मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ स्थित केन्द्रीय क्रीड़ांगन (स्टेडि-

थम) का नामकरण प्रसिद्ध हाकी खिलाड़ी "कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू" के नाम पर के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार हिन्दी की शैली, कथित खिलाड़ी की प्रसिद्धि व राज्य सरकार द्वारा देवनागरी लिपि में हिन्दी को प्रोत्साहन देने की नीति के सन्दर्भ में उपरोक्त स्टेडियम का नाम कुंवर दिग्विजय (सारी दिशाओं को जीतने वाला) क्रीडांगन करने पर शीघ्र कदम उठाकर क्रियान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हां । क्योंकि कुंवर दिग्विजय सिंह 'बाबू' के0 डी0 सिंह 'बाबू' के नाम से ही प्रख्यात थे । अतएव इसी आधार पर लखनऊ स्थित केन्द्रीय क्रीड़ांगन का नाम के0 डी0 सिंह 'बाबू' स्टेडियम रखा गया ।

कृषि विभाग, भूमि संरक्षण अनुभाग, अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल मण्डलों के कर्मचारियों का स्थायीकरण

151--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल मंडलों के जो 510 अस्थायी पद शासनादेश संख्या 197/12(3)-410/75, दिनांक 10 जून, 83 द्वारा स्थायी घोषित किये जा चुके हैं, के अनुपालन में सम्बन्धित मंडल के कर्मचारियों का स्थायीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री यशपाल सिंह--

शासनादेश संख्या 197/12(3)-410/75 दिनांक 10 जून, 83 द्वारा भूमि संरक्षण अनुभाग के पौड़ी, अल्मोड़ा एवं देहरादून मण्डलों के 510 अस्थायी पदों को स्थायी घोषित किया गया है जिन पर स्थायीकरण की कार्यवाही क्रमिक है

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा पंजीकृत लीसा इकाइयों और लीसा का आवंटन

152--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1975 जोकि वर्ष 1976 में अधिनियम में परिणित हो गया है की धारा 10 के अधीन वर्ष 1975 से वर्ष 1984 तक के पृथक्-पृथक् वर्ष में नामवर कितनी लीसा इकाईयों को पंजीकृत किया गया है तथा पृथक्-पृथक् वर्षों में कितनी इकाइयों को कितनी मात्रा में लीसा का आवंटन संभव किया गया है ?

श्री संजय सिंह--

पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश 1975 जो वर्ष 1976 में अधिनियम में परिणित हो गया है, की धारा 10 के अधीन वर्ष 1976-77 से 1984-85 तक पंजीकृत इकाइयों की सूचना संलग्नक 'क' † में दी हुई है ।

वर्ष 1976-77 से 1983-84 तक इकाइयों को लीसा आवंटन सम्बन्धी सूचना संलग्नक 'ख' † में दी हुई है ।

153--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

इन्दिरा नगर, लखनऊ की दुकानों का निरस्तीकरण एवं आवंटियों द्वारा दिया गया शिकायती पत्र

154--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का दि0

† छापी नहीं गयी ।

16-7-83 व 28-10-83 का पत्र इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-6 के अन्तर्गत निरस्त की गयी दुकानों को पुनर्जीवित करने व सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का पत्र जिसमें दिनांक 27-10-83 टाइप था तथा उसे काट कर दिनांक 31-10-83 अंकित किया हुआ प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने श्री अवधेश कुमार अग्रवाल को निरस्त की गयी दुकान को पुनर्जीवित करने तथा सुविधाएं दिये जाने का अनुरोध किया है । आवास विकास परिषद् ने श्री अग्रवाल की दुकान का निरस्तीकरण किस्तों का समयान्तर्गत भुगतान न करने के कारण किया है । इस व्यवसायिक केन्द्र में सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं ।

155—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर लखनऊ योजना में सेक्टर-6 के अन्तर्गत बनी दुकानों के आवंटियों का शिकायती-पत्र दिनांक 18-11-82, 27-1-83, 1-3-83 व 22-2-83 को आवास विकास परिषद् ने प्राप्त किया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों पर आ० वि० प० द्वारा कोई निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

जी हां । आजाद मार्केट एसोसियेशन के सदस्यों द्वारा की गयी शिकायतों का निराकरण आवास विकास परिषद् द्वारा कर दिया गया है ।

गोरखपुर जिले के बागापार कृषि फार्म के ग्रेडर मशीन का त्रुटिपूर्ण भवन निर्माण

156—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 में जनपद गोरखपुर में स्थान बागापार कृषि फार्म में ग्रेडर मशीन स्थापित करने हेतु बना भवन तृतीय व द्वितीय श्रेणी की ईंटों के साथ-साथ एक और बारह के अनुपात में सीमेंट व बालू से बना लगभग 3 लाख का भवन तैयार होने के बाद से ही गिरना प्रारम्भ हो गया ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरदोई जिले के विकास खंड सान्डी, हरपालपुर एवं बिलग्राम के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

157—श्री हरी शंकर तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ब्लाक सान्डी, हरपालपुर, बिलग्राम जिला हरदोई में 1500 या इससे अधिक आबादी के कितने गांव हैं और कितने गांवों को मुख्य मार्ग से सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया है । यदि नहीं, तो कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नोत्तर हेतु आवश्यक सूचना विभिन्न विभागों (जनगणना आदि) से प्राप्त करना आवश्यक है । अभी जिले से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ के आशुलिपिकों के स्थानान्तरण की मांग एवं उनको आवास का आवंटन तथा मकान किराया भत्ता

158—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-1977 के बाद नियुक्ति आशुलिपिकों को लखनऊ जनपद के बाहर स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इन्हें लखनऊ के बाहर स्थानान्तरित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि, हां, तो कब तक ?

श्री विद्या भूषण--

सामान्यतः आशुलिपिकों के स्थानान्तरण तैनाती के स्थान से अन्यत्र नहीं किये जाते जब तक कि स्थानान्तरण के लिये आशुलिपिकों द्वारा प्रार्थना न की गयी हो अथवा कोई प्रशासनिक कारण न हो जाये ।

159—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0 171 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृप करेंगे कि संलग्न सूची में कितने आशुलिपिक ऐसे हैं जिनके नाम सरकारी आवास आवंटित नहीं हैं और सरकारी आवासों में रह रहे हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं ? इनमें से कितने आशुलिपिक ऐसे हैं जिन्हें मकान किराया भत्ता उनके वेतन के साथ दिया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके मकान किराये भत्ते की राशि की वसूली करके उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी । यदि हां, तो कब तक । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हल्द्वानी तथा रामनगर वन प्रभाग में वन रक्षकों का चयन

160--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी तथा रामनगर वन प्रभाग में वन रक्षकों का चयन माह जुलाई, 1983 में किया गया था ? यदि हां, तो चयन की प्रक्रिया क्या थी और चयनित कितने युवकों को अब तक वन रक्षक का पद दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

हल्द्वानी वन प्रभाग में माह, जुलाई, 1983 में वन रक्षकों का चयन किया गया, परन्तु रामनगर वन प्रभाग में जुलाई, 1983 में वन रक्षकों का कोई चयन नही किया गया ।

अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार चयन कराया गया । 11 अभ्यर्थी चयनित किये गये, जिनमें से 7 अभ्यर्थियों को वन रक्षक के पद पर नियुक्ति दी गयी एवं शेष 4 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया ।

हल्द्वानी वन प्रभाग छकाला रेंज के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

161—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी वन प्रभाग छकाला रेंज के दैनिक श्रमिकों को माह जून, 1983 से अब तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

हल्द्वानी वन प्रभाग, छकाला रेंज के दैनिक श्रमिकों को पूर्ण वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

कृषि विभाग पर्वतीय क्षेत्र के लेखाकारों की कथित छंटनी

162—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो लेखाकार वर्षों से कार्यरत हैं उनके स्थान पर

सहायक लेखाकारों की नियुक्ति की जा रही है और पूर्ववत् लेखाकारों की छटनी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

163--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[3रें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

इलाहाबाद, शंकरगढ़, जसरा, कोधियारा विकास खण्डों में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का भवन

164--श्री रमा कान्त मिश्र--

क्या पशुधन विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के शंकरगढ़, जसरा, कोधियारा एवं चाका विकास खण्डों में किन-किन स्थानों पर पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर, भेड़ केन्द्र, बकरी फार्म एवं सुअर फार्म किन-किन वर्षों से कार्यरत हैं ? इनमें से किस-किस के पास भवन नहीं है तथा किनके भवन जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत होकर शासन के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं ? इनके भवन कब तक स्वीकृत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जनपद इलाहाबाद में शंकरगढ़, जसरा, कोधियारा एवं चाका विकास खण्डों में कार्यरत पशु चिकित्सालय पर सेवा केन्द्रों तथा भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थिति निम्नानुसार है :--

विकास खन्ड	पशु चिकित्सालय	स्थापना वर्ष	भवन
	पशु चिकित्सालय--		
शंकरगढ़	1--शंकरगढ़	1962-63	राजकीय भवन
	2--लालापुर	1982-83	किराये का भवन
	पशु-सेवा केन्द्र--		
	1--नारी बारी	1976-77	राजकीय भवन
	2--पटेल नगर	1982-83	किराये का भवन
	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र--		
	1--लोहगरा	1972-73	किराये का भवन

विकास खण्ड	पशु चिकित्सालय	स्थापना वर्ष	भवन
	पशु चिकित्सालय--		
जसरा	1--जसरा	1962-63	राजकीय भवन
	2--जारी	1976-77	राजकीय भवन
	(प0 से0 के0 का पुराना भवन)		
	3--बारा	1982-83	राजकीय भवन
	पशु-सेवा केन्द्र--		
	1--बमेहरा	1976-77	किराये का भवन
	2--घूरपुर	1976-77	तदेव
	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र--		
	1--जसरा	1973-74	किराये का भवन
	पशु चिकित्सालय--		
कौंधियारा	1--कौंधियारा	1981-82	किराया रहित भवन
	पशु-सेवा केन्द्र--		
	1--करमा	1974-75	राजकीय भवन
	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र--		
	1--करमा	1972-73	किराये का भवन
	पशु चिकित्सालय--		
	1--चाका	1962-63	राजकीय भवन
	2--बगवना	(विगत 18 वर्षों से)	तदेव
	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र--		
चाका	1--चाका	1973-74	किराये का भवन
	2--रेही	1971-72	तदेव

उपरोक्त चारों विकास खण्डों में कोई बकरी तथा सूकर फार्म कार्यरत नहीं है ।

उपरोक्त संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला/मंडल समिति द्वारा स्वीकृत नहीं है और न ही शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित है । अतः 1984-85 में भवनों के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता । विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत अब भवनों के निर्माण के प्रस्ताव जिला/मंडल समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् शासन को भेजे जाते हैं । सम्बन्धित जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

इलाहाबाद के नवसृजित विकास खण्डों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास भवन

165--श्री रमा कान्त मिश्र--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने को कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में नवसृजित विकास खण्ड में कर्मचारियों हेतु मात्र 4 ए0 डी0 ओ0 के आवास बने है ? बी0 डी0 ओ0, लिपिक, चपरासी तथा ए0 डी0 ओ0 के शेष 4 आवास सरकार कब तक बनवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए कार्यालय भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है । जैसे ही आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध होगी प्रश्नगत भवनों का निर्माण करा दिया जायेगा ।

इलाहाबाद के नवसृजित, विकास खण्ड कौधियारा के लिये भवन का निर्माण

166--श्री रमा कान्त मिश्र--

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में नवसृजित विकास खण्ड कोधियारा में कृषि बीज भण्डार एवं कृषि रक्षा इकाई के स्टाफ एवं भवन निर्माण का कार्य जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत होकर शासन के पास स्वीकृति हेतु आया है ? यदि हां,तो सरकार भवन निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

इलाहाबाद के नवसृजित विकास खन्ड कौधियारा में कृषि बीज भण्डार की शासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है । इसके लिये स्टाफ उपलब्ध है । कृषि रक्षा इकाई के लिये स्टाफ एवं भवन निर्माण का कार्य का प्रस्ताव पर्याप्त औचित्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सका ।

भवन निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के यांत्रिक अभियन्ताओं को प्रशासनिक नियन्त्रण से हटाये जाने की मांग

167--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के यांत्रिकी के कार्यों (मैकेनिकल वर्क्स) में एकरूपता, गतिशीलता व समान प्रशासनिक नियंत्रण रखने हेतु जल निगम के सम्पूर्ण यांत्रिकी शाखाओं व मंडलों को कब से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

(यांत्रिकी) के प्रशासनिक नियंत्रण में करने के आदेश शासन द्वारा दिये जा रहे हैं और नहीं, तो क्यों व उन्हें सिविल अभियन्ताओं के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने का औचित्य क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

जल निगम के सम्पूर्ण यांत्रिकी शाखाओं व मण्डलों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) के प्रशासनिक नियंत्रण में करने के कोई आदेश नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक कारणों से यह सम्भव नहीं है। कार्यों में एकरूपता आदि लाने के लिये निगम के सभी विद्युत/यांत्रिक शाखाओं/मण्डलों को तकनीकी मार्गदर्शन मुख्यालय द्वारा दिया जाता है। उन्हें सिविल अभियन्ताओं के प्रशासनिक नियंत्रण में रखना कार्यों में समन्वय तथा प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर क्षेत्र एवं इलाहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित पम्प हाउसों पर नियुक्त पम्प आपरेटर

168—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर क्षेत्र व इलाहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति के लिये बनाये गये पम्प हाउसों को चलाने हेतु अधिकांश पम्पों पर एक पम्प आपरेटर या अटेन्डेन्ट की नियुक्तियां की गयी हैं व उनसे 24 घंटे काम लिया जाता है जब कि नगरपालिकाओं में उनसे आठ घंटे ही काम लिया जाता है ? यदि हां, तो एक जल सम्पूर्ति योजना के पम्पों को चलाने हेतु एक स्कीम पर कम से कम दो आपरेटरों या अटेन्डेन्टों की नियुक्तियां की जायेंगी और नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र व इलाहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति के लिये बनाये गये पम्प हाउसों पर आवश्यकतानुसार एक या उससे अधिक पम्प आपरेटर या पम्प अटेन्डेन्ट की नियुक्ति की गई है, उनसे 24 घंटे काम नहीं लिया जाता है। आपरेटर या अडेन्डेन्टों की नियुक्तियां आवश्यकतानुसार ही की जायेंगी।

भूतपूर्व स्वायत्त शासन अभियन्ता विभाग के सिविल एवं यांत्रिकी कार्यों के निर्धारण हेतु गठित समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

169—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश में शासन ने सिविल एवं यांत्रिकी के कार्यों के निर्धारण हेतु जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी, उस समिति ने उक्त विभाग (वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल निगम) से सम्बन्धित जो सिफारिशें की थी व उनमें से शासन ने जिन्हें मान लिया था, वह सिफारिशें अलग-अलग क्या हैं व जिन सिफारिशों को नहीं माना गया था, उसका कारण क्या था ?

श्री विद्या भूषण—

भूतपूर्व स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के सिविल एवं यांत्रिकी के कार्यों के निर्धारण हेतु समिति ने केवल निम्न-लिखित दो सिफारिशें ही की थीं :—

(1) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के बारे में समिति की राय यह है कि अभी तक विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं को परामर्श-दाताओं के रूप में रखने की जो पद्धति है वह ठीक नहीं है और इनको कार्यकारी चार्ज देना चाहिए। यह चार्ज उसी प्रकार

से दिया जाय जैसा कि अभी तक सिविल अभियन्ताओं को दिया जाता है ।

(2) जल सम्पूर्ति व्यवस्था के बारे में एक ओर सिविल अभियन्ताओं का और दूसरी ओर विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं का अलग-अलग मन्तव्य था, परन्तु योजना में किसी अनुशासन का अभियन्ता अधिक प्रभावकारी और दक्षतापूर्वक कार्य कर सके इस बात की विवेचना करते हुए समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि पूरे विभाग में जितना भी काम हो रहा है उसका कम से कम 20 प्रतिशत काम विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं का है और उसी अनुपात में उक्त स्टाफ की नियुक्ति की जाय ।

170—श्री नन्द किशोर सिंह—

उक्त के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंग कि शासन द्वारा तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्ता विभाग से सम्बन्धित जो सिफारिशें ली गयी थीं व उसे लागू करने के लिए शासन द्वारा जो आदेश मई, 1974 के अंत में जारी किये गये थे, उस शासनादेश की प्रतिलिपि क्या है व यदि उक्त शासनादेश द्वारा आंशिक रूप से सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु आदेश जारी किये गये थे, तो शष सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु शासन ने कब व क्या आदेश किये व उक्त आदेश की प्रतिलिपि क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

यद्यपि शासनादेश संख्या 3504/9-3-74/699 (1)-सी/73, दिनांक 25 मई, 1974, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, ऊपर (2) पर इंगित सिफारिश के सम्बन्ध में किया गया था । किन्तु उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दोनों सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं ।

देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 111

171—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उत्तर प्रदेश जल निगम में उक्त शासनादेशों के अनुरूप सिविल व यांत्रिकी के कार्यों का बंटवारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से हैण्ड पम्पों के लगाने का सम्पूर्ण कार्य जो सौ फीसदी यांत्रिकी है, सिविल शाखाओं द्वारा यांत्रिकी अभियन्ताओं के बेकार रहते, ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया है व जा रहा है व उक्त सम्बन्ध में आगे के लिए क्या आदेश दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां । हैण्ड पम्पों के लगाने का कार्य सौ फीसदी विद्युत/यांत्रिक सम्वर्ग का ही कार्य नहीं है । यह भी सही नहीं है कि विद्युत/यांत्रिक अभियन्ता बेकार हैं अथवा सिविल शाखाओं द्वारा सभी कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराये जा रहे हैं । अतः उक्त के सम्बन्ध में जल निगम द्वारा आगे के लिये कोई आदेश नहीं दिये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में मस्टर रोल एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगायी गयी कथित रोक और सरप्लस कर्मचारी

172—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में किन कारणों से मस्टर रोल व वर्कचार्ज में नियुक्तियों पर रोक लगायी गयी है जबकि अवर अभियन्ताओं व सहायक अभियन्ताओं की बराबर नयी नियुक्तियां की जा रही हैं और नयी-नयी शाखाओं का सृजन किया जा रहा है ?

श्री विद्या भूषण--

उत्तर प्रदेश जल निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति किये जाने का निर्णय कार्यों की आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। मस्टररोल तथा वर्क-चार्ज अधिष्ठान में अभी और कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई मजदूर/मिस्त्री जिन्हें हाथ से काम करना पड़ता है, को मस्टररोल पर रखे जाने हेतु कोई रोक नहीं है।

173--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में उ0 प्र0 जल निगम में वर्कचार्ज में या मस्टररोल में सरप्लस स्टाफ है? यदि हां, तो उनकी नियुक्तियां पूर्व में, इतनी क्यों कर ली गयी हैं कि वे आज सरप्लस हो गये हैं व उनकी कुल संख्या वर्तमान में कितनी है जो सरप्लस हैं व उनको भविष्य में कहां व किन कार्यों पर लगाया जायेगा?

श्री विद्या भूषण--

सूचना एकत्र की जा रही है।

174--श्री नन्द किशोर सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ताओं एवं अन्य अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच

175--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में अधिशासी अभियन्ता व उनके ऊपर के अन्य अभियन्तागण की कुल तादाद कितनी है जिनके ऊपर विभिन्न गम्भीर वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की जांच एक साल से अधिक समय से की जा रही है और अब तक जांच की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पायी है व उक्त अभियन्तागण के विरुद्ध अलग-अलग आरोप क्या हैं तथा त्वरित निर्णय हेतु शासन द्वारा कौन सा निर्णय लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण--

उत्तर प्रदेश जल निगम में अधिशासी अभियन्तागण व उनके ऊपर के 25 अभियन्ताओं के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच एक वर्ष से अधिक समय से चल रही है और अभी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे मामलों की सूची संलग्न है।

त्वरित निर्णय हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1113 पर।)

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या एवं नियमितीकरण

176--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य प्रभारी अधिष्ठान में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें से ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या अलग-अलग कितनी है जो क्रमशः तीन साल व पांच साल से अधिक समय से उत्तर प्रदेश जल निगम की सेवा में कार्यरत हैं व जो कर्मचारी पांच साल से अधिक समय से कार्यरत हैं उनमें से कितनों को नियमित अधिष्ठान में ले लिया गया है और शेष को नियमित करने के लिए क्या आदेश किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उ0 प्र0 जल निगम द्वारा उनकी नियुक्तियों में उपेक्षा बरती जा रही है?

श्री विद्या भूषण--

कार्य प्रभारी अधिष्ठान में जो नियुक्तियां की जाती हैं उनमें से कुछ तो सेवा छोड़कर स्वयं ही चले जाते तथा कुछ को कार्य न होने

दिया जाता है । ऐसी स्थिति में कार्य प्रभारी अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की अद्यावधिक संख्या बताया जाना कठिन है । पांच वर्ष से अधिक सेवा-काल वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्य 4,800 है । 3 वर्ष से 5 वर्ष की सेवाकाल के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

अभी तक किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया गया है । नियमितीकरण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि पांच वर्ष या उससे अधिक से निरन्तर कार्यरत ऐसे कार्यप्रभारित कर्मचारियों को, जो सेवा में बनाये रखे जाने योग्य पाये जायेंगे, को नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कर दिया जायेगा । नियमित करने के लिए विनियमावली बनायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

विकास खंड चायल, इलाहाबाद के चौकीदार, श्री मो0 इब्राहीम की नियुक्ति

177--श्री मो0 नबी खां--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 से सितम्बर, 1975 के बीच श्री मो0 इब्राहीम, चौकीदार, विकास खंड चायल, इलाहाबाद में कार्यरत था ? यदि हां, तो उक्त इब्राहीम को विभाग में छटनी शुदा कर्मचारी की हैसियत से विभाग में अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री इब्राहीम की जूनियर चौकीदार के पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिह यादव--

जी हां ।

पद रिक्त न होने के कारण अभी तक नियुक्ति नहीं की जा सकी । नियुक्ति ज्येष्ठता एवं पद रिक्त होने पर निर्भर करेगी ।

कृषि विभाग द्वारा आइसोप्रोटुरान गेहूं रोग नाशक दवा की खरीद और अवशेष दवा

178--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि चन्द माह पूर्व प्रश्नकर्ता ने बिना किसी मांग के करीब 7 करोड़ रु0 मूल्य की आइसोप्रोटान नामक गेहूं रोग नाशक दवा खरीदने में भयंकर घोटाले की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर पूरे प्रकरण की जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिह--

जी हां ।

जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई । भारत सरकार की योजना तथा गेहूं उत्पादन में होने वाली क्षति को रोकने का एक व्यापक कार्यक्रम वर्ष 1983-84 में चलाया गया जिसके अनुसार कृषि विभाग ने 3·39 करोड़ मूल्य का आइसोप्रोटुरान भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दर अनुबन्ध के अनुसार खरीद की । शासन ने निर्धारित दरों म भी विक्रेताओं से कमी करवाई जिससे शासन को 7,19,2000 रुपए की बचत हुई । इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है तथा 64,500 हेक्टेयर भूमि, जो उपचार किया गया उससे अनुमानतः 21,285 मै0 टन गेहू के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है । अतः इसमें किसी घोटाले का प्रश्न नहीं उठता ।

179--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह भी सच है कि उक्त 7 करोड़ की दवा से केवल 2 करोड़ की दवा ही वितरित करायी गयी ? यदि हां, तो शेष 5 करोड़ की दवा गोदामों में पड़ी सड़ रही है, उसकी क्षतिपूर्ति किस अधिकारी से की जायेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं। कृषि विभाग ने मात्र 3·39 करोड़ का ही क्रय किया है और इसमें से 1·35 करोड़ का रसायन उपयोग हो गया।

शेष 2·04 करोड़ का रसायन विभागीय गोदामों में आगामी उपयोग के लिए सुरक्षित है। यह दवा सड़ने वाली नहीं है। अतः किसी अधिकारी से क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

180—श्री मोहन सिंह—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

181—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

[1ले बुधवार में अता० प्र० संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

[12·21 मिनट]

विधान सभा सदस्य श्री रामजी राम एवं श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, अत्यन्त दुःख के साथ इस सम्मानित सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस सदन के परम सम्मानित सदस्य श्री रामजी राम और श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, नियति के विधान को स्वीकार नहीं था और वे हमें छोड़ कर चले गये।

श्री रामजी राम जोकि 53 वर्ष की आयु के हमारे होनहार विधायक थे, 10 वर्ष तक संसद सदस्य भी रहे और उनसे बड़ी आशायें थीं। वे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति परिषद् के अध्यक्ष थे और न केवल फैजाबाद जनपद, जिसकी कि उन्होंने आजन्म सेवा की, बल्कि जन-जन की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्बन करने हेतु वे सदैव तत्पर रहते थे। एक अध्यापक के रूप में, साम्यवादी विचारक के रूप में, रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देश की और प्रदेश के जनपद की बड़ी सेवायें कीं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से थे। मुझे स्मृति आती है सन् 1952 की, 32 वर्ष पहले जब कि उनके सान्निध्य में विधान सभा में मुझ सेवक को भी पदार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पिछली बार 1980 में वे छठी बार विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। दस वर्ष के लगभग वे लोकसभा के भी सदस्य रहे और वहां अनेक संसदीय समितियों में उन्होंने कार्य किया। यहां इस प्रदेश में इस विधान मंडल में तो उन्होंने विधान सभा की सर्वाधिक समितियों में सेवायें कीं। उनके अनुभव से समितियां लाभ उठाती रहीं। वह शासन के सदस्य भी रहे और मंत्रिपरिषद् के सदस्य रह कर भी उन्होंने 4-5 वर्ष इस प्रदेश की सेवा की। मुझे, आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब 3 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई तो, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। उनके अन्तिम दर्शन में भी उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, जो उनके जीवन-काल में सदैव उनके मित्रों, भाइयों और साथियों को प्रेरित करती रहती थी।

श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस सदन की ओर से और हमारे दल की ओर से आप हमारे दोनों सम्मानित साथियों के शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदना प्रेषित करने का कष्ट करें और हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि उनके परिवारों का प्रेषित करने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, इस वर्तमान विधान सभा के कई माननीय सदस्य काल के क्रूर हाथों द्वारा हमारे बीच से लिए जाते रहे। मान्यवर, उसी क्रम में हमारे इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदन के दो साथी श्री रामजी राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट मौ काल के क्रूर हाथों द्वारा हमारे बीच से उठा लिए गए।

मान्यवर, अभी नेता सदन ने इन दोनों माननीय सदस्यों के निधन पर जो अपनी सम्वेदना के भाव व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री रामजी राम की मृत्यु बहुत ही असामयिक थी, उनका निधन एक दुर्घटना से हुआ, वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं थे लेकिन भाग्य की विडम्बना कि उन्हें एक दुर्घटना द्वारा मत्यु प्राप्त हुई और वे हमारे बीच से चले गए। मान्यवर, श्री रामजी राम का कार्य क्षेत्र चाहे अपना जिला ही रहा हो लेकिन उनके कार्य से पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जातियों का उत्थान होता रहा। उन्होंने अपने समय में उनके कार्यों में विशेष रुचि ली।

स्वर्गीय श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट इस सदन के लम्बे अरसे तक सदस्य रहे। केवल पर्वतीय विकास ही नहीं, जिस क्षेत्र से वे संबंधित थे, बल्कि उन्होंने प्रान्त के विकास में अपनी प्रतिभा द्वारा काफी योगदान किया।

इन दोनों सदस्यों को अपने बीच से चले जाने पर मुझे बहुत दुख है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से समवेदना के भाव व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही आप से निवेदन करता हूं कि हमारी समवेदना दोनों के शोक संतत परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमान, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से स्वर्गीय श्री रामजी राम तथा स्वर्गीय श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट के निधन पर जो भाव सम्मानित नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मुझे इन दोनों साथियों के साथ काम करने का सुअवसर मिला। ये अपना अनुभव और राजनीतिक तजुंबा रखने वाले लोग थे, विशेषकर श्री रामजी राम का पिछड़े वर्ग के विकास के लिये उनका अपना ही ढंग था, उनका अपना तरीका था उससे हमने भी कुछ सीखा। उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला विष्ट जी का चेहरा जब सामने आता था तो बहुत सी चीजे सीखने को मिल जाती थीं, चाहे वह एडमिनिस्ट्रटिव हों या कोई दूसरी बातें हों, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, मैं अपने और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक प्रेषित करने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि आज इस सत्र के लिए हम लोग यहां पर जमा हुए हैं तो 11, वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों का कन्डोलेन्स करना पड़ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने जो इखलात जाहिर किए हैं, मैं और मेरा दल उनसे अपने को सम्बद्ध करता है।

माननीय रामजी राम के निधन पर मैं गहरे दुख का इजहार करता हूं। वह बागों बहार आदमी थे। तबियत यही चाहती थी कि उनसे बातें करते ही रहें। रामजी राम को एक बार ऐसे मौके पर देखा जब कवि सम्मेलन में वह गए हुए थे, जहां पर बड़ा हंगामा पैदा हो गया था तो वह बड़ी खमोशी के साथ रहे, जैसे कोई बात ही न हुई हो और वह कवि सम्मेलन मेरे जिले में हुआ था। पार्लियामेंटरी मिनिस्टर के बराबर की जगह पर हुआ था। मैंने अन्वाज लगाया कि वह अपने ऊपर पूरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से कंट्रोल रखते हैं। वह जानते थे कि कहां पर किस किस्म की बात करनी चाहिए। वह पार्लियामेंट के मेम्बर रहे और वह जानते थे कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी क्या होती है। वह कम्युनिस्ट रहे और वह जानते थे कि जनता के दुख में किस तरह से शरीक हुआ जाता है। वह बहुत जल्दी चले गए, उनकी उम्र केवल 53 वर्ष की थी और वह हमें छोड़ कर चले गए। उन्हें जिन्दा रहकर बहुत से काम करने थे। हमारी उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। अन्त तक वह जनता की सेवा करते रहे, लेकिन यह कुदरत को मंजूर नहीं था और उनको हमारे बीच से उठा लिया। आप मेरे और मेरे दल की ओर से दुखी परिवार को हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट हमारे बीच में नहीं रहे, वह बड़े पार्लियमेन्टेरियन थे। यूरोप, अमेरिका, जर्मनी और दुनिया के तमाम मुल्कों में वह घूम चुके थे। उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बहुत जानकारी थी। किस तरह से डील किया जाय किस तरह से बात की जाये, कानून किस तरह से बनाया जाये इन सब बातों को वह भली भांति जानते थे। आज क्या है कानून बनाने वाले कानून से जानकारी नहीं रखते हैं, वह नहीं जानते हैं कि कानून क्या होता है, लेकिन बिष्ट जी बहुत गम्भीर थे। मुझे जब भी उनसे बात करने का मौका मिला, उनकी बातें मुझे बहुत ठोस लगीं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। जो वह बात कहते थे वह बहुत दूर की होती थी। उनकी उम्र 70 साल की थी लेकिन उनके चेहरे को देखने से बहुत ही स्वस्थ नजर आते थे और ऐसा मालूम पड़ता था कि वह बहुत अर्से तक जीवित रहेंगे, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था, उसने उनको हमसे छीन लिया। मैं समझता हूं कि केवल पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश उनसे प्रभावित था और उनके चले जाने से जो नुकसान हुआ है वह पूरा नहीं हो सकता है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी भावनायें शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय रामजी राम और नरेन्द्र सिंह बिष्ट के निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय रामजी राम एक गरीब और हरिजन नेता थे। उन्होंने राजनीति की शुरुवात कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की थी। 1967 के संसदीय चुनाव में हमारी पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी और वह जीत गए और रिपब्लिकन पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए और तदुपरान्त कांग्रेस में गये। अन्त तक चाहे जिस दल में वे रहे हों जो उनका ध्येय था गरीबों की सेवा करना, वे हमेशा करते रहे। उनके न रहने से, यह सही है कि गरीबों ने अपना एक अच्छा कार्यकर्ता खो दिया है।

माननीय बिष्ट जी हमारे इस सदन के जो गिने-चुने पुराने सदस्य हैं, उनमें से एक थे। सन् 1957 से मेरा भी उनसे इस सदन में सम्पर्क रहा। उनका व्यवहार सबके प्रति भाई चारे का और मित्रता का रहता था और इसीलिये हम उनको भाई जी कहते थे। वे एक मिलनसार, मृदुभाषी और व्यवहार कुशल थे। उनके निधन से हमारे प्रदेश को एक अपूरणीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे ये विचार उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सर्व श्री रामजी राम और नरेन्द्र सिंह विष्ट के बारे में जो माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने अपने भाव प्रकट किये हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहां तक श्री रामजी राम का सम्बन्ध है वह एक अच्छे शायर और कवि थे। जब-जब हम लोग उनसे मिलते थे, उनसे बात किया करते थे तो कहते थे कि एक शेर सुना दीजिये। वे तुरन्त शायरी बना लेते थे और बोलते थे। उनका रिपब्लिकन पार्टी से सम्बन्ध रहा, कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रहा। 53 वर्ष की उम्र में ही उनका देहान्त हो जाना बहुत दुखदायी बात है। हरिजनों और दलित वर्ग की कमेटियों में उन्होंने अच्छा काम किया है। इसमें उनकी विशेष दिलचस्पी थी। उनको अपने बीच में न पाकर हम बहुत दुखी हैं। हमने एक समाज सेवी तथा हितैषी और गरीबों का रहनुमा अपने बीच से खो दिया है।

जहां तक श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट का सम्बन्ध है, मेरा परिचय उनसे 1952 से था। 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 तक लगातार वे इस सदन के सदस्य रहे। वे पी0 ए0 सी0 के सदस्य रहे, नियम समिति के सदस्य रहे। इसके अलावा वे कार्य मंत्रणा समिति के भी सदस्य रहे। वे अधिष्ठाता मंडल में भी थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 1952-1957 में सरकारें नैनीताल जाया करती थीं, उस वक्त चाहे कोई कहीं का भी रहने वाला हो, जो लोग वहां जाते थे, उनका वहां पर एक बंगला था, वे उनको वहां बुलाते थे और उनका सबका आदर करते थे, प्रेम करते थ और जितनी भी वहां पर ऐक्टिविटीज होती थीं उनमें वे हिस्सा लेते थे और हिस्सा लेने के लिये लोगों से कहते थे। इस तरह के पार्लियामेंटेरियन का, जिसने एक जमाना देखा हो, समाज सेवक रहा हो, हमारे बीच से चला जाना दुखदायी बात है। इनके बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भाव प्रकट किये हैं मैं उन्हें उनके शोक संतप्त परिवार तक भेज दूंगा। अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य श्री शांति प्रपन्न शर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री जटा शंकर शुक्ल, श्री जयपाल सिंह, श्री दीन दयाल करवरिया, सैय्यद मोहम्मद तकी हादी, श्री पन्ना लाल गुप्त तथा श्री विद्याधर वाजपेयी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं बड़े दुख के साथ सम्मानित सदन को यह सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि हमारे परम सम्मानित भूतपूर्व सदस्य श्री शांति प्रपन्न शर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री जटा शंकर शुक्ल, श्री जयपाल सिंह, श्री दीन दयाल करवरिया, सैय्यद मोहम्मद तकी हादी, श्री पन्ना लाल गुप्त तथा श्री विद्याधर वाजपेयी हमारे बीच में नहीं रहे।

श्रीमन्, श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा इस प्रदेश के जानेमाने व्यक्तित्व के रूप में चिरपरिचित हमारे सारे प्रदेश में रहे। 20 वर्षों तक शासन के सदस्य रह कर भिन्न-भिन्न विभागों का नेतृत्व कर उन्होंने इस प्रदेश की बड़ी सेवा की। मुझे स्मृति आती है कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते किस प्रकार वर्षों तक उन्होंने इस सदन की सेवा की और जो माधुर्य उनके व्यक्तित्व में तथा जो सहज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सरलता थी जो स्वाभाविक और प्राकृतिक भी थी उससे जो यहां का संसदीय कार्य था वह ओत-प्रोत रहता था, विभिन्न दलों के बीच माधुर्य का संबंध रहते थे। सदन का कार्य बड़ा खूबसूरती के साथ चलता था। विद्युत् मंत्री के रूप में राज्य की जो बड़ी-बड़ी परियोजनायें रिहंद से लेकर माता टीला तक के निर्माण में उनका आधारभूत योगदान रहा। सन् 1947 से लेकर 1974 तक की विधान सभाओं के वे सदस्य रहे। उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश क्षेत्रों का नेतृत्व किया और न केवल उन्होंने अपने जनपद की सेवा की बल्कि प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का उन्होंने प्रयास किया। शांति-निकेतन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आये और स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका योगदान रहा। वे देहरादून जिला परिषद् के अध्यक्ष भी रहे। इस प्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर कर उन्होंने प्रदेश के नेतृत्व में उच्च स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे सहयोगियों की मृत्यु से आज इस प्रदेश में एक रिक्तता ला दी है।

श्रीमन्, मेरी आपसे प्रार्थना होगी कि आप कृपा कर हमारा संवेदनात्मक संदेश और श्रद्धांजलि के पुष्प श्री शर्मा जी के शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जो इस प्रदेश के जाने-माने नेताओं में से दीर्घकाल तक रहे हैं। उनके असामयिक देहावसान से हम सबको धक्का लगा है। माधव प्रसाद जी संसदीय वृत्ति की प्रतिमूर्ति रहे हैं और सन् 1962 में जब वह पहली बार विधान सभा में चुन कर आये तो मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तब से प्रगाढ़ मित्रता उनसे हुई और आज भी उनका निर्मल व्यक्तित्व और निर्मल चरित्र सामने आता है। संसदीय परम्परा में कठिन से कठिन मौकों पर जबकि भावनाओं का आरोह अवरोह हो रहा हो, जब तनाव का वातावरण हो रहा हो उस समय आपने गम्भीर और मधुर स्वभाव से ऐसे क्षणों को भुलाने में और समस्याओं का समाधान निकालने में उनका पूरा प्रयास रहता था। वे प्रदेश के उद्योग मंत्री भी रहे हैं। और मुझे याद है जब वे उद्योग मंत्री थे तो किस प्रकार मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति से परामर्श किया करते थे मैं विरोधी दल के रूप में बैठता था तो एक अच्छी परम्परा उन्होंने डाली थी। वे लोक सभा के भी 1977 से 1980 तक सदस्य रहे और एक विशेष योगदान उन्होंने दिया। इस समय भी वे विधान परिषद् के सम्मानित सदस्य विरोधी दल के रूप में रहे। जब वे अस्वस्थ थे तो मुझे उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था मैं आधा घंटा बलरामपुर अस्पताल में रहा तो विभिन्न प्रकार की बातें उनसे हुई और मैंने उनसे परामर्श प्राप्त किया प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में। मुझे सपने में भी नहीं लगा कि वह हमें छोड़कर इस तरह चले जायेंगे। स्व0 श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ऐसे, व्यक्ति को, जो आज तक हमारे प्रदेश के राजनीतिक जीवन में प्रेरणा देता रहे और संसदीय जीवन एवं लोकतांत्रिक जीवन को प्रगाढ़ बनाता रहे, अवश्यकता थी। इसलिए उनके निधन से जो राजनीतिक जीवन में रिक्तता हुई है वह - कुछ मानों में अपूर्णनीय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें और श्रद्धांजलि के पुष्प उनकी याद में अर्पित करने का कष्ट करें।

श्री जटाशंकर शुक्ल, उन्नाव की विभूति थे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के माध्यम से उन्नाव जनपद की सतत सेवा की थी। वह 1937 में उन्नाव जिला से निर्वाचित होकर प्रथम बार इस सम्मानित सदन में आये थे। वर्ष 1952 में वे पुनः निर्वाचित हुए 7 तक सदस्य रहे। उन्होंने

देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। नमक सत्याग्रह आंदोलन सन् 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलत के दौरान 1932 में और भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में उन्होंने भाग लिया वह जेल भेजे गये, और दीर्घकाल तक वह नजरबंद रहे और फिर 1945 में छोड़े गयें। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे बीच नहीं रहे, के प्रति हमें हार्दिक शोक है और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, श्री जयपाल सिंह पहली बार वर्ष 1947 में चुन कर वहां आये थे और 1947 से लेकर 1957 तक यहां विधान सभा के सदस्य रहे। वह पहली बार फैजाबाद से चुने गये थे और बाद में रुड़की से चुने गए। वह स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी थे और विद्यार्थी जीवन में ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में कूदे थे। वह हरिजन एवं दलित वर्ग के एक प्रकार के नेता थे। वर्ष 1952 में जब उनसे मेरा परिचय हुआ तो मैंने देखा कि किस प्रकार वह निर्भीकता से विधान सभा और विधान सभा की समितियों में भाग लेते थे, लेकिन संतुलित ढंग से वह अपने विचारों को रखते थे, उनके प्रभाव से, उनकी वाणी कौशल और वाणी चातुर्य से कई ऐसे निर्णय लिए गये थे जो कि हरिजन और निर्बल वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध हुए। वह आज हमारे बीच नहीं रहे जिसका हम सबको दुख है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना के भाव पहुंचाने का कष्ट करें।

माननीय, श्री दीन दयाल करवरिया, जिला बांदा के कर्वी क्षेत्र से प्रथम बार इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको नजरबन्द रखा गया था। मुझे याद है कि जब मैं इलाहाबाद विश्व-विद्यालय का 1948 में विद्यार्थी था और कर्वी गया था तो उनके प्रभाव को वहां मैंने देखा था। तो ऐसे राष्ट्रसेवी जिन्होंने बुन्देलखंड और बांदा जनपद की सेवा की और राष्ट्रभक्त रहे उनके निधन से बुन्देलखंड और बांदा जनपद की विशेष क्षति हुई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना और श्रद्धांजलि के पुष्प पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री सैयद मोहम्मद तकी हादी वर्ष 1952 से 1957 तक अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र से इस विधान सभा के सदस्य रहे। जब कभी मुझे अमरोहा जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो अमरोहा और मुरादाबाद की समस्याओं के बारे में वे अभी हाल तक अवगत करते रहे थे। 82 वर्ष की उम्र उनकी थी। मुझे याद है कि 3-4 महीने पहले जब मैं अमरोहा गया था तो अस्वस्था रहते हुए भी वहां की समस्याओं को लेकर मुझसे मिले और वहां की समस्याओं के बारे में अवगत कराया।

वह अमरोहा के आई0 एम0 इण्टर कालेज के लगभग 45 वर्ष तक मैनेजर रहे। मुरादाबाद जनपद और अमरोहा के ऐसे व्यक्तित्व के उठ जाने से प्रदेश और जनपद को जो क्षति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारे संवेदना के मनोभावों को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, पन्नालाल गुप्त जी एक विलक्षण व्यक्ति थे। वह एक जाने-माने ऐसे रचनात्मक कार्यकर्त्ता थे कि वह सर्वोदय और भूदान आन्दोलन के लिए भी समर्पित थे। मुझे भलीभांति याद है विधायक रहते हुए भी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, वह भूदान की पदयात्रा में निकले थ और महीनों तक सारे प्रदेश में यात्रा करते रहे। प्रदेश

के क्रान्तिकारी नेताओं से भी उनका अच्छा सम्पर्क रहा । वह स्वतन्त्रता आन्दोलन में 1932 से 1942 के मध्य कई बार जेल गये । चन्द्रशेखर आजाद और वैशम्पायन जी जैसे क्रान्तिकारी नेता उनके यहां बिन्दकी में अपने फरारी जीवन में रुका करते थे । वह भारत छोड़ो अन्दोलन के समय में जब भूमिगत हुए तो उनको जीवित या मृत पकड़ने के लिए ब्रिट्रिश सरकार ने एक हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी ।

वह आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य थे । 1969 में वह भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा में पहली बार चुनकर आए और विधान सभा में यहां की कार्यवाहियों में विस्तृत योगदान दिया । वह ग्राम सेवा संघ के भी आजीवन ट्रस्टी रहे । जब-जब भी मैं फतेहपुर गया था, तो उन्होंने वहां स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की आवाज को और उनकी समस्याओं और मांगों को हमारे सामने रखा था । वह जिन परिस्थितियों में दिवंगत हुए, वह भी बड़ी खेदजनक है । मैं ऐसे प्रख्यात स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के सम्बन्ध में हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं आप हमारी संवेदना को, संवेदना के मनोभावों को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री विद्याधर बाजपेयी, सुल्तानपुर जनपद की एक जानीमानी बस्ती थी । सन् 1967 से 1977 अर्थात् 10 वर्ष तक लोकसभा के सदस्य के रूप में और 48 से 52 तक इस विधान सभा के सदस्य के रूप में उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं अविस्मरणीय रहेंगी । उनकी वाणी में और लेखनी में प्रखर शक्ति थी । वह वर्षों तक अपनी पत्रिका चलाते रहे । उन्होंनें अपनी चुभनेवाली वाणी से और प्रभावशाली लेखनी से सुल्तानपुर जनपद की और पूर्वांचल की और वहां के किसानों की अनेक समस्याओं को अनोखे प्रकार से सबके सामने रखा । एक ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्त्ता की मृत्यु होने पर मैं हार्दिकतम शोक व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे हार्दिकतम शोक संवेदना के मनोभावों को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा देने का कष्ट करें ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं । मान्यवर, उनमें से स्वर्गीय श्री शान्ति-प्रपन्न शर्मा, स्वर्गीय श्री जटाशंकर शुक्ल, स्वर्गीय श्री जसपाल सिंह, स्वर्गीय दीन दयाल करवरिया तथा स्वर्गीय श्री पन्ना-लाल गुप्त उस पीढ़ी के महानुभाव थे, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए राष्ट्रपिता पूज्य बापू के नेतृत्व में योगदान दिया ।

मान्यवर, उस पीढ़ी के लोग धीरे-धीरे हमारे बीच से उठते जा रहे हैं । यह बात भी अपनी जगह पर सही है कि उस पीढ़ी के लोगों ने निःस्वार्थ भाव से देश सेवा और समाज सेवा का व्रत लिया था । वह भाव और वह अनुभूति आज के राजनैतिक कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं मिलती और उसका अभाव देखने को मिलता है, वह लुप्त होती जा रही है । यह बड़ी ही चिन्ता का विषय है कि जिन लोगों ने कांग्रेस के झंडे को कभी झुकने नहीं दिया, स्वर्गीय पन्नालाल गुप्त जैसे व्यक्ति ने जिन्होंने सन् 30 से सन् 42 तक इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कभी कांग्रेस के झंडे को झुकने नहीं दिया, उन जैसे व्यक्ति की हत्या हो । यह बड़े ही शर्म की बात है । ऐसी बात कई बार देखने में आयी है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के साथ पुलिस अथवा प्रशासन के लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया गया है । यहां श्रद्धांजलि के भाव हमारे कुछ और होते हैं । उनके प्रति किये गये अपमानजनक व्यवहार को हमें रोकना होगा । इसी के साथ मैं, माननीय नेता सदन ने इन दिवंगत आत्माओं के प्रति जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनके साथ में अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, स्वर्गीय श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, दीर्घकाल इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे । पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी से लेकर कैबिनेट स्तर तक के मन्त्री के पद पर उन्होंने कार्य किया । उनके चले जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है ।

स्वर्गीय श्री जटाशंकर शुक्ल ने भी आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था । आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, इसका हमें बड़ा ही दुख है । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह ने भी आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया । देश सेवा के साथ-साथ समाज सेवा और विशेषकर निर्बल वर्ग की जो सेवा उन्होंने की है उसको भुलाया नहीं जा सकता ।

स्वर्गीय श्री दीनदयाल करवरिया ने भी राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया था । नमक सत्याग्रह आन्दोलन में जिस तरह का उनका योगदान रहा उसको भुलाया नहीं जा सकता । भारत छोड़ो आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया । इन सभी के कारण उनको कई बार जेल जाना पड़ा । उनके निधन से भी हम लोगों को बड़ा ही दुख पहुंचा है ।

स्वर्गीय श्री पन्नालाल गुप्त जी के बारे में मैं फिर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शासन को इस बात पर विचार करना होगा कि जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं उनके प्रति शासन का क्या रुख हो, आपका क्या रुख हो । मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देना होगा, खाली भाषणों से काम चलने वाला नहीं है । वे जो बात कहें उनको आपको सच मानना होगा और इस बारे में आपको कोई निर्णय करना चाहिये । माननीय नेता सदन को इस चीज को गम्भीरता से लेना चाहिये ।

मान्यवर, हमारे साथी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, उनके सानिध्य का मुझ अकिंचन व्यक्ति को भी अवसर मिला । जो अच्छाइयां माननीय नेता सदन ने उनके बारे में कहीं हैं वह शत-प्रतिशत सही ही नहीं बल्कि उनमें उससे भी ज्यादा गुण मौजूद थे । उनका जीवन निष्कलंक रहा, निश्छल रहा । राजनैतिक मूल्यों की जो आज गिरावट हुई है, राजनैतिक मूल्यों की जो गिरावट आज होती चली जा रही है उससे वह कभी मेल नहीं खाते थे, वह राजनैतिक मूल्यों के हामी थे । जो मुझे थोड़ा देखने को मिला कि हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करती है लेकिन स्वर्गीय त्रिपाठी जी में इन दोनों का समावेश था, अमूल्य समावेश था । वह भारतीय जनसंघ से सम्बद्ध रहे और बी0 जे0 पी0 से सम्बद्ध रहे । वह प्रान्तीय नेता भी थे और उद्योग मन्त्री भी रहे । नेता विपक्ष की कुर्सी पर जिस पर मुझ जैसा अकिंचन व्यक्ति बैठा है, उन्होंने इसको सुशोभित किया । इसके बावजूद कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता दल विशेष के साथ थी आदरणीय चौधरी के प्रति उनका जो निकटपन मुझे देखने को मिला वह बहुत ही प्रेरणादायक था । उनके हमारे बीच से चले जाने के कारण अपार क्षति हुई है । मैं और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे आशा करता हूं कि हमारे श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

मान्यवर, हमारे एक भूतपूर्व साथी श्री संय्यद मोहम्मद तकीहादी, श्री विद्याधर बाजपेयी भी उसी कड़ी में आते हैं जिन्होंने इस माननीय सदन की सेवा के साथ सदन के बाहर भी समाज की सेवा की, क्षेत्र की सेवा अनूठे तरीके से की। मैं उनके प्रति भी नतमस्तक हूं और अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे संवेदना के पुष्प उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, मैं अपनी और अपने पार्टी की ओर से स्वर्गीय श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री जटा शंकर शुक्ल, श्री जयपाल सिंह, श्री दीन दयाल करवरिया, श्री संय्यद मोहम्मद तकी हादी, श्री पन्ना लाल गुप्त, श्री विद्याधर बाजपेयी के सम्बन्ध में जो माननीय नेता सदन ने और माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, जिन्होंने इस माननीय सदन म पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी से लेकर मन्त्री पद तक काम किया है और सदन की सेवा की उनके काम करने के ढंग को अगर आज भी इस माननीय सदन में उधर बैठने वाले लोग यदि उस समय की कार्यवाही को देखें तो बहुत कुछ मिलेगा कि प्रश्नों के उत्तर कैसे दिये जाते हैं, सप्लीमेंट्रीज का जवाब कैसे दिया जाता है? प्रदेश के विकास के लिये, योजनाओं को सदन में कैसे रखा जाता है और कैसे उनकी स्वीकृति होती है, यह स्वर्गीय श्री शर्मा जी के जमाने म जो प्रोसीडिंग हुयी हैं उनको देखें तो बहुत कुछ पता चलेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उसी तरीके से श्रीमन्, स्वर्गीय श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जब विरोधी पक्ष में यहां थे और वह जनसंघ के नेता के रूप में यहां काम करते थे, अगर उनके भाषण की कार्यवाही इस सदन में हम लोग, विरोधी पक्ष के लोग देखें, तो बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा कि किस तरह से विरोधी पक्ष में बैठकर सही माने में अपने क्षेत्र का, किस तरह से प्रदेश की जो योजनायें हैं उनके लिए किस तरह से कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिये जाते हैं, यह सब स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के भाषण में हमको मिलेगा। इसके अलावा जितने भी लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ-साथ एक बात की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें स्वर्गीय जटा शंकर शुक्ला जी का और स्वर्गीय पन्ना लाल गुप्ता जी का जैसा निधन हुआ है, उसके सम्बन्ध में विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि विरोधी दल के नेता जी ने कहा है और बार-बार इस सदन में चर्चा हुई और जो भूतपूर्व नेता सदन थे, उन्होंने इस माननीय सदन में और सदन के बाहर जब नेताओं की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने इस पर विशेष रूप से चर्चा किया। आजकल जो राजनैतिक हत्याओं का तरीका हो गया है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

इस ओर मैं एक बार फिर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि राजनैतिक लोगों पर हत्याओं का प्रयास किया जाता है, उसके लिए माननीय सदस्यों को शैडो वगैरह की जरूरत पड़ती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार से इससे छुटकारा मिले। अन्त में मैं पुनः इन सारे लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरा निवेदन है कि इन सारे लोगों के शोक संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की ओर से संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री फखरे आलम—

आठ भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए मुझे उर्दू के मशहूर शायर पंडित बृज नरायन चकबस्त की याद आ रही है :

"जिन्दगी क्या है, अनासिर में मौत
जहूरे तरतीब ।

मौत क्या है, इन ही अजजा का
परेशां होना ।

मान्यवर, यह वह लोग थे जो यहां के भूतपूर्व सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की तवारीख बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था ।

माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा उत्तर प्रदेश के अर्से तक मिनिस्टर रहे थे । पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी से लेकर कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर तक वह यहां पर रहे थे । उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत कुछ काम किया और पावर के मिनिस्टर की हैसियत से जो उन्होंने काम किया वह आज तक यादगार है । लोग आज तक उनको याद करते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी पार्लियामेन्ट्री डिमाक्रेसी के एक्सपर्ट्स में से थे । जो बात वह कहते थे, उसका जबाब देने वाले को बार-बार सोचना पड़ता था और खासतौर से इस जमाने में उनको जिन्दा रहने की जरूरत थी । इन दोनों व्यक्तियों के उठ जाने से उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ।

मान्यवर, माननीय जटा शंकर शुक्ला, माननीय श्री जयपाल सिंह, माननीय दीन दयाल करवरिया न सिर्फ अपने जिलों के नेता थे बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर उनकी कार्य-कुशलता की छाप लगी हुई है और वह मुद्दतों याद रहेंगे । उन्होंने क्रमशः न सिर्फ अपने जिलों यानी उन्नाव, सहारनपुर, बांदा की सेवा की थी, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा की थी और उसमें उनका बड़ा योगदान था, जिससे कि उनकी यादगार बहुत दिनों तक रहेगी ।

स्वर्गीय सैयद तकी हादी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था और वह एक बहुत बड़े इन्टर कालेज आई० एम०, जो अमरोहा में है, उन्होंने उसमें जो काम किया, वह कभी भूलने वाला नहीं है और उनके मरने से न केवल अमरोहा और मुरादाबाद का नुकसान हुआ है बल्कि पूरे रुहेलखंड को नुकसान पहुंचा है और उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है । श्री पन्ना लाल गुप्त और श्री विद्याधर बाजपेयी ने फतेहपुर और सुल्तानपुर में बहुत काम किया है । उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जो काम उन्होंने किया है यह भी हमेशा यादगार रहेगी । मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से दुखी परिवार तक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें तथा जो संवेदना के भाव माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनके सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने शोक प्रस्ताव रखा और जो विचार व्यक्त किए हैं, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

इस माननीय सदन में श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और श्री दीन दयाल करवरिया के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदरणीय शर्मा जी ने अपने व्यवहार और कार्यकुशलता की जो छाप डाली है वह सदैव चिरस्मरणीय रहेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जब चुनकर सन् 1962 में आये तो इसी सीट पर बैठा करते थे जिस पर मैं बैठता हूं और जहां वर्मा जी बैठे हैं बगल में मैं बैठता था । विचारों में भिन्नता होते हुये भी उनका स्नेह और मित्रता का व्यवहार होता था । वह हमेशा विरोधी दल की एकता के लिए प्रयत्नशील रहते थे ।

श्री जटा शंकर शुक्ल हमारे जनपद के रहने वाले थे । सन् 1937 में वह सदस्य होकर आये थे । वह एक त्यागी पुरुष थे । अपनी पूरी सम्पत्ति को एक ट्रस्ट बनाकर कन्या महाविद्यालय को अर्पित कर दिया । इस पूंजीवादी समाज में जहां धन आदमी की सुख-सुविधा और आवश्यकता की पूर्ति का स्रोत होता है वहीं सम्पत्ति मानव के कष्ट का कारण भी बनती है । इसी प्रकार का एक बहुत ही दुखद प्रकरण उनके अन्तिम दिनों में रहा । मैं अनुरोध करूंगा कि सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी और हमारे दल की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और मैं सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने स्वर्गीय शान्ति प्रपन्न शर्मा, स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, स्वर्गीय जटाशंकर शुक्ल, स्वर्गीय जयपाल सिंह, स्वर्गीय दीनदयाल करवरिया, स्वर्गीय सैयद मोहम्मद तकी हादी, स्वर्गीय पन्ना लाल गुप्त, स्वर्गीय विद्याधर बाजपेयी के बारे में जो भाव प्रकट किये हैं मैं भी अपने को उसी से सम्बद्ध करता हूं । जहां तक स्वर्गीय शान्ति प्रपन्न शर्मा का सम्बन्ध था 1952 से 1974 तक मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है । उनको हम लोग राजनीतिक भाषा में भाई जी कहते थे । उनका स्वभाव सादा, कोई इस तरह की बात नहीं थी जिससे जलन हो । चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो सबके प्रति उनका मित्रता का व्यवहार होता था । वास्तव में वह भाई जी थे । इस विधान सभा में उन्होंने हरिजन कल्याण विभाग के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया । आगे बहुत सी योजनायें उन्होंने चलायीं । वे भिन्न-भिन्न कमेटियों में भी रहे । इसके अलावा मंत्री के रूप में भी इस प्रदेश में कार्य किया । जहां तक ऋषिकेश का सम्बन्ध है, वहां का बच्चा-बच्चा, वहां का प्रत्येक व्यक्ति उनसे परिचित था । जिस व्यक्ति ने स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में कार्य किया, आन्दोलनों में हिस्सा लिया और इस बात की परवाह न की कि मैं इतने बड़े घराने का व्यक्ति हूं, मेरे पास इतना धन है । इसके बाद भारतवर्ष की आजादी को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाईयां लड़ीं, उसी प्रकार से उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी । आज वह हमारे बीच नहीं हैं । उन्होंने ऊर्जा मंत्री के रूप में भी कार्य किया । राजनीतिक दृष्टि से उनका कार्यकलाप बहुत अच्छा था । उन्होंने बहुत सी योजनायें इस प्रदेश में चलाई थीं । आज माना कि वह हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व राजनीतिक क्षेत्र में एक मिसाल है । आज हमने एक कर्मठ और प्रतिभावान व्यक्ति को खो दिया है ।

जहां तक श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का सम्बन्ध है हमारा और उनका करीब से सम्बन्ध रहा है । वह बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे उनकी बातों में तर्क हुआ करता था । उन्होंने चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, कभी भी उन्होंने द्वेष भाव नहीं किया । मुझे अच्छी तरीके से याद

हैं जहां पर भोला लाल जी बैठे हैं वहीं वह बठा करते थे, वहीं से तर्क हुआ करते थे । अगर पुरानी कार्यवाही को देखा जाए तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह एक अच्छे व्यक्ति थे । इसके अलावा उन्होंने मंत्री के रूप में भी कार्य किया । वह लोकसभा तथा बाद में विधान परिषद् के सदस्य रहे । इसके अतिरिक्त वह एक अच्छ वकील भी थे, जिसको कि तर्कवादी वकील कहते हैं । उनमें इस तरह की भावना नहीं थी, जैसा कि द्वेष की भावना हुआ करती है । आज हम उनके कार्य को देखते हैं तो अचम्भे में पड़ जाते हैं, उनका कार्य बहुत अच्छा था । आज हमने एक उच्च कोटि के वक्ता को खो दिया है ।

जहां तक श्री जटा शंकर शुक्ल का सम्बन्ध है यह उन्नाव जिला (पूर्व) से निर्वाचित होकर 1937 में आए थे । इन्होंने भारतवर्ष की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी । "भारत छोड़ो" आन्दोलन के दौरान यह जेल भी गये थे। आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जो आजादी की लड़ाई उन्होंन लड़ी, जो कुर्बानियां उन्होंने दी, उसकी वजह से इस देश के लोग और इस प्रदेश के लोग उनको कभी नहीं भूल सकते । वह एक कुशल राजनीतिज्ञ और उच्चकोटि के स्वतंत्रता सेनानी थे । आज हमने उनको खो दिया है । इसका हम सभी को बहुत दुख है ।

जहां तक श्री जयपाल सिंह का सम्बन्ध है वह सहारनपुर के रहने वाले थे । वह सबसे पहले फैजाबाद (पूर्व) से निर्वाचित होकर आए थे । उसके बाद 1952 का जमाना मुझे याद है, मैं भी उनके साथ चुनकर आया था । उस वक्त में श्री पुत्तूलाल जी और भी कई लोग इनके साथ चुनकर आए थे । जो हरिजनों के लिए, दरिद्रों के लिए संघर्ष करते थे । उस समय स्वर्गीय पन्डित गोविन्द बल्लभ पन्त और सम्पूर्णानन्द जी का जमाना था । उस समय अच्छी-खासी इन लोगों से ट्रेनिंग प्राप्त हुई थी कि किस प्रकार से कार्य किया जाए। जहां तक श्री जयपाल जी का सम्बन्ध है, उस जमाने के लोग बैठे हुए हैं, हरिजनों की जो समस्यायें थीं, दरिद्रों की जो समस्यायें थीं, इसके अलावा और भी जो समस्यायें थीं उनको कैसे सुलझाया जाए इस पर विचार होता था और काफी संघर्ष इस बारे में उन्होंने किया । उन्होंने बहुत कार्य किए। लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं हैं । आज हमने एक अच्छे समाजसेवी को खो दिया है । स्वर्गीय श्री बीन दयाल करवरिया के सम्बन्ध में मा0 नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो बातें कही हैं, उसके साथ-साथ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री करवरिया ने युवावस्था से ही राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेना आरम्भ कर दिया था और अनेक बार जेल भी गये । 1930 में नमक सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण इनको 6 मास की कैद की सजा हुई थी । वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण नजरबन्द भी रखे गये । श्री करवरिया के निधन से बांदा जनपद न एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी खो दिया है । उनके निधन से हम लोगों को बहुत दुख है ।

जहां तक स्वर्गीय श्री सैयद मोहम्मद तकी हादी का सम्बन्ध है, वे 82 वर्ष के थे । उनका जन्म सन् 1902 में हुआ था । वे वर्ष 1952 से 1957 तक अमरोहा (पश्चिम) से विधायक के रूप में यहां आए थे । उन्होंने 45 वर्षों तक अमरोहा में एक संस्था को चलाने में समय दिया । दो वर्षों तक वे रेलवे बोर्ड, देहली के सदस्य भी रहे । उन्हें हमने अपने बीच से खो दिया है, किन्तु उसका इतिहास कभी नहीं भुलाया जा सकता ।

जहां तक स्वर्गीय श्री पन्ना लाल गुप्त का सम्बन्ध है, मुझे अच्छी तरह याद है कि वे बड़बड़ाते बहुत थे, लेकिन

कार्य इस तरह का करते थे जैसे सर्वोदय का कार्य। तहमद बांधते थे। उन्होंने कभी इसकी कोई परवाह नहीं की कि कोई क्या कहेगा, लेकिन देश की तरक्की के लिये हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। वे एम0 एल0 सी0 भी रहे। गुप्त जी 1932 से 1942 के बीच अनेक बार जेल गये और उन्हें जुर्माना देना पड़ा। वे चन्द्र शेखर आजाद के साथी थे। आप 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय भूमिगत हो गये। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। वे एक अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी थे आज हमने उन्हें अपने बीच से खो दिया है।

जहां तक स्वर्गीय विद्याधर बाजपेयी का सम्बन्ध है, वे 76 वर्ष के थे। आप 1948 से 1952 तक सुल्तानपुर (पश्चिम) क्षेत्र के सदस्य रहे। आप लोक सभा के भी सदस्य रहे। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। जहां तक श्री बाजपेयी जी का सम्बन्ध है, हमने अपने बीच से एक वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है। जो भावनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत की हैं, मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और सभी की भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवारों को भेज दूंगा। कृपया दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए।)

भूतपूर्व राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी--) श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि स्वनामधन्य श्री विश्वनाथ दास, जो 1962 से 1967 तक हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल रहे थे, अब इस असार संसार को छोड़ कर चले गये हैं। श्री विश्वनाथ दास देश के प्रख्यात रचनात्मक नेताओं में से जाने जाते रहे हैं। जिन्होंने प्रारम्भ से ही उनके दर्शन किए, वे एक अविरल व्यक्ति, सरल व्यक्ति और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। वे उस पीढ़ी के एक नेता थे। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान भी शासन की बागडोर सम्भाल-कर एक विशेष प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना करने में गांधी-युग में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। उड़ीसा में जिस प्रकार उन्होंने 1936-37 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना की और 1939 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने उससे त्याग-पत्र दे दिया था, वह इतिहास में एक कहानी बन गयी। उन्होंने अनेक रचनात्मक, निर्माणकारी व सामाजिक आन्दोलनों में भी हिस्सा लिया। वे आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक थे।

यहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी उनके कई मधुर संस्मरण चिरस्मरणीय रहेंगे। उनके बारे में भी आपको याद होगा। जब उन्होंने विधान मण्डल के समवेत दोनों सदनों के समक्ष अपना अभिभाषण दिया तो उस समय भी उनकी वाणी और उनकी सादगी, उस अभिभाषण में मुखरित होती थी और उनका अभिभाषण मधुर वाणी व सादगी से ओत-प्रोत रहता था। जब कभी भी उनसे बात-चीत करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता था, तो ऐसा लगता था कि आप किसी वास्तविक मार्ग-दर्शक व प्रेरणादायक व्यक्ति से मिल रहे हैं। उनकी शैली ही निराली थी।

सन् 1971 में उड़ीसा के जन-प्रतिनिधियों के आह्वान पर पुनः मुख्य मंत्री के पद पर आसीन होकर प्रदेश के नेतृत्व को सम्भाला, जबकि उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय प्रदेश में किसी भी दल का बहुमत नहीं था। उस समय आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे, जो निर्विरोध थे। इस प्रकार का एक आदर्श व रचनात्मक व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं हैं। हमारे प्रदेश के राज्यपाल होने के नाते हमारा उनसे विशेष सम्बन्ध रहा।

मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और इस सम्मानित सदन की ओर से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि आप स्वर्गीय श्री विश्वनाथ दास जी के शोक-संतृप्त परिवार तक, हृदयात्मक संमवेदना के मनोभाव जो यहां पर व्यक्त किये गये हैं, पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री विश्वनाथ दास जी के निधन पर समवेदना के जो भाव माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

स्वर्गीय श्री विश्वनाथ दास जी सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति थे। गांधी-युग के सेनानी थे और आजादी की लड़ाई के एक सिपाही थे। ऐसा प्रति-भावान और आदर्श व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। सन् 1936-37 में उड़ीसा में जब उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और उसके मुख्य मंत्री बने, तो पूज्य बापू जी के आह्वान पर 1939 में उन्होंने इस पद से त्याग-पत्र दे दिया था। वह उड़ीसा के निर्माताओं में से एक थे। 1962 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की।

मान्यवर, आपको याद होगा, जब पिछले दिनों मैंने इसी आदरणीय सदन में राजनैतिक जीवन में ह्रास की बात उठायी थी तो उस समय मैंने राजभवन के कुछ सम्माननीय राज्यपालों की याद भी दिलायी थी, इन्हीं उच्च कोटि के राज्यपालों में स्वर्गीय श्री विश्वनाथ दास जी का नाम भी आता है। जो एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे, उनसे लोगों ने प्रेरणा भी ली। उनके निधन से किसी एक सूबे को नहीं, अपितु पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को बड़ा दुख है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से जो शोक-समवेदना के भाव व्यक्त किये गए हैं, उन्हें आप उस शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, स्व0 विश्वनाथ दास जी के संबंध में जो नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं ने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी उन विचारों से अपने को एवं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, स्व0 विश्वनाथ, दास जी के संबंध में केवल दो ही छोटी छोटी बातें कहनी हैं एक तो यह कि उनसे यह सबक सीखना चाहिए कि जिस कुर्सी पर वह रहे उस पद की गरिमा को उन्होंने बरकरार रखा, चाहे वह गवर्नर की हैसियत से कहीं पर रहे हों या मुख्य मन्त्री के पद पर और जब उन्होंने स्थिति को देखते हुए यह महसूस कर लिया कि राजनीतिक स्थिति सही नहीं है तो फौरन त्याग-पत्र दे दिया। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय, मैं पुनः सभी माननीय नेताओं के विचारों से अपने को एवं अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे यह अनुरोध करूंगा कि दुखी परिवार तक हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम--

मौत तो उसकी है जिस पर रश्क करे जमाना,
यूं तो मौत दुनियां में सभी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, स्व0 विश्वनाथ दास जी जो सन् 1962 से लेकर 1967 तक हमारे गवर्नर रहे और साथ ही साथ वह अपने साथ बहुत सी खूबियां भी रखते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी जो थी, वह यह कि उनके दिल में जो भी होता था उसे वह साफ तौर पर कह देते थे अपने मन में किसी बात को नहीं रखते थे। फिर वह सन् 1937 से लेकर 1948 तक मुख्य मन्त्री के रूप में रहे और फिर सन् 1971 में वे एक साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने उड़ीसा प्रदेश के। और जब हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने वालों में मतभेद हुआ और 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टुकड़े हो गये, तब यह चीज उन्हें बर्दास्त नहीं हुयी और उन्होंने अलेहदगी का रास्ता अख्तियार किया। फिर जब संविद सरकार बनी तब भी वे उसके चीफ-मिनिस्टर रहे, तब उन्होंने बड़ी ईमानदारी और सादगी के साथ काम किया और जब उन्होंने देखा कि इस सचाई के रास्ते में भी रुकावटें हैं तो उन्होंने उसका पूरी तरह से मुकाबला किया। ऐसे व्यक्ति के निधन पर किसको अफसोस नहीं होगा। इनके प्रति जिन माननीय नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी अपने को एवं अपने दल को उससे संबद्ध करते हुए यह अनुरोध करूंगा आपसे कि उनके संतप्त परिवार तक हमारे विचारों को भी पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्व0 विश्वनाथ दास जी के संबंध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उन्हीं विचारों से मैं अपने को एवं अपने दल को भी सम्बद्ध करता हूं। माननीय विश्वनाथ दास जी एक देश व्यापी राष्ट्रीय आंदोलन के निकले हुए नेता थे, लिहाजा उन्होंने अपने कार्य-काल में चाहे वह किसी भी पद पर रहे हों, उस पद की गरिमा को पूरी तरह से निबाहा है। इनके दुःखी परिवार तक हमारे संवेदना के विचार पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं ने अपने-अपने भाव व्यक्त किये हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहां तक स्व0 विश्वनाथ दास जी का संबंध है, इसके विषय में जैसा कि अभी कहा गया कि वह जहां भी रहे जिस पद भी रहे उन्होंने उसकी गरिमा को सदैव बनाये रखा। वह बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ भी रहे हैं और अपने कार्य-काल में उन्होंने जो परिश्रम किये हैं, वह अद्वितीय है। उन्होंने हर स्थान पर हमेशा ईमानदारी का परिचय दिया है। सन् 1920 में बरहमपुर में श्री दास ने वकालत शुरू की थी और उसी समय से लेकर वे राजनीति में रुचि लेते रहे। गंजम के जमींदारों के विरुद्ध श्री दास ने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। किसान नेता की हैसियत से वे मद्रास विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुये थे। विद्यार्थी जीवन से ही वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और गांधी जी के आह्वान पर ही नान कोआपरेशन मूवमेंट और जितने भी मूवमेंट हुए उसमें वे सदैव हिस्सा लेते रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे शामिल हुए थे और गिरफ्तारी दी थी। गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप वे रिहा हुए थे। 1937 से लेकर अब तक के उनके जीवन को देखें, तो आप

काफी साफ-सुथरा था। 95 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। इस प्रदेश में तो वे राज्यपाल के रूप में रहे, लेकिन अगर हम उड़ीसा की तरफ देखें, राज्य सभा की तरफ देखें, उन्होंने जितना काम किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। हमने अपने बीच से एक ईमानदार स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी, कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिज्ञ खो दिया है, जिसके लिए हम सबको दुख है यह अपूर्णीय क्षति है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता।

इन शब्दों के साथ, आदरणीय नेताओं ने स्व0 श्री दास के प्रति जो भाव प्रकट किये हैं, मैं उनको उनके शोक संतप्त परिवार तक भिजवा दूंगा।

अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 11-9-84 को प्रातः 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 36 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ।
10 सितम्बर,
1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

अनुबंध 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

प्रश्न संख्या–6

सूची

वर्ष	नाम सड़क/कार्य का नाम	विकास खंड
1982–83	(1) भोवापार–बेला बांध पर सोलिंग कार्य	पिपरौली
	बोक्टा–बरवार बांध	"
	तरकुलानी–बरवार बांध	खोराबार
	मलौनी बांध के ग्राम मदरिया आदि गांव में प्लेटफार्म का निर्माण रामगढ़ ताल का खर्च	
	मलौनी बांध ।	
	(2) तरकंलानी पर बांध एप्रोच रोड निर्माण	
	कौड़ीराम मलौनी बांध	कौड़ीराम
	कोपा–रकहट–असवरपार	
	मलौली गजपुर बांध	
	गजपुर ग्राम कटाव निरोधक कार्य	
1982–83	मैंडो एवं कोठा रकहट बांध	कौड़ीराम
	कनौल मझगांवा बांध पर सोलिंग का कार्य	
1983–84	मलौली बांध पर नौवा डुमरी में कटाव निरोधक कार्य	खोराबार
	माधोपुर बांध में सिवेज की सुरक्षा का कार्य	
	बिन्हौरिंग बांध के शुद्धिकरण का कार्य	
	(3) बनैल मझगांवा पर सोलिंग का कार्य	कौड़ीराम
	मझौली–कौड़ीराम बांध पर सोइगौरा में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कनैल–मझगांवा पर कटाव निरोधक कार्य	
	बोक्सा–बरवार बांध का शुद्धिकरण	पिपरौली
1983–84	(4) वनस्पति से कोलौया	खोराबार
	(5) राष्ट्रीय मार्ग से नेवास	पिपरौली
	नेवास ग्राम सभा पर पुलिया	पिपरौली

परवी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

परिशिष्ट 'अ'

क्रम-सं0	विकास खंड का नाम	क्षतिग्रत भवनों की संख्या	7 00/प्रति आवास की दर से आवंटित धनराशि	आहरित धनराशि	मरम्मत किये गये आवासों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
			रु0	रु0		
1	घानी	156	109,200.00	109,200.00	156	
2	जं0 कोटिया	156	109,200.00	109,200.00	156	
3	कौड़ीराम	74	52,100.00	52,100.00	74	
4	कंपियरगंज	71	49,700.00	49,700.00	71	
5	फरेन्दा	50	35,000.00	35,000.00	50	
6	पनियरा	95	66,500.00	66,500.00	95	
7	बांसगांव	47	32,900.00	32,900.00	47	
8	बड़हलगंज	191	133,700.00	133,700.00	191	
9	बेलघाट	37	25,900.00	25,900.00	37	
10	गगहा	47	32,900.00	32,900.00	47	
11	सहजपुर	104	72,800.00	72,800.00	104	
12	पाली	78	54,600.00	54,600.00	78	
13	सहजनवां	45	31,500.00	31,500.00	45	
14	पिपरौली	40	28,000.00	28,000.00	40	
15	खजनी	30	21,000.00	21,000.00	30	
16	उरुवा	30	21,000.00	21,000.00	30	
17	गोला	30	21.000.00	21,000.00	30	
18	लक्ष्मीपुर	30	21,000.00	21,000.00	30	
19	बजमनगंज	40	28,000.00	28,000.00	40	
20	नौतनवां	50	35,000.00	35,000.00	50	
21	निचलोल	30	21,000.00	21,000.00	30	
22	सिकोरा	35	24,500.00	24,500.00	35	
23	सिसवा	35	24 500.00	24,500.00	35	
	योग ..	1501	10,51,000.00	10,51,000.00	1501	

परिशिष्ट 'ब'

क्रम-सं0	विकास खंड का नाम	स्वीकृत आवासों की संख्या	आवंटित धनराशि	निर्मित आवासों की संख्या	व्यय की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
			रु0		रु0
1	जं0 कौड़िया	45	202,500.00	37	198,400.00
2	धानी	151	679,500.00	137	661,392.00
3	फरेन्दा	37	166,500.00	37	166,500.00
4	ब्रह्मपुर	40	180,000.00	38	172,000.00
5	कौड़ीराम	25	112,500.00	25	110,800.00
6	बेलाघाट	28	128,000.00	23	104,000.00
7	पाली	38	171,000.00	21	131,921.00
8	कैम्पियरगंज	76	342,000.00	74	339,795.00
9	पनियरा	40	180,000.00	40	180,000.00
	योग ..	480	2160,000.00	432	20,64,808.00

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

क्रमांक	विकास खंड का नाम	चुनाव के समय की गयी वसूली
1	2	3
		रु0
1	सिटी	..
2	कोन	..
3	मझवा	5,034.00
4	छानवे	1,791.23
5	लालगंज	..
6	हलिया	..
7	मडिहान	..
8	पहाड़ी	7,794.00
9	नरायनपुर	4,317.53
10	जमालपुर	..
11	राजगढ़	..
12	सीखड़	..
13	रावट्सगंज	3,756.00
14	घोरावल	..
15	चतरा	..
16	नगवा	..
17	चोपन	1,853.14
18	दुद्धी	9,292.32
19	म्योरपुर	1,720.00
20	बभनी	..
	योग ..	35,558.22

ह0
जिला पंचायत राज अधिकारी,
मिर्जापुर ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर पीछे 67 पर)

संलग्नक (विवरण)

1--सामाजिक वानिकी प्रायोजना

(1) वृक्षारोपण कार्य

तहसील/रेंज का नाम	वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)
1--देवरिया	79.00
2--सलेमपुर	71.47
3--पडरौना	20.00
4--हाटा	54.00
योग ..	224.47

(2) अग्रिम मिट्टी कार्य

1--देवरिया	200.40
2--सलेमपुर	203.65
3--पडरौना	235.00
4--हाटा	201.00
योग ..	840.05

2--राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

(1) नई पौधशालाओं की स्थापना तथा तैयार किये गये पौधों का विवरण--

तहसील/रेन्ज का नाम	पौधशाला की स्थापना	नई पौध उगाना	पुरानी पौध का रखरखाव
1--देवरिया	3 हे0	3,65,750	60,100
2--सलेमपुर	4 हे0	2,56,654	4,41,785
3--हाटा	1 हे0	3,45,703	33,750
4--पडरौना	1,15 हे0	4,77,916	1,64,292
योग ..	9,15 हे0	14,46,023	6,99,927

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये अतिरिक्त वृक्षारोपण व अग्रिम मिट्टी कार्य—

रेन्ज/तहसील का नाम	अग्रिम मिट्टी कार्य (हेक्टेयर)	वृक्षारोपण (हेक्टेयर)	
1—सलेमपुर	34,43	34.43	अग्रिम मिट्टी कार्य व वृक्षारोपण साथ-साथ हुआ ।
2—पडरौना	56.50	56.50	
3—हाटा	3.67	3.67	
योग ..	94.60	94.40	

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 146 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर।)

सड़क अनुदान के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण

1—भरतपुर गेट पास की मंडी पत्थर क्रासिंग का निर्माण।

2—गुप्ता जी प्रिंसीपल के मकान से रेलवे लाईन तक नालो का निर्माण गोविन्दनगर।

3—तेजपाल के मकान में पेट्रोलपम्प तक पेच मरम्मत व प्रीमिक्सिंग गुरुनानक नगर।

4—सुभाष पार्क से श्मशान घाट तक नाला निर्माण।

5—सेठवाड़ा में प्रीमिक्सिंग व नाली की रीनिंग का कार्य तिलकद्वार।

6—मंगला वकील के मकान से देशी शराब के ठेके की ओर नाली निर्माण सदर।

7—रिटेनिंग वाल नाला एंजिग केन्ट पुल से गोविन्दगढ़ बगीचों तक कृष्णापुरी।

8—मिट्टी हटाई कैन्ट पुल से गोविन्दगढ़ बगीचो तक कृष्णापुरी।

9—पेंच मरम्मत तथा प्रीमिक्सिंग का कार्य नगीची तक कृष्णापुरी।

10—हालनगंज सड़क मरम्मत कच्ची सड़क से बृन्दावन गेट की ओर।

11—मेजर बी० के० चतुर्वेदी के मकान से सतपुड़ा पोस्ट आफिस तक खड़ंजा नाली निर्माण।

12—डा० वेदपाल की दुकान से केरला टी स्टाल तक नालो क्रास निर्माण चौकी बाग बहादुर सिंह।

13—तेल मिल से मंजीत सिंह की दुकान तक नाली निर्माण कृष्णा नगर।

14—चुंगीवाली गली पीलीप्याऊ में श्री मुंशीलाल यादव के मकान से श्री प्रहलाद दास सर्राफ के मकान तक खड़ंजा व क्रास का निर्माण।

15—वृन्दावन गेट के पास पैट्रोल पम्प के पास पेरसागंज पर क्रास निर्माण।

16—चौकी बाग बहादुर सिंह वे-ब्रिज नगरपालिका सड़क व खड़ंजा निर्माण।

17—पेच रिपेयर तथा नाली एंजिल होली गेट से मछली मार्केट तक।

18—दलपत खिड़की के विभिन्न स्थानों पर सड़क मरम्मत।

19—बाबूलाल शर्मा के मकान के पास नाली ड़्डा का निर्माण बशीरपुरा।

20—कांता प्रसाद वकील के मकान से स्टेटिक्स कार्यालय से वाया प्राइमरी स्कूल होते हुये प्रीमिक्सिंग रोड का निर्माण कृष्णापुरी ।

21—म्यूजियम के पास क्वाटरों से भवन गेट तक नाली निर्माण डेम्पि0 नगर ।

22—के0 आर0 गर्ल्स डिग्री कालेज के सामने सड़क ऐंजिंग डेम्पि0 नगर ।

23—सड़क पर प्रीमिक्सिंग व मरम्मत तेल मिल से 47—सी तक कृष्णा नगर ।

24—महाविद्या0 म0 वि0 वि0 प्रा0 तक से पोतराकुंड दक्षिणी किनारे तक नाली निर्माण ।

25—महादेव घाट रोड पर बाबा श्याम बिहारी वगीची के पास सड़क पर फ्रांसिंग निर्माण सदर बाजार ।

26—पंजाबी पेच में अशोक कुमार अग्रवाल के मकान डेम्पि0 नगर ।

27—खड़ंजा तथा नाली के सहारे ऐंजिंग कृष्णा नगर ।

28—मिट्टी हटाई का कार्य श्मशान घाट ।

29—खड़ंजा निर्माण कृष्णानगर म0 नं0 63 से 73 तक ।

30—मिट्टी हटाई का कार्य क्वालेटी होटल के सामने से विक्टोरिया पार्क ।

31—खड़ंजा नाली का निर्माण कृष्णापुरी ।

32—खड़ंजा निर्माण रामगंज भरतपुर गेट ।

33—नाली, खड़ंजा व सीढ़ी का निर्माण बेंरागपुरा रानीमंडी ।

34—खड़ंजा, नाली निर्माण कार्य डेम्पियर नगर ।

35—नाली, खड़ंजा का निर्माण कार्य वाटर टैंक शीतला पार्टी ।

36—क्वालिटी होटल के उत्तर की तरफ प्रीमिक्सिंग कार्य ।

37—सपना टाकीज के सामने प्रीमिक्सिंग व पेच मरम्मत गोविन्दनगर ।

38—नाली, खड़ंजा का निर्माण कार्य गुरुनानक नगर ।

39—मिट्टी भराई व नाली निर्माण चौकी बाग बहादुर ।

40—नाली, खड़ंजा निर्माण कार्य हरिजन बस्ती रानीमंडी ।

41—तीन पुलियों का निर्माण कृष्णा नगर ।

42—नाली, खड़ंजा मरम्मत श्री चिरंजीलाल गोला मनोहरपुरा ।

43—किशोरी रमण गर्ल्स इंटर कालेज के पास पुलिया का निर्माण ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 170 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

गोपनीय

संख्या 3504/9-3-74/699(1) सी-73

प्रेषक,

श्री अतहर हुसैन,

आयुक्त एवं सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,

स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 25 मई, 1974

स्वायत्त शासन अनुभाग-3

विषय--स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग का पुनर्गठन ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-990/9-3-699सी (1)-73, दिनांक 19 फरवरी, 1974 तथा उसी विषय पर बाद में जारी किये गये शासनादेशों को निरस्त करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के पुनर्गठन का मामला काफी समय से शासन के विचाराधीन है । इस मामले में तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद शासन ने यह निर्णय लिया है कि स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के पंचदश मंडल, अलीगढ़ तथा षोडश मंडल, फैजाबाद में मुख्यालय से सम्बद्ध विद्युत एवं यांत्रिक अधीक्षण अभियन्ताओं को स्थानान्तरित किया जाय और उन मंडलों के वर्तमान अधीक्षण अभियन्ताओं का स्थानान्तरण मुख्यालय पर कर दिया जाय ।

2—इस संबन्ध में मुझे यह भी कहना है कि मंडलों से सम्बद्ध वर्तमान विद्युत एवं यांत्रिक अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण निम्नलिखित शाखाओं

में, तृतीय शाखा कानपुर को छोड़कर जहां विद्युत एवं यांत्रिक अधिशासी अभियन्ता पहले से नियुक्त हैं, कर दिया जाय और यह शाखा जिन मंडलों के अधीन रहेगी इनके नाम भी प्रत्येक के सम्मुख दे दिये गये हैं ।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	मंडल का नाम जिनके अधीन यह शाखायें होगी
1	अस्थायी निर्माण शाखा, मेरठ	
2	अस्थायी निर्माण शाखा, रामपुर	पंचदश मंडल, अलीगढ़
3	प्रथम झांसी शाखा, झांसी	
4	अस्थायी निर्माण शाखा, देहरादून	
5	द्वितीय निर्माण शाखा, आगरा	पंचदश मंडल, अलीगढ़
6	तृतीय शाखा, कानपुर (पहले से ही स्थापित हैं)	
7	द्वितीय अस्थायी बाढ़ शाखा, लखनऊ	
8	द्वितीय अस्थायी शाखा, वाराणसी	
9	त्रयोदश शाखा, फैजाबाद	षोडष मंडल, फैजाबाद
10	द्वितीय अस्थायी निर्माण शाखा, इलाहाबाद	
11	अस्थायी निर्माण शाखा, मिर्जापुर	अष्टदश मंडल, गाजियाबाद
12	अस्थायी निर्माण शाखा, बलिया	
13	षष्टम निर्माण शाखा, गाजियाबाद	

उपर्युक्त शाखाओं में से तृतीय शाखा, कानपुर को छोड़कर शेष बारह शाखाओं के वर्तमान अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण करके उन्हें उन मंडलों से सम्बद्ध कर दिया जाय जहां के विद्युत एवं यांत्रिक अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया जाय ।

3—उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरुप विभाग के कार्य प्रणाली में जो संशोधन आवश्यक हो उन्हें आप स्वयं अपने स्तर पर कर लें ।

4—पंचदश मंडल, अलीगढ़ तथा षोडष मंडल, फैजाबाद में अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के प्रस्ताव शासन के विचारार्थ शीघ्र भेजें ।

भवदीय,
ह0 (अतहर हुसैन),
आयुक्त एवं सचिव ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 175 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

अभियन्तागण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों से सम्बन्धित मामले के संक्षिप्त विवरण की सूची ।

1--श्री ए0 पी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता ।

2--श्री एस0 पी0 सिंघल, अधिशासी अभियन्ता ।

जनपद वाराणसी की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत शिरोपरि टंकियों के निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न वित्तीय अनियमिततायें ।

3--श्री एस0 आर0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (वि0 यां0) ।

4--एन0 के0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता (वि0 यां0) ।

धीराखेड़ा पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूप में पम्पिंग प्लान्ट गिर जाने के कारण नलकूप का निष्प्रयोगी होना ।

5--श्री रतन कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता ।

पाइप लाइन खंडियों में सेन्ड कुशन कार्यों में अनियमिततायें एवं अधिक भुगतान ।

6--श्री एम0 एल0 आहूजा, अधिशासी अभियन्ता ।

7--श्री टी0 पी0 एस0 त्यागी, अधिशासी अभियन्ता ।

बाह्य वर्षा जल निकासी योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें ।

8--श्री आर0 जी0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता ।

शिरोपरि टंकी के निर्माण हेतु अधिक दर पर भूमि क्रय एवं वित्तीय अनियमिततायें ।

9--श्री यू0 एस0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता ।

शाखा कार्यालय में कैश बुक का वित्तीय नियमानुसार रखरखाव न करने/ कराने के फलस्वरूप लगभग 1,200 रु0 के हुये गबन ।

10--सर्वश्री वी0 के0 श्रीवास्तव,

11--श्री टी0 वी0 ई0 वैरियर,

12--यू0 एस0 भटनागर,

13--आर0 एन0 शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता ।

मुरादाबाद जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत सीवर बिछाने के कार्यों में त्रुटियां एवं अनियमिततायें ।

14--श्री एम0 सी0 गोस्वामी, अधिशासी अभियन्ता ।

उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कार्य सम्पादन में त्रुटियां एवं वित्तीय अनियमिततायें ।

15--श्री अविनाश चन्द्रा, अधिशासी अभियन्ता ।

शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किए जाने के कार्यों में विभिन्न अनियमिततायें एवं व्ययाधिक्य तथा आवास विकास परिषद् के अधीन भवन निर्माण कार्यों में त्रुटियां एवं अनियमिततायें ।

16--श्री एस० सी० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ।

सामग्री आपूर्ति हेतु निष्पादित अनुबन्धों के अधीन आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध समयानुसार दंडन कार्यवाही न करने के कारण विभाग को हुई 40,000 रु० की हानि ।

17--श्री एस० एन० पी० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ।

ढुलानकर्ता ठेकेदार द्वारा 3180 बोरी सीमेन्ट का गबन ।

18--श्री एम० एच० शेख, अधिशासी अभियन्ता ।

सामग्री क्रय के सम्बन्ध में दायित्वों का समुचित निर्वहन न कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने में सहयोग करने ।

19--श्री आर० के० बजाज, अधिशासी अभियन्ता ।

आवास विकास परिषद् के अधीन भवन निर्माण कार्यों में त्रुटियों एवं अनियमिततायें एवं लैंड (बीघा) के रखरखाव के सम्बन्ध में लापरवाही के कारण हुई हानि ।

20--श्री आर० एन० शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहते हुये सीमेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की धाराओं का उल्लंघन कर अनधिकृत विक्रेता से सीमेन्ट क्रय करना ।

21--श्री आर० बी० दुबे, अधिशासी अभियन्ता (वि० यां०) ।

सामग्री क्रय में वित्तीय अनियमिततायें एवं अवर गुणता की सामग्री की आपूर्ति आदि अनियमिततायें ।

22--श्री महाबीर प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता, 23 श्री डी० पी० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ।

टांडा जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत कराये गये सीवर कार्यों में त्रुटियां एवं अनियमिततायें ।

23—श्री श्री निवास शर्मा, अधिशासी अभियन्ता ।

निर्माणाधीन बहेड़ी जलोत्सारण योजना के संशोधित प्राक्कलन के विरचन में विलम्ब ।

24--श्री आर० सी० सिंघल, अधिशासी अभियन्ता ।

टांडा जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत कराये गये सीवर कार्यों में त्रुटियों एवं अनियमिततायें (2) सामग्री क्रय के सम्बन्ध में दायित्वों के निर्वहन न करके शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने में सहयोग करनें ।